सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना

(2002-2007)

वार्षिक कार्य योजना

एवं

बजट

(2002--2007)

जनपदः जालौन

* विषय सूची *

क्रमांक	विवरण	पृष्ठसंख्या
1	अध्याय-1: जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि	1-4
2	अध्याय-2: शैक्षिक परिदृश्य	5-16
3	अध्याय-3: नियोजन प्रकिया	17-30
4	अध्याय-4: सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	31-34
5	अध्याय-5: समस्यायें एवं रणनीतियां	35-39
6	अध्याय-6: शिक्षा की पहुंच का विस्तार- (1) नवोदय विद्यालय	40-43
7	अध्याय-7: शिक्षा की पहुंच का विस्तार- (2) ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0	44-67
8	अध्याय-8: ठहराव में वृद्धि	68-114
9	अध्याय-9: जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिद्देश्य	114-175
10	अध्याय-10: परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण	175-197
11	परियोजना लागत	197-202
12	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट	

अध्याय--1

✂ जनपद की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि ✂

बुन्देलो की शौर्यभूमि "बुन्देलखण्ड में स्थित झांसी मण्डल के तीन जनपदो में से एक जनपद जालौन है। इस जनपद के विषय में यह जन श्रुति प्रचलित हैं कि आदि में यह समस्त क्षेत्र गहन वनो से आच्छादित था। कालान्तर में इस क्षेत्र के वनो को काट कर एवं जला कर कृषि के योग्य बनाया गया इस क्षेत्र का नाम उद्दालक ऋषि एवं जलाने काटने के कारण कमंशः उद्दालक वन–उदालवन –दालवन– जालवन तथा जालौन वन गया।

अष्टादश पुराणो के रचियता महर्षि वेद व्यास की जन्म स्थली कालपी जनपद जालौन में स्थित है, जनपद जालौन गजेटियर 1909 के अनुसार सर्व प्रथम मौर्य एवं गुप्त वशं के शासको का शासन था जो पचवी सदी में तोमरो के अधीन हो गया था अग्रेंजो के विरूद्व अनेक सुप्रसिद्व कान्ति वीर इस धरती को अपनी कर्म भूमी बनाकर स्वाधीनता के लिये कान्ति का विगुल बजाते रहे झांसी की रानी महारानी लक्ष्मी बाई का अन्तिम युद्व भी कालपी क्षेत्र में हुआ था।

इस जनपद में कंजौसा नामक स्थान पर यमुना, चम्बल, पहूज कुमारी तथा सैद नामक पांच नदियो का संगम स्थल है यह स्थान पचनदा के नाम से प्रसिद्व हैं। अन्य ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलो में सैदनगर स्थित अक्षरा देवी का मन्दिर, वैरागढ़ मे ऊदल के द्वारा निर्मित शारदा देवी उरई , ठड़ेश्वरी महाराज का मन्दिर एवं माहिल का तालाब प्रसिद्व हैं।

✦ भौगोलिक विशेषतायें ✦

इस जनपद का भौगोलिक क्षेत्र 4565 वर्ग किलो मीटर है 25^0 /46 /26^0/27 अक्षांश उत्तरी एवं 79^0/52 से 78^0/56 पूर्वी रेखांश के बीच यह जनपद फैला है। पूर्व में पश्चिम में इसकी लम्बाई 93 किमी0 और उत्तर से दक्षिण

इसकी चौडाई 68 किमी0 है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौडाई सबसे अधिक है इसका आकार त्रिभुज की तरह है। इसके उत्तर पुर्व में यमुना नदी इसे इटावा, औरैया एवं कानपुर देहात जनपदो से अलग करती है। बेतवा नदी इसके बीच सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश के जनपद भिण्ड से इस जनपद को अलग करती हैं।

✦ खनिज संशाधन ✦

खनिज की उपलब्धता की दृष्टि से बाल ही खनिज पदार्थ के रूपमें उपलब्ध है।

✦ जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ ✦

* सारणी 1.1 *

त्हसील	05
विकास खण्ड	09
न्याय पंचायत	81
ग्राम पंचायत	564
आबाद ग्राम / बस्तियां / मजरे	1042
गैर आबाद ग्राम	209
कुल ग्राम	1151
नगर पालिका परिषद	04
नगर क्षेत्र समिति	06

स्रोत सांख्यिकी पत्रिका - 1997

जनपद जालौन की अर्थ व्यवस्था मुख्यतया कृषि पर आधारित है मिलो का आभाव है केवल कुछ लधु उद्योग उरई में ही चल रहे हैं। रोजगार के अवसरो की कमी है। जनपद मे यमुना नदी, वेतवा नदी, एवं पहूंज नदी के किनारो पर कटीले वृक्ष बबूल की बहुतायत है तथा जमीन उबड़ खावड़ होने के कारण आवागमन के साधन कम है। गाँव में रहने वाले व्यक्तियों मुख्य व्यवसाय कृषि है, शिक्षण अभिरूचि भी अन्य स्थानो की अपेक्षा कम हैं।

✦ जनसंख्या ✦

वर्ष 1991 में इस जनपद की जनसंख्या 1219377 लाख थी जो 2001 में लगभग 14.55 लाख हो गयी हैं। पुरूष महिला का अनुपात प्रतिहजार 829 महिला का था जो वर्तमान में प्रतिहजार 847 महिला का हो गया हैं। कुल साक्षरता जनपद

की 50.7 प्रतिशत थी जो 2001 में कुल साक्षरता 66.14 प्रतिशत हो गयी हैं। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 1134439 हैं।

* सारणी 1.2 *

क्रम	मद	हजार / लाख में / वास्तविक व अनुमानित
1	कुल जनसंख्या	1455850
2	ग्रामीण जनसंख्या	1134439
3	नगर क्षेत्र की जनसंख्या	321411
4	बृद्धि दर (1991- 2001)	19.39
5	पुरूष	788260
6	महिला	667590
7	आबादी का घनत्व	319
8	साक्षरता प्रतिशत	6614

स्रोतः सांख्यकी एवं पत्रिका 1997

✦ विकास खण्ड वार कुल जनसंख्या निम्नवत् हैं। ✦

* सारणी 1.3 *

क्रम सं0	विकास खण्ड / नगर क्षेत्र का नाम	जनसंख्या (वर्ष– 1991)			जनसंख्या (वर्ष– 2001)		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	डकोर	81742	66958	148700	97593	79942	177535
2	जालौन	52582	43652	96234	62779	52117	114896
3	कदौरा	73310	60057	133367	87526	71703	159229
4	कौंच	52147	43369	95516	62259	51779	114038
5	कुठौंद	53228	44050	97278	63550	52592	116142
6	माधौगढ	51505	42595	94100	61493	50855	112348
7	महेवा	50048	41418	91466	59753	49450	109203
8	नदी गाँव	68743	55722	124465	82074	66528	148602
9	रामपुरा	37977	31077	69054	45342	37104	82446
	योग	**521282**	**428898**	**950180**	**622369**	**512070**	**1134439**
10	नगरीय	145583	123614	269197	173820	147591	321411
	योग	666865	**552512**	**1219377**	**796189**	**659661**	**1455850**

✦ विकास खण्ड वार कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या निम्नवार् हैं। ✦

✳ सारणी 1.4 ✳

क्रम सं0	विकास खण्ड / नगर क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति (वर्ष– 1991)			अनुसूचित जाति (वर्ष– 2001)		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	डकोर	24144	19286	43430	28826	23025	51851
2	जालौन	17465	14080	31545	20852	16810	37662
3	कदौरा	22894	18510	41404	27333	22099	49432
4	कौंच	16358	13372	29730	19530	15965	35495
5	कुठौंद	14218	11353	25571	16975	13554	30529
6	माधौगढ़	15097	12066	27163	18024	14406	32430
7	महेवा	10915	8751	19666	13031	10448	23479
8	नदी गाँव	19392	15635	35027	23152	18667	41819
9	रामपुरा	11440	9202	20642	13658	10986	24644
	योग	**151923**	**122255**	**274178**	**181381**	**145960**	**327341**
	नगरीय	32458	26836	59294	38752	32040	70792
	योग	**184381**	**149091**	**333472**	**220133**	**178000**	**398133**

➢ जनपद जालौन में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है।

अध्याय–2

जनपद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम (डी0पी0ई0पी0 तृतीय) परियोजना अप्रैल 2000 से चल रही हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा सभी को प्राप्त कराई जाये और साक्षरता के प्रतिशत को उठाया जाय, इसके लिये सभी वर्गो का शत प्रतिशत नामांकन ठहराव रूचिकर शिक्षा व गुणवत्ता के समुचित दृष्टि का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्य में तीव्रतर गति लाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा का अभियान शुभारम् इस जिले में किया जा रहा हैं।

वर्ष 1997 संख्यिकी पत्रिका के अनुसार साक्षरता दर 50.7: है जिसमें पुरूष 66.2: व 31.6: महिला की हैं। साक्षरता संबंधी विवरण विकास खण्ड वार निम्न है।

✦ *साक्षरता सम्बंधी विवरण विकास खण्डवार निम्नवत् है।* ✦

** सारणी 2.1 **

कुल साक्षरता	50.7
ग्रामीण	46.9
नगर	64.0
पुरूष साक्षरता	66.2
महिला साक्षरता	31.6
ग्रामीण पुरूष	63.6
ग्रामीण महिला	26.1
नगर पुरूष	75.5
नगर महिला	50.3

* सारणी 2.2 *

क0स0	विकास खण्ड/ नगर क्षेत्र का नाम	साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	योग
1	रामपुरा	60.60	22.70	43.70
2	कुठौंद	64.40	28.40	48.30
3	माधौगढ़	64.50	29.70	48.30
4	जालौन	70.80	33.90	54.20
5	नदीगाँव	63.80	25.80	54.20
6	कोंच	74.70	33.50	56.20
7	डकोर	66.10	26.90	48.70
8	महेवा	56.40	15.90	38.40
9	कदौरा	52.50	19.10	37.60
10	नगर क्षेत्र उरई	75.50	66.10	72.37
11	नगर क्षेत्र कौंच	68.20	46.18	57.19
12	नगर क्षेत्र कालपी	73.00	45.2	59.10
13	नगर क्षेत्र जालौन	72.00	58.6	65.31

स्त्रोतः सांख्यिकी पत्रिका 1997

✦ *विकास खण्ड वार प्रशासनिक संरचना निम्नवत् है ,*✦

* सारणी 2.3 *

कमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत की संख्या	न्याय पंचायत की संख्या	आबाद ग्राम मजरे बस्तियों की संख्या
1	डकोर	84	11	129
2	जालौन	61	11	104
3	कदौरा	60	8	119
4	कोंच	62	7	110
5	कुठौन्द	66	9	121
6	महेवा	58	8	131
7	नदीगाँव	73	9	145
8	रामपुरा	43	8	84
9	माधौगढ़	57	10	99
	योग	564	81	1042

जनगणना 2001 के अनुसार विकासखण्ड वार /नगर क्षेत्र वार साक्षरता का विवरण उपलब्ध ना होने के कारण 1991 की साक्षरता दर आंकित की गयी है। विकास खण्डो में सबसे कम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड कदौरा 37.6 और

विकास खण्ड महेबा 38.4 है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला विकास खण्ड कौंच है। जिसकी साक्षरता 56.2 है।

जनपद की महिला साक्षरता 31.6 के सापेक्ष महिला साक्षरता की न्यूनतम दर वाले जालौन, कौंच विकास खण्ड को छोडकर सभी है।

** सारणी 2.4 **

वर्ष	6–11 आयु वर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चे			जी० ई० आर०
	बालक	बलिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2001-02	113213	98286	211499	104163	91544	195707	9050	6742	16392	92.53%
2002-03	115576	100153	215729	117633	99026	216659	-	1127	1127	102%

स्त्रोतः विभागीय आंकडे

** सारणी 2.5 **

वर्ष	11–14 आयु वर्ग की कुल संख्या			पंजीकृत संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चे			जी० ई० आर०
	बालक	बलिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2001-02	47129	39776	86905	41880	30943	72823	5249	8833	14082	83.75 %
2002-03	48157	40520	88777	36284	26004	62288	11873	14516	26389	70%

स्त्रोतः विभागीय आंकडे

✦ शिक्षको की उपलब्धता ✦

जनपद में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या रिक्तपद व शिक्षा मित्रो की संख्या निम्नवत हैं।

** सारणी 2.6 **

	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
प्राथमिक विद्यालय	2870	2549	301
उच्च प्राथमिक विद्यालय	678	568	110

स्त्रोतः विभागीय आंकडे

✦ जनपद में संचालित विद्या केन्द्र, शिक्षा केन्द्र ✦

क0सं0	वर्ष	स्वीकृत सं0		संचालित सं0	
1	2000--2001	18	5	18	5
2	2001--2002	17	30	17	30
3	2002--2003	—	—	--	—
4	2003- 2004	—	—	—	—

जनपद में विकास खण्डवार शिक्षको की उपलब्धता निम्नवत् है।

✦ शिक्षको की उपलब्धता प्रा0 एवं उच्च प्राथमिक ✦

विकास खण्डवार

क0सं0	विकास खण्ड / नगर क्षेत्र का नाम	प्रा0वि0				उच्च प्रा0वि0			
		कार्यरत	रिक्त	शिक्षा मित्र		कार्यरत	रिक्त	शिक्षा मित्र	
				स्वीकृत	कार्यरत			स्वीकृत	कार्यरत
1	रामपुरा	159	31	-	39	34	7	-	-
2	कुठौंद	205	35	-	44	43	7	-	-
3	माधौगढ़	210	30	-	35	49	11	-	-
4	जालौन	293	-	-	11	80	16	-	-
5	नदीगाँव	261	9	-	34	53	13	-	-
6	कोंच	281	9	0	3	67	5	-	-
7	डकोर	456	4	0	9	114	6	-	-
8	महेवा	222	14	-	35	40	8	-	-
9	कदौरा	272	18	-	43	45	9	-	-
10	नगर क्षेत्र	190	42	-	-	3	2	-	-

✦ जनपद में शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक एवं उच्च प्रा0 स्तर ✦

क0स0	विकास खण्ड/ नगर क्षेत्र का नाम	प्रा0वि0			उच्च प्रा0वि0		
		छात्र सं0	शिक्षक सं0	शिक्षक छात्र अनुपात	छात्र सं0	शिक्षक सं0	शिक्षक छात्र अनुपात
1	रामपुरा	11517	159	1:72	2094	34	1:56
2	कुठौंद	13977	205	1:68	2551	43	1:59
3	माधौगढ़	13554	210	1:64	2639	49	1:53
4	जालौन	13395	422	1:31	2341	80	1:29
5	नदीगाँव	16839	261	1:64	2383	53	1:32
6	कोंच	14514	281	1:51	2160	67	1:44
7	डकोर	21451	456	1:47	2831	114	1:24
8	महेवा	12848	246	1:52	2213	40	1:55
9	कदौरा	20190	272	1:74	1988	45	1:44

✦प्राथमिक विद्यालय के नामांकन मे सापेक्ष बृद्धि वर्षवार✦

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत			गतवर्ष के सापेक्ष बृद्धि	
	बालक	बलिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका
1999-00	88495	73365	161860	82.90	79.9	81.40	-	-
2000-01	111451	92159	203610	98.27	97.1	97.60	15.30	18
2001-02	110270	96721	206991	97.40	98.40	97.9	-.80	1.3
2002-03	1176..	99026	216659	100	98.8	99.4	2.6	.4
2003-04	118109	101006	219115	100	98.9	99.45	-	.1

✦उच्च प्राथमिक विद्यालय के नामांकन मे सापेक्ष बृद्धि वर्षवार✦

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		गतवर्ष के सापेक्ष बृद्धि	
	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका	बालक	बलिका
1999-00	50350	30195	80545	99	100		
2000-01	45063	38747	83810	100	97	9.9	.3
2001-02	4407	29859	73866	03	75	-7	-22
2002-03	36284	26004	6228	75	64	-18	-11
2003-04	39201	29930	69131	79.4	71.7	+4.4	+7.6

✦संक्रमण दर✦

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	दर
1999-00	88157	28315	100
2000-01	31513	29211	92
2001-02	37943	28121	74
2002-03	35419	23131	65
2003-04	37870	30743	81

✦ड्रपआउट दर प्राथमिक स्तर✦

विकास खण्ड	ड्रापआउट दर			अनुसूचित जाति ड्रापआउट दर	
	बालक	बलिका	योग	बालक	बलिका
रामपुरा	8	6.7	14.7	15	13
कुठौंद	15	11	26	12	10
माधौगढ़	14	12	26	10	11
जालौन	1.4	2	3.4	3.8	5
नदीगाँव	8	5	13	15	8
कौंच	4.7	3	7.7	4	3
डकोर	9	10	19	10	9
महेवा	8	9	17	9	10
कदौरा	7	9	16	8.5	10.2

औसत ड्रपआउट दर 16 प्रतिशत

✦शिक्षको की उपलब्धता परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय✦

	कार्यरत	रिक्त 30/9/03	स्वीकृत शिक्षा मित्र	कार्यरत शिक्षा मित्र
परि0 प्रा0वि0	2670	297	347	297
परि0 उ0 प्रा0 वि0	568	110	-	-

शैक्षिक संस्थाओ की उपलब्धता विवरण सारणी में निम्नवत है

* सारणी 2.7 *

क्रम सं0		परिषदीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	1059	66	1125	208	270	478	1267	336	1603	27	20	47
2	मध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राईमरी अनुभाग	-	-	-	-	3	3	-	3	3	-	-	-
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	183	12	195	133	150	283	316	162	478	6	10	16
4	मध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	12	0	12	57	36	93	69	36	105	-	-	-
5	केन्द्रीय विद्यालय	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
6	नवोदय विद्यालय		1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
7	हाईस्कूल	6	-	6	23	11	34	29	11	40	-	-	-
8	इण्टर मीडिएट	6	-	6	34	25	59	40	25	65	-	-	-
9	डिग्री कालेज		1	1	1	4	5	1	5	6	-	-	-
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	-	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-
11	विश्वविद्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-
12	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई. /पॉलीटेक्निक)	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाऐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ऑगनबाडी केन्द्रो की संख्यॉ	863	-	863	-	-	-	863	-	863	-	-	-
15	मकतब / मदरसे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
16	संस्कृत पाठशालाऐ	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-
17	विकलॉग बच्चो की शिक्षा हेतु संस्थाऐ	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
18	बल श्रमिक विद्यालय	-	-	-	-	-	---	-	-	-	-	-	-
19	डायट	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
20	बी0आर0सी0	9	-	9	-	-	-	9	-	9	-	-	-
21	एन0पी0आर0सी0	81	-	81	-	-	-	81	-	9	-	-	-

✦ परिपदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता ✦

* सारणी 2.8 *

	1किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय	1किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 रिक्त मी0 से भी कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 से 5 किमी0 की अधिक दूरी पर वि0 उपलब्ध	प्रस्तावित प्रा0 वि / ई0जी0ए0
ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	803	106	0	0
ऐसी बस्तियों की संख्यॉ जिनकी आबादी 300 से कम है	82	35	16	16

स्त्रोतः विभागीय आंकडे

✦परिपदीय तथा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता✦

* सारणी 2.9 *

	3कि0मी0 से कम दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय	3कि0मी0 से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्रस्तावित उच्च प्रा0 वि0 / ए0आई0ई0
ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	536	0	0
ऐसी बस्तियों की संख्यॉ जिनकी आबादी 800 से कम है।	403	103	71

✦ प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता के अनुपात में विवरण निम्नवत् है। ✦

* सारणी 2.10 *

मद	ग्रामीण	नगर
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	1138	64
उच्च प्राथमिक विद्यालय	319	12

✦ भौतिक सुविधाओं की मॉग ✦

* सारणी 2.11 *

कम सं0	आइटम सुविधा	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राविमक स्तर		
		कमी	डी0पी0ई0पी0 वित्त प्राविधान	मांग SSA	कमी	डी0पी0ई0पी0 वित्त प्राविधान	मांग ,
1	नवीन विद्यालय	-	-	-	-	-	-
2	विद्यालय पुनर्निर्माण	141	67	74	18		18
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	2392	750	852	635		365
4	पेयजल सुविधा	178	128	50	42	--	42
5	शौचालय	1077	180	897	122	---	122

✦ प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आकडे व महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स ✦

यह जनपद डी0पी0ई0पी0 तृतीय से अच्छादित है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई के प्रपत्र को वर्ष 2002--03 के शैक्षिक आकड़े विकास खण्ड़वार एकत्र किये गये, प्रा0वि0 का नांमाकन निम्नवत् है।

* सारणी 2.12 *

प्राथमिक विद्यालयों में नांमाकन	2002-2003
कक्षा –1	48204
कक्षा –2	44852
कक्षा –3	47672
कक्षा –4	40841
कक्षा –5	35419
योग	216659
जी0ई0आर0	102%
बालिका	98.80%
एन0ई0आर0	94.50%
कुल	100%

✦ विद्यालय सांख्यिकीय ✦

वर्ष 2002--03 के विद्यालय सांख्यिकीय प्रपत्र का एकत्रीकरण किया जा रहा है तदपश्चात् आकडों को फीड किया जायेगा। जनपद प्राथमिक विद्यालय के बालको का जी0ई0आर0 101.70 है जिसमें बालिकाओं का जी0ई0आर0 98.80 है। वर्ष 2002 तक ड्राप आउट का निम्न प्रकार है।

✦ ड्रपआउट प्रतिशत में ✦

* सारणी 2.13 *

वर्ष 2002–03	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर	
	बालक	बालिकायें	बालक	बालिकायें
प्राथमिक स्तर	8.3%	7.5%	6.5%	9.5%

परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक छात्र अनुपात वर्ष 2001 का 1:51 है।

डी0पी0ई0पी0 परियोजना के अन्तर्गत 15 नवीन विद्यालयों के स्वीकृत 15 प्रधानाध्यापक व 30 शिक्षा मित्र के पद सजृत किये गये है तथा 67 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति भी की गई है एवं 200 शिक्षा मित्र के पद भी डी0 पी0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो चुके है।

✦ प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात ✦

* सारणी 2.14 *

	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	6–8 योग	अनुपात
ग्रामीण	1059	183	69	249	4:2
नगरीय	66	12	36	49	1:3
योग	1125	195	105	298	4:1

माध्यमिक विद्यालयो की 6–8 अनुभागो को भी सम्मिलित करने पर उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयो का अनुपात 1:4 आता है।

✦ विद्यालय में भौतिक सुविधायें ✦

(01/07/2001 की स्थिति)

विद्यालय में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत जनपद के सभी परिषदीय प्रा0 वि0 को आकषक बनाने हेतु रू 2000 आवंटित किये गये। बच्चों हेतु

लर्निंग कार्नर, माइक्रोप्लानिंग, मानचित्रण एवं विद्यालय की पुताई करायी गयी। प्रत्येक विद्यालय में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु जनपद में कार्यरत सभी प्रा0 विद्यालयों के अध्यापकों को रू0 500 सहायक शिक्षक सामग्री निर्माण हेतु दिये गये। कुछ प्राथमिक विद्यालयों को टाटपट्टी क्रय हेतु रू0 940 दिये गये।

शत् 2002–03 में समस्त परिषदीय प्रा0 विद्यालयों में सामग्री क्रय हेतु जैसे कुर्सी, मेज, अल्मारी, घण्टी, बाल्टी एवं चटाई इत्यादि क्रय किया गया। सभी जू0 हाई स्कूलो में भी रू0 5000 सामग्री क्रय हेतु, रू0 2000 पुताई हेतु दिये गये। शत् 2003–04 में जनपद के समस्त सहायता प्राप्त प्रा0 एवं उच्च प्रा0, माध्यमिक विद्यालयो को भी रू 2000 विद्यालयो को सुसज्जित करने हेतु दिये जायेगे। तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु सहायता प्राप्त विद्यालयो के 3 अध्यापको को तथा परि0 प्रा0 एवं उच्च प्रा0 विद्यालयो के सभी अध्यापको को दिये जायेगे।

अध्याय–3

✦ नियोजन प्रकिया ✦

भारत सरकार के निर्णय सर्वशिक्षा अभियान में राज्यों की भागेदारी से समय बद्ध प्रयास द्वारा प्रारभिक शिक्षा को जन–जन तक पहुचानें संबंधी एवं अभिलक्षित लक्ष को प्राप्त करने की दिशा में सकिय प्रयास किया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लानें की अपेक्षा की गयी है। इसका उद्देश्य 6–14 वर्ष के वय वर्ग के बच्चों को उपयोगी गुणवत्ता परख शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्त्री पुरूष में असमानता तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना की गयी है।इसमें यह भी प्रयास किया जायेगा कि सामुदायिक सहभागिता बढाने के उद्देश्य से निचले स्तर तक शैक्षिक कियाकलापों का कियान्वयन सुनिश्चित हो सके।पंचायती राज्य,स्वयं सेवी संस्थायें,गैर सरकारी संगठन,शिक्षकों एवं स्वयंसेवकों,कलाकारों,महिला संगठनों आदि को शामिल करके अपनी जवाबदेही के क्षेत्र का विस्तार करने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

✦ सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम्य शैक्षिक शिक्षा योजना ✦

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया को महत्व दिया गया है।इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती के परिवारों के 6–14 वयवर्ग के बालक बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम्य शिक्षा समितियों के सदस्य,ग्राम के उत्साही,प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के उद्देश्य तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किये जायं। ब्लाक संदर्भ समूह के प्रशिक्षक एवं जनपद के सभी विकासखण्डों में इनके द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया गया। इस

जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व प्रथम 2000--2001 के प्रथम चरण में 250 ग्राम शिक्षा समितियों का तथा 2001–2002 में अवशेष ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।जिसमें ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जायेगा,और एकत्र सूचनाओं के आंकडों का विश्लेषण करके उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. ग्राम में 6–11 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
2. विद्यालय/शिक्षा केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों की संख्या।
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
4. ग्राम में विद्यालय नहीं है,तो उसकी आवश्यकता।
5. मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है,तो उसके लिये वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था ।
6. विद्यालय भवन में भौतिक संसाधनों का आंकलन।
7. विद्यालय की साज–सज्जा हेतु ग्राम वासियों का सुझाव।
8. अध्यापकों की छात्र संख्या के आधार पर नियुक्ति।
9. अध्यापकों की नियमित उपस्थिति।
10. शिक्षण कार्य की स्थिति का आंकलन।

✦ *सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात् निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये* ✦

1. परिवार सर्वेक्षण ।
2. स्कूल मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्रण।
3. सूचनाओं का विश्लेषण।
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण।

✦ स्कूल चलो अभियान ✦

जनपद में जुलाई 2003 में बालक–बालिकाओं के शत्–प्रतिशत् नामांकन तथा ड्राप आउट को समाप्त करने के उद्देश्य से **स्कूल चलो अभियान** चलाया गया। जिसके फलस्वरूप शैक्षिक वर्ष 2002–2003 में बालक–बालिकाओं के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई ,तथा परिणामतः जो वातावरण सृजित हुआ,उसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान में उठाया जायेगा। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान के सफल संचालन हेतु दिनांक 02/07/2003 को **समस्त जनपदीय अधिकारियों एवं शिक्षा विभागीय** अधिकारियो की बैठक सम्पन्न की गई,जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा सुनिश्चित की गई। जनपद में शत्–प्रतिशत् नामांकन सुनिश्चित कराने हेतु शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन ने संकल्प लिया तथा उक्त **कार्यक्रम को सफल बनाने** हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया एवं कार्यक्रमों के अवलोकन हेतु **नोडल अधिकारी नियुक्त** किये गये।

दिनांक 03,जुलाई–2003 को जनपद की 564 ग्राम पंचायतों में स्कूल चलो अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रातः आठ बजे रैलियॉ निकाली गयी,जिसमें ग्रामों के समस्त बालक–बालिकाओं ,शिक्षकों,जागरूक ,उत्साही नागरिकों ने प्रतिभाग सुनिश्चित किया। जागरूकता रैली में बालक–बालिकाओं हाथों में तख्ती/बैनर लिये थे,जिसमें बच्चों के शत्–प्रतिशत् नामांकन हेतु प्रेरणा दायी नारे –एक भी बच्चा छूटा–संकल्प हमारा टूटा, एवं –लडका/लडकी एक समान,सबको शिक्षा सबको ज्ञान–लिखे हुये थे।

दिनांक 04,जुलाई–2003 को समस्त ब्लाक मुख्यालयों पर स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली निकाली गयीं,जिसमें सम्बन्धित ब्लाकों के प्रमुखों सहित प्रबुद्ध नागरिकों ने प्रतिभाग सुनिश्चित किया। इसी तिथि को जनपद मुख्यालय पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उरई नगर में प्रातः 08 बजे हरी झण्डी दिखाकर

स्कूल चलो अभियान की रैली पूरे नगर में निकाली गयी,जिसमें उरई नगर के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं समेत समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों,जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। रैली के समापन के अवसर पर जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से समस्त उपस्थित जनसमुदाय को राजकीय बालिका इण्टर कालेज,उरई के परिसर में सम्बोधित किया।

स्कूल चलो अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों एवं सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों/प्रति उप विधालय निरीक्षकों /जिला समन्वयकों के द्वारा स्वयं से सम्बन्धित विकास क्षेत्रों में आने वाले विधालयों का विधिवत पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया तथा, अपेक्षाकृत लक्ष्यों को प्राप्त किया गया।

दिनॉक 5–7–2003 से 29–7–2003 तक जनपद की समस्त तहसीलों उरई, कोंच, जालौन, माधौगढ , कालपी एंव सम्बन्धित नगर क्षेत्र ,टाउन ऐरिया में स्कूल चलो अभियान की प्रभावी एंव प्रेरणादायक **रैली** निकाली गई जिसमें विद्यालय के बच्चो शिक्षको, उत्साही नागरिको, उपजिलाधिकारी एंव अन्य विभागीय अधिकारियो ने भाग लिया ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आयोजित की गई बैठको का विवरण निम्नवत् है।

✦स्कूल चलों अभियान की वास्तविक उपलब्धि (31.07.2003 तक)?✦

हाउस होल्ड सर्वे के दौरान स्कूल से बाहर पाये गये 6 से 14 वय वर्ग के 20661 बच्चो को स्कूल चलो अभियान के दौरान बृहद्व कार्यक्रम चला कर 17820 बच्चो को नामाकित कराया गया। स्कूल से बाहर पाये गये बच्चों का प्रतिशत निम्नवत् है।

स्कूल से बाहर बचे बच्चो को प्रतिशत विवरणः–

6 से 11 वय वर्ग के स्कूल से बाहर बालक 3.5 प्रतिशत

6 से 11 वय वर्ग के स्कूल से बाहर बालिका 3.3 प्रतिशत

11 से 14 वय वर्ग के स्कूल से बाहर बालक 5.6 प्रतिशत

11 से 14 वय वर्ग के स्कूल से बाहर बालिका 5.3 प्रतिशत

समान्य वर्ग के स्कूल ना जाने वाले बालक 6 प्रतिशत

सामान्य वर्ग के स्कूल ना जाने वाले बालिका 4.8 प्रतिशत

अनुसूचित जाति वर्ग के स्कूल ना जाने वाले बालक 7 प्रतिशत

अनुसूचित जाति वर्ग के स्कूल ना जाने वाले बालिका 7 प्रतिशत

पछडी जाति वर्ग के स्कूल ना जाने वाले बालक 7.5 प्रतिशत

पछडी जाति वर्ग के स्कूल ना जाने वाले बालिका 7.7 प्रतिशत

अल्पसंख्यक जाति वर्ग के स्कूल ना जाने वाले बालक 11.2 प्रतिशत

अल्पसंख्यक जाति वर्ग के स्कूल ना जाने वाले बालिका 10.4 प्रतिशत

उक्त बच्चों हेतु 81 ब्रिजकोर्स गैर आवासीय तीन बालिकाओं हेतु आवासीय ब्रिजकोंस एवं अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु 7 गैर आवासीय ब्रिजकोंस न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित कर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडा जा रहा है। विस्थापित परिवार के बच्चों को ई0जी0एस0 ए0आई0ई0 एवं ब्रिजकोंस के माध्यम से शिक्षा हेतु प्रेरित कर स्कूल में नामांकित करने का प्रयास किया जा रहा है।

** 6-11 एवं 11 से 14 वय वर्ग स्कूल से बाहर पाये गये बच्चो की सारणी निम्नवत् है **

** सारणी 3.1 **

क0स0	ब्लाक का नाम/नगर क्षेत्र	कुल बच्चों की संख्या				बालक बालिका का योग		स्कूल न जाने वाले बच्चे की संख्या						बालक बालिका का योग		
		बालक		बालिका				बालक			बालिका					
		6 to 11	11 to 14	6 to 11	11 to 14	6 to 11	11 to 14	5+ to 6+	7 to 10+	11 to 14	5+ to 6+	7 to 10+	11 to 14	5+ to 6+	7 to 10+	11 to 14
1	रामपुर	7921	3832	7155	2927	15076	6759	758	445	299	556	494	262	1314	939	561
2	मोदीगढ	9773	5319	8402	4668	18175	9987	646	411	249	540	288	258	1186	699	507
3	कोच	7685	3976	6522	3257	14207	7235	7	32	124	0	7	34	7	39	158
4	कुठौद	9261	5116	8032	4078	17293	9194	90	43	77	131	61	133	221	134	210
5	जालौन	8867	4700	7365	3907	16232	8607	143	179	230	107	140	230	250	319	460
6	नदीगाँव	12017	6689	10623	5418	22640	12107	531	374	220	367	250	228	898	624	448
7	कदौरा	13051	7189	10749	5666	23800	12855	626	857	922	478	498	646	1104	1355	1568
8	महेबा	8188	3983	6925	2940	15113	6923	731	263	218	520	253	279	1251	516	497
9	उरई	15443	7016	13946	5791	29389	12807	812	449	394	537	392	355	1349	841	749
10	नगर क्षेत्र कोच	2094	986	1686	860	3780	1846	416	295	120	372	223	126	788	518	246
11	नगर क्षेत्र उरई	4390	2560	2653	2127	7043	4687	55	42	62	61	35	65	116	77	127
12	नगर क्षेत्र जालौन	2283	1476	2050	1284	4333	2760	81	68	63	74	54	45	155	122	108
13	नगर क्षेत्र कालपी	1141	738	1024	643	2165	1381	42	38	33	37	28	22	79	66	55
	योग	102114	53582	87132	43566	189246	97148	4938	3526	3011	3780	2723	2683	8718	6249	5694
	जातिवार															
1	सामान्य							953	548	358	776	44	395	1729	592	753
2	अनु0जाति							1471	948	1022	1002	872	930	2473	1820	1952
3	पिछडी जाति							1879	1495	1051	1465	1406	984	3344	2901	2035
4	अल्पसख्यक							635	535	580	537	401	374	1172	936	954
	योग							4938	3526	3011	3780	2723	2683	8718	6249	5694
					कारण विवरण सहित आयुवार:-											
कारण विवरण सहित:-					5+ to 6+	5+ to 6+	7 to 10+	7 to 10+	11 to 14	11 to 14	कुल					
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक						
1 धर के काम में लगे रहना		3727	3135	6862	1413	995	1110	927	1204	1213	6862					
2 मजदूरी में लगे रहना		780	473	1253	161	184	244	182	375	107	1253					
3 भाई बहन की देख भाल करना		1918	2432	4350	901	837	618	967	399	628	4250					
4 विद्यालय दूर होने के कारण		535	674	1209	213	255	180	207	142	212	1209					
5 अन्यकारण		4515	2472	6987	2250	1509	1374	440	891	523	6987					
योग		11475	9186	20661	4938	3780	3526	2723	3011	2683	20661					
स्कूल चलो अभियान 31जुलाई 2003 तक कुल नामांकन					4938	3780	2586	2096	2390	2030	17820					

* सारणी 3.2 *

तिथि	बैठक का स्थान	प्रतिभागियों की संख्या	बैठक में उभरे विचार बिन्दु
7-11-2001	महेवा	1. प्रधान 01 2. अध्यापक 03 3. स्वेच्छिक सं0 01 4. कुल 05	1. कच्चा प्रा0पा0वि0 भवन का निर्माण कराना। 2. विद्यालयो में छात्र सं0के आधार पर अध्यापको की नियुक्ति कराना।
7-11-2001	दहेलखण्ड (महेवा)	1. प्रधान 01 2. अध्यापक 01 3. सदस्य शिक्षा समिति 01 4. कुल 03	1. विद्यालय की चाहरदीवारी बनवाना। 2. विद्यायल में छात्र संख्या के आधार पर अध्यापको की नियुक्ति।
7-11-2001	गडगमाँ (महेवा)	1. ग्राम प्रधान 01 2. प्रा0 अध्यापक 01 3. सदस्य शिक्षा समिति 01 4. कुल 03	1. विद्यालय में शौचालय निर्माण कराना। 2. विद्यालय में बृक्षारोपण कराना। 3. विद्यालय की चाहरदीवारी बनवाना
7-11-2001	खैरई(महेवा)	1. ग्राम प्रधान 01 2. प्रा0 अध्यापक 01 3. सदस्य शिक्षा समिति 03 4. कुल 05	1. विद्यालय का सुन्दरीकरण करवाना। 2. भवन निर्माण कराना ।
12-11-2001	पूर्व मा0वि0 कोंच	1. अधिकरी 02 2. अध्यापक 13 3. सदस्य नगर परिषद 03 4. सदस्य जिला पंचायत 01 5. स्वेच्छि संगठन 01	1. छात्र छात्राओं का शत प्रतिशत नामांकन करावाना । 2. छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति करना। 3. विद्यालयों का सुन्दरीकरण।
22-12-2001	विकास खण्ड कुठौंद	1. अधिकरी 01 2. अध्यापक 20 3. शिक्षा समिति सदस्य 08 4. सदस्य जिला पंचायत 02 5. कुल 31	1. बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना । 2. बिना लिंग भेद के शिक्षा पर बल देना । 3. छात्र छात्राओं का शत प्रतिशत नामांकन कराना एंव सतत् विद्यालय में बनाये रखना ।

29-11-2001	कलेक्ट्रेट सभा कक्ष	1. बैठक में उपस्थिति अधिकारी 31 2. माननीय सासंद जी 01 3. कुल 32	1. सर्व शिक्षा अभियान हेतु ब्लाक स्तर पर एस0डी0एम0/तहसीलदार , एंव ग्राम प्रधान की उपस्थिति में बैठक कर नये विद्यालय खोलने का प्रस्ताव मॉगा जाये एंव अध्यापको की नियुक्ति मानक के अनुसार विद्यालय में की जाये। 2. विद्यालय में चाहरदीवारी निर्माण किये जाने का प्रस्ताव आंकलन किया जाये। 3. बच्चों का शत प्रतिशत विद्यालय में नामांकन हेतु विशेष अभियान चालाया जाये एंव सततीकरण विद्यालय में रहने के लिये जनसम्पर्क किया जाये।
5-12-2001	तहसील सभा कक्ष कोंच	1. ब्लाक प्रमुख नदीगॉव 01 2. अधिकारी 10 3. ग्राम प्रधान 25 4. प्रा0अध्यापक 16 5. बहुउददेश्यकर्मी 05 6. स्वयंसेवी संगठन 02 7. पत्रकार 01 8. कुल 60	1. असेवित वस्तियों में विद्यालय चयन, कर विद्यालय बिहीन स्थानों पर विद्यालय खोलना। 2. क्षेत्र में सभी प्राईमरी वि0 एंव उच्च प्रा0वि0 के चयन एंव भवन निर्माण कार्य हेतु बजट बनाया जाये। 3. बालिकाओ को शत प्रतिशत विद्यालय में ठहराव हेतु जनसम्पर्क ।

5-12-2001	बी0आर0सी0 माधौगढ	1. ब्लाक प्रमुख माधौगढ 01 2. अधिकारी 05 3. ग्राम प्रधान 50 4. बी0डी0सी0 सदस्य 30 5. स्वंयसेवी संगठन 04 6. पत्रकार 03 7. प्रा0अध्यापक 37 8. बी0आर0सी0, ए0बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 05 9. कुल 135	1. सर्व शिक्षा के उददंश्य पर विचार । 2. प्राथमिक / पूर्व प्राथमिक विद्यालय एंव वैकल्पिक शिक्षा हेतु स्थलो के चयन हेतु विचार विमर्श कर स्थल चयन का निणर्य लिया गया। 3. सभी बच्चो को विद्यालय में शत प्रतिशत नामांकन कराना।
5-12-2001	बी0आर0सी0 रामपुरा	1. ब्लाक प्रमुख रामपुरा 01 2. अधिकारी 03 3. गॉव प्रधान 15 4. बी0डी0सी0 सदस्य 05 5. स्वयंसेवी संगठन 05 6. बी0आर0सी0,ए0बी0आर0सी0 ,एन0पी0आर0सी0 11 7. कुल 40	1. असेवित वस्तियों में प्राईमरी विद्यालय खोलना । 2. तीन किमी से अधिक दूरी और 800 से अधिक आवादी वाले ग्रमों में पूर्व मा0 वि0 खोलना । 3. पहले निर्मित विद्यालयो में एक कक्षीय विद्यालयो में दो कक्षीय बनाना ,दो कक्षीय विद्यालयो में तीन कक्षीय बनाना जिससे सुविधा अनुसार कार्य हो सके 4. मानक के अनुसार शिक्षको की उपलब्धता कराना । 5. बीहड स्थानो पर डेढ किमी0के स्थान पर 1 किमी ही विद्यालय खोलने का मानक रखा जाये जिससे वच्चे सुरक्षित रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

5-12-2001	तहसील सभा कक्ष जालौन कुठौंद	1. ब्लाक प्रमुख 01 2. अधिकारी 05 3. ग्राम प्रधान 50 4. बी0डी0सी0 सदस्य 05 5. स्वंयसेवी संगठन 01 6. पत्रकार 02 7. प्रा0अध्यापक 20 8. बी0आर0सी0, ए0बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 10 9. कुल 94	1. असेवित वस्तियों में प्राईमरी विद्यालय में मानक के अनुसार चयन किया गया । 2. पूर्व मा0वि0 को खोलने पर चयन स्थल पर विचार करने का निर्णय लिया गया । 3. सभी विद्यालयो में चाहरदीवारी बनने का प्रस्ताव प्रारित किया गया। 4. शौचालय विहीन विद्यालयो में निर्माण कराया जाये। सर्व शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु वालक वालिकाओ का शत प्रतिशत नामांकन 2003 तक उसके बाद कक्षा 1 से 5 तक शत प्रतिशत ठहराव हेतु जनसम्पर्क नियमित रखा जायें।
6-12-2001	तहसील कालपी	तहसीलदार कालपी खण्ड विकास अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पशुधन अधिकारी समन्वयक सह समन्वयक ग्राम प्रधान 37 अध्यापक 112	1. सर्व शिक्षा अभियान की सफलता का सकल्पं किया गया। 2. वालिकाओ का सत प्रतिशत नामांकन कराना 3. मलिन वस्तियों के छूटे हुये बच्चो को विद्यालय लाना।
5-12-01	तहसील जालौन	1. परगनाधिकारी जालौन 2. तहसीलदार जालौन 3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी 4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कुठौंद 5. अध्यापक 80 6. ग्राम प्रधान 50	1. शिक्षण व्यवस्था सुव्यवस्थिति करने पर विचार। 2. शिक्षण कार्य को रोचक एंव प्रभावी बनाने पर विचार। वालका शिक्षा पर विशेष वल दिया जाना तथा असेवित वस्तियों पर विद्यालय खोलने पर विचार विमर्श किया गया ।

7-12-2001	डकोर	1. अधिकारी 02 2. अध्यापक 30 3. सदस्य जिला पंचायत 02 4. शैक्षिक संगठन 01 5. ग्राम प्रधान 61	1. असेवित वस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोला जाये। 2. नवीन विद्यालय की साज सज्जा हेतु धन उपलब्ध कराया जायें। 3. विद्यालयों में टाट पटटी छात्र संख्या के अनुसार हो। 4. बालिकाओं के सत प्रतिशत प्रवेश वाले विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाये। 5. समस्त विद्यालयों में चाहरदीवारी हो। 6. समस्त विद्यालयों में शौचालय हो।
12-11-2001	विकास खण्ड नदीगॉव	1. ब्लाक प्रमुख 2. प्रति विद्यालय निरीक्षक 3. समन्वयक/सह समन्वयक 4. ग्राम प्रधान 05 5. रांकुल प्रभारी 05	1. नदीगॉव भौगोलिक दृष्टि से बीहड तथा दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अध्यापको की संख्या कम होने के कारण शिक्षा दशा प्रभावित है। अतः अध्यापक पर्याप्त सं0 में नियुक्ति किये जाये। 2. सर्व शिक्षा अभियान की सफलता हेतु जन प्रतिनिधियों एंव स्वंय सेवी संस्थाओं के सहयोग से व्यापक जन जागरण किया जाये। 3. मध्य में पढाई छोडने वाले बच्चे के अभिभावको को पढाने के लिये प्रेरित किया जाये। 4. आगॅनवाडी केन्द्रो का अधिक विस्तार किया जायें।

✦ जनपद स्तरीय सर्व शिक्षा अभियान बैठक ✦

सर्व शिक्षा अभियान का प्रोजेक्ट बनाने एंव समीक्षा हेतु दि0 29.11.2001 का जिलाधिकारी के सभाकक्ष में उन्ही की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें समस्त जनपदीय अधिकारी एंव शिक्षा विभाग के अधिकारियो ने प्रतिभाग किया । बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि दि0 5.12.2001 एंव 6.12.2001 को समस्त ब्लाक एंव तहसील मुख्यालयो पर उक्त परियोजना निर्माण हेतु बैठके आयोजित की जाये जिसमें एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में ब्लाक के जनप्रतिनिधियो,स्वेच्छित संगठनो एंव ग्राम प्रधानो को भी सम्मिलित किया जाये।

बैठक में क्षेत्रीय सासंद माननीय श्री बृजलाल खाबरी ने योजना निर्माण की रूपरेखा पर अपने विस्तृत विचार दिये उन्होने योजना के कियान्वयन एंव निर्माण हेतु लक्ष्य समूह तक योजना पहुँचाने तक बल दिया । उपजिलाधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने भी सर्व शिक्षा योजना पर अपने विचार व्यक्त किये व अन्य योजना के लिये जनपदीय अधिकारियो ने भी निर्माण प्रकिया अपने अपने विचार दिये। चिकित्सा अधिकारी ने बच्चो के स्वास्थ परीक्षण के बिन्दु को लेकर सुविधाये बढाने के लिये इस योजना में विशेष बल देने के लिये अपने विचार व्यक्त किये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भगवत प्रसाद पटेल ने सभी सदस्यों को आश्वस्त किया कि बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा योजना निर्माण में जो भी सुझाव दिये गये है उनका अक्षरशः पालन किया जायेगा । अन्त में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी का आभार व्यक्त किया ।

✦ प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग ✦

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

✦ (अ) आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय ✦

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा,स्वास्थ्य कर्मी, एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1. ऑगनवाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2. ऑगनवाडी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3. ऑगनवाड़ी केन्द्रो को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4. केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5. केन्द्रो के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु अनुपातिक ढंग से अतिरिक्त, मानदेय दिया जाता है।

✦ (ब) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय ✦

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र छात्राओ के उपचार हेतु उनके अभिभावको को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सको की सेवाएं ली जाती है। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

✦ (स) समाज कल्याण विभाग से समन्वय ✦

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु0 जाति के रागी बच्चो को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु

क्रमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

✦ (ढ) ग्राम पंचायतों से समन्वय ✦

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है,जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता हैं।

✦ (य) खाद्य एंव आपूर्ति विभाग से समन्वय ✦

खाद्य एंव आपूर्ति विभाग के समन्वय एंव सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80 प्रतिशत मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा का 3 किलो ग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाकर योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

✦ (र) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय ✦

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल,वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये है कि विकलांगो की सहायर्थ उपकरणों/संयत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

✦ (ल) उ0प्र0 जल निगम/यू0पी0 एग्रो से समन्वय ✦

इन दोनो विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिये पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पो की स्थापना की जाती है।

✦ (ब) युवा कल्याण विभाग से समन्वय ✦

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रो तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओ के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्वि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते है। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

✦ (स) पिछड़ा वर्ग कल्याण एंव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय ✦

इन दोनो विभागो से समन्वय स्थापित कर पिछडी जाति एंव अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एंव आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

✦ (द) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय ✦

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभियकण (डी0आर0डी0ए0) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60 प्रतिशत धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है। जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों का आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागो से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा । उपयुर्क्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापेत है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा ।

अध्याय–4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यो में सर्व शिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कक्षा 1–8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जनपद स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है।:–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चो का विद्यालय, शिक्षा गारेण्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, ब्रैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत्प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चो द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चो द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यो को जनपद के लिये मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जिनका वितरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

✦बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्सन हेतु अपनायी गयी विधा✦

जनगणना 2001 से प्रदेश की जनपद वार जनसंख्या के आँकडे प्राप्त हो गये हैं। जनगणना 1991 की जनसंख्या के आँकडो को आधार मानते हुये विगत 10 बर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुयी बद्धि के आधार पर नीपा नई दिल्ली माडयूल में वर्णित कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मैथेड से जनपद की वार्षिक बृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या बृद्धि दर 1.9 हैं। इस वार्षिक बृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयु वर्गवार जनसंख्या के आँकडे अभी उपलब्ध नही है। अतः जनगणना 2001 की जनसंख्या को प्रतिशत मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6–11 वर्ष की बाल जनसंख्या ज्ञात करने के लिए 14.9 तथा 11–14 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 5.97 का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण/नगरीय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट आँकडे उपलब्ध होने पर इन आँकडो का पुर्नावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओ में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्सन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुये नीपा नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इनरोलमेंट रेसियो मैथेड से 2002 से 2010 तक जी0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी0ई0आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिये नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6–11 के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11–14द्ध के लिये वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूकि कुल नामांकन

में कुछ ओवर ऐज तथा अन्डर ऐज बच्चे भी होगे अतः जी0ई0आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी0ई0आर0 में बृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6–11 वर्ष व 11–14 वर्ष में बढेगे उतने ही लगभग नामांकन में बढेंगे। वर्ष 2001 से 2010 तक का वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की बाल संख्या व नामांकन तथा 11–14 वर्ष की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

✦ प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य ✦

* सारणी 4.1 *

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चो की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बलिका	योग	
2002-03	115576	100153	215729	117633	99026	216659	102%
2003-04	1171959	102055	220044	118109	101006	219115	99.5%
2004-05	120450	103994	224444	120450	105969	226719	100%
2005-06	130331	107982	238313	132331	109982	242313	101.60%
2006-07	132807	110033	242840	135807	111433	247240	101.80%

✦ उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य ✦

* सारणी 4.2 *

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चो की संख्या			नामांकन			जी0ई0आर0
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2002-03	48157	40520	88777	36284	26004	62288	75%
2003-04	49314	41715	91029	39201	29930	69131	79.4%
2004-05	50618	42833	93451	41587	32183	73770	82.8%
2005-06	52805	45038	97843	50655	42927	93582	94.73%
2006-07	54217	46459	100681	54155	46525	100680	100.06%

✦ ठहराव के लक्ष्य ✦

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत जिले की योजना संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तदानुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्रापआउट' कम करने के लक्ष्य निंधारित किये गये है, जो निम्नवत् है।

* सारणी 4.3 *

वर्ष	प्राथमिक स्तर प्रतिशतवार		उ0 प्राथमिक स्तर प्रतिशतवार	
	ड्रापआउट	ठहराव	ड्रापआउट	ठहराव
2001-2002	36	84	17.20	82.50
2002-2003	16	8	15.10	54.90
2003-2004	12	92	11.4	88.60
2004-2005	8	96	8.4	91.60
2005-2006	4	100	4	96
2006-2007	0	100	0	100

परियोजना कियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्रापआउट' के संबंध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक 3 वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्रापआउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्रापआउट ज्ञात करने हेतु प्रथक प्रथक कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रापआउट की दर निकालने के लिये तीन ब्लाक डकोर, जालौन एवं कुठौन्द के पांच– पांच विद्यालयों के आकडे लिये गये और उनके विशलेषण से निकली हुई ड्रापआउट की दर उर्पयुक्त सारणी 4.3 पर अंकित किया गया है।

अध्याय–5

समस्यायें एवं रणनीति

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण है। सर्व शिक्षा कार्ययोजना में उच्च प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनीकरण कर मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप के विचार–विमर्श से उभरे हुये विन्दुओं पर विश्लेषणोपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं संतुलित रणनीति बनाई गई है। इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति,जर्जर/ध्वस्त विद्यालय भवनों का पुर्नःनिर्माण,मरम्मत योग्य विद्यालय भवनों की मरम्मत कार्य,पेयजल की आपूर्ति ,विद्यालयों का सुदृणीकरण व सुन्दरीकरण का प्रयास किया गया है। विद्यालयों में बच्चों के ठहराव हेतु एवं स्कूल के बाहर बच्चों को मुख्य धारा से जोडने पर विशेष बल दिया जायेगा। फोकस ग्रुप से प्राप्त समस्याओं पर रणनीति बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रयास किया जायेगा।

क्रम	समस्यायें	रणनीति
1	बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव	बच्चों की शिक्षा के लिये प्रत्येक अभिभावक अपने मन में विचार रखता है, परन्तु इस भावना के कियान्वयन पर ध्यान कम देता है। ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से उनकी भावना को जागृतकिया जायेगा।
2	आर्थिक एवं सामाजिक पिछडापन	आर्थिक एवं सामाजिक पिछडे पन से ग्रसित अभिभावकों के मन में यह चेतना जागृत की जायेगी कि शासन द्वारा पाठय–पुस्तकें, छात्रवृत्ति, पोषाहार देकर असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है,फिर भी आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में रूचि नहीं ले

		रहे हैं, इस कार्य के लिये सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जायेगा। ऐसे लोगों में शिक्षा के प्रति ललक पैदा करने का प्रयास किया जायेगा।
3	शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध है	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यकमों को जोडा जाय। जिससे छात्र स्वावलंबी बनने के साथ-साथ करके सीखने वी आदत का विकास हो सके। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को कढाई एवं स्थानीय शिल्प सिखाने का प्रबंध किया जायेगा।
4	असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना	डेढ किलोमीटर की दूरी तथा 300 की आवादी वाले ग्रामों /बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जायेगी, तथा 6-8 वर्ष के 30 बालक-बालिकाओं में 01 किलो मीटर विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे तथा 9-14 वयवर्ग के वच्चों के लिये ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्रों में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालयों में जहाँ छात्र संख्या कम है, उन्हें असेवित/मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुनः स्थापित किया जायेगा।
5	भौगोलिक कठिनाई-जैसे नदी/नाले जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध	क्षेत्रीय भौगोलिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुये मानक के अनुसार शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत केन्द्रों को खोलकर कालान्तर में मुख्य धारा से जोडा जायेगा।
6	विद्यालय के सुदृढीकरण पर विचार	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया

		जायेगा।स्कूल में टाट– फट्टी, मेज– कुर्सी, श्यामपट आदि से विद्यालयों को सुसज्जित किया जायेगा। जिन विद्यालयों में पेयजल शौचालय,चाहारदीवारी नहीं है,वहॉ इनका निर्माण प्रस्तावित किया गया है।
7	बच्चों में शिक्षा के प्रति अभिरूचि पैदाकरना	बच्चो को खेल द्वारा शिक्षा कियाशील आधारित पाठ्यकम का निमार्ण करना समय विभाजन चक को अधिक उपयोगी व सार्थक बनाना। क्षेत्र भ्रमण आदि को जोडा जाये। शिक्षा रूचि पूर्ण होनी चाहिये।
8	शिक्षकों के व्यवहार, कुशलतॉ एवं दक्षता में ह्रास	शिक्षकों का छात्रों के साथ व्यहार मृदुल हो शिक्षक की छवि छात्र के मस्तिक में सकारात्मक एवं प्रभावकारी हों शिक्षक अपने विषय वस्तु से पारंगत हो इसके लियें प्रशिक्षण आयोजित करने कों प्रस्तावित किया गया है।
9	विद्यालय में कक्षा मानक के अनुसार अध्यापको की कमी	विद्यालय में 40:01 के अनुपात पर शिक्षण व्यवस्था की जायेगी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से की जायेगी। शिक्षा मित्रो को प्रशिक्षित भी किया जायेगा। कक्षा के अनुरूप अध्यापकों की संख्या होनी चाहियें।
10	विद्यालय का प्रवेश आकर्षक न होना	बच्चों को समूह में बैठाकर शिक्षण कार्यहेतु प्लास्टिक की चटाई आवश्यकतानुसार कय की जायेगी। सहायक शिक्षण सामग्री भी इसी के अनुरूप तैयार की जायेगी विद्यालय प्रगंण को भी छात्रों के सहयोग से सजाया जायेगा।
11	गरीवी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तको का अभाव	कक्षा 1 से 8 तक समस्त छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानें हेतु प्रस्तावित किया गया हैं।
12	अध्यापकों को विद्यालय की सूचनाओं	अध्यापक सूचनाओं के संकलन व आदान

	के संकलन मे लगे रहना अध्यापक सूचनाओं के संकलन व आदान प्रदान में ही न लगें रहें इस लिये सूचनाओ को पहुचाने में श्रम व समय की बचत हो सके।. विकास खण्ड स्तर बी0 आर0 सी0 को कम्प्यूटरीकृत किया जाना प्रस्तावित है।	प्रदान में ही न लगें रहें इस लिये सूचनाओ को पहुचाने में श्रम व समय की बचत हो सके। विकास खण्ड स्तर बी0 आर0 सी0 को कम्प्यूटरीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
13	शालात्यागी बालक/ बालिकों को शिक्षा पर कम ध्यान देना	जो शालात्यागी बालक/ बालिकायें हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिये शिविरो का आयोजन किया जायेगा। अभिभावको को ड्रापआउट बालक/ बालिकाओं को विद्यालय भेजने पर बल दिया जायेगा। माता पिता संघ, किशोरी सघं का सहयोग लिया जायेगा।
14	अध्यापको का अभिभावकों से सर्म्पक का अभाव	अभिभावको का निरन्तर अध्यापक से सम्पर्क, बना रहें। इस हेतु त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलायें और विशेष अपबंचित/उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी।इस सम्मेलन में गुणवत्ता परक,शिक्षा पर बल दिया जायेगा। उनकी समस्याओं की जानकारी करके निदान किया जायेगा।
15	अध्यापक अपने विभाग के अतिरिक्त अन्य कार्यो में व्यस्त रहना	किन्ही विशेष परिस्थितियों में अध्यापक के द्वारा राष्ट्रीय कार्य कराये जायें। एक दिन विद्यालय बंद होने से छात्रों की उपस्थिति व किया कलापों में काफी अन्तर आ जाता है। इसके लिये अध्यापको को पाठन के लिये पूर्ण उत्तर दायी बनाया जायेगा कमजोर बच्चो पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
16	अध्यापक की शिक्षण के प्रति अरूचि	अध्यापको को विषय का समुचित ज्ञान न होने

		के कारण वह शिक्षण कार्य में अरूचि रखता है तथा अन्य किया कलापों में व्यस्त रह कर समय को पूरा करता है । इस समस्या के निदान के लिये विषय,भाषा गणित,विज्ञान ,सामाजिक विषयों आदि का प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे।
17	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन का आभाव	कोटिपरक शिक्षा के लिये सतत एंव प्रभावी मूल्याकंन अति महत्वपूर्ण है। मासिक मूल्याकंन भोगौलिक मूल्याकंन,अर्धवार्षिक मूल्यांकन के पश्चात कमजोर छात्रों के अभिभावको सम्पूर्ण कर स्थापित करके प्रगति कार्ड वितरित किये जावेगे।
18	शैक्षिक निरीक्षण पर्यवेक्षण की कमी	बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 प्रति उप विद्यालय निरीक्षक,सहायक बे0शि0अ0,उप बे0शि0अ0, एंव ग्राम प्रधान,अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के समय समय पर निरीक्षण कराकर उनकी तैयारियो विश्लेषण करते हुये अवगत करया जायेगा। निम्न श्रेणी के विद्यालयो को उच्च श्रेणी में परिवर्तित कराने कर लक्ष्य रखा जायेगा।
19	विकलांग वच्चों के लिये शिक्षण की व्यवस्था	विकलांग बच्चों के लिये समेकित शिक्षण के अन्तर्गत प्रयास किया जायेगा।
20	बाल श्रमिक शिक्षा	इस आयु वर्ग के बच्चो की शिक्षा के लिये अभिभावको को प्रेरित किया जायेगा तथा मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जायेगा। समय समय पर विभाग के अनुसार उनकी उपस्थिति अनिवार्य न करते हुये कुछ समय की शिथिलता भी दी जायेगी परन्तु बच्चो को अधिगम स्तर को अवश्य पूरा कराया जायेगा।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

✦ प्राथमिक स्तर पर नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता ✦

जनपद में पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार 87 असेवित वस्तियॉ चिन्हित की गई थी, जहॉ पर प्राथमिक विद्यालय स्थापना राजकीय मानक के अनुसार हो सकती थी लेकिन संसाधनो के उपलब्ध न होने के असेवित वस्तियो में विद्यालय नही खोले जा सके। 2000 से जनपद में डी0 पी0ई0–।।। के 95 असेवित वस्तियो में प्राथमिक विद्यालय संचालित कर दिये गये है। वर्तमान में असेवित वस्तियो में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में सभी छात्रो की पहुँच प्राथमिक विद्यालयो तक नही हो सकी है।

✦ उच्च प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालय ✦

दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा चार सहायक अध्यापको की नियुक्ति की जायेगी।

*** सारणी 6:1 ***

	ग्रामीण	नगर	योग	पूर्ति
उच्च प्राथमिक विद्यालयो की आवश्यकता	146	-	146	136
वर्तमान प्राथमिक विद्यालय	1043	64	1125	120
वर्तमान में उपलब्ध उ0प्रा0वि0	183	12	195	331

अतः सर्व शिक्षा अभियान में कुल 136 उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। इन विद्यालयों की स्थापना के पश्चात् असेवित वस्तियॉ स्वतः सेवित हो जायेगी।

✦ शिक्षक की व्यवस्था ✦

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है जो उत्तरोत्तर छात्र संख्या के अनुपात में बढायी जायेगी; प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा चार सहायक अध्यापकों सहित कुल पॉच अध्यापको की व्यवस्था प्रस्तावित है। चार अध्यापको में से एक विज्ञान एक गणित तथा बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु 50 प्रतिशत महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी। आगामी वर्षो में वर्षवार

2006–07 तक आवश्यक प्रा0 स्तर के अध्य.पको कुल 1666 की अतिरिक्त व्यवस्था 833 शिक्षा मित्र तथा 833 अध्यापको की नियुक्ति कर की जायेगी। उ0 प्राथमिक स्तर में आवश्यक 1655 अध्यापको की अतिरिक्त व्यवस्था जिसमें से 827 शिक्षा मित्र एवं 828 अध्यापको की नियुक्ति कर की जायेगी।

✦ विद्यालय साज-सज्जा ✦

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयो को सुसज्जित करने के उददेश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें टाट पटटी, मेज, कुर्सी, श्याम पट्ट उसे अध्यापको के लिये अलमारी, संदूक, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एंव अन्य सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को कय किया जायेगा। मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, ग्लास, घण्टा, कूडा दान, म्यूजिकल इक्यूपमेंट(ढोलक, मजीरा, हरमोनियम, बासुरी आदि) कीडा सामग्री (फुटबाल, बालीवाल, हवा भरने का पम्प, क्लाश रूम टीचिंग मटेरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू इन वन आदि आदि) शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी। उ0 प्राथमिक विद्यालय तथा सहायता प्राप्त उ0 प्रा0 वि0, राजकीय मा0 विद्यालयों, सहायता प्राप्त मा0 विद्यालयों में साज सज्जा हेतु प्रति विद्यालय प्रति वर्ष रू 2000 अनुदान के रूप में दिये जायेगे।

परिषदीय प्रा0 एवं उ0 प्रा0 विद्यालयो में प्रति वर्ष रू 5000 की दर से अनुदान के रूप में सामग्री कय हेतु दिये जायेगे।

✦ पेयजल शौचालय एंव चहारदीवारी ✦

नवीन प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयो में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का द्वितीय,हैण्डपम्प लगवाये जायेगे। प्रत्येक विद्यालय में बालक और बालिका के लिये पृथक्–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा,बालिकाओं की

सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एंव सुरक्षित करने के उददेश्य से चाहरदीवारी का निर्माण कराया जायेगा ।

✦ निर्माण कार्यदायी संस्था ✦

सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयो के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उददेश्य से विद्यालय भवनो के निर्माण के उददेश्य से ग्राम शिक्षा समितियो को दायित्व सौपा गया है।

✦ नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था ✦

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्रा0 वि0 पर एक उच्च प्रा0 वि0 की उपलब्धता बनाई गई हैं। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्ड पम्प, शौचालय आदि यथा सम्भव उपलब्ध है। जनपद जालौन में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खालने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनाई गयी हैं। सम्यक विचारों उपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयो की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्ड पम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनो का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्ड पम्प शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

✦ शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण ✦

सर्व प्रथम नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र/ छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद जालौन में नवीन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालय में भौतिक सुविधाओं के आकलन हेतु त्वरित सर्वक्षेण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके

आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लियें रू0 दो लाख का वित्तीय प्राविधान प्रति वर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आँकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

✦ विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ✦

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्ड पम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेगें। निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था विवरण अध्याय–10 परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया हैं।

✦ शिक्षा की व्यवस्था ✦

जनपद में कुल प्रा0 वि0 वर्तमान में 1202 है तथा कुल उ0 प्रा0 वि0 331 है। प्रा0 विद्यालय हेतु आगामी वर्षो में 852 अतिरिक्त कक्षा कक्षो की अवश्यकता होगी तथा प्रा0 वि0 हेतु अतिरिक्त 1666 अध्यपको की आवश्कता होगी। उ0 प्रा0 वि0 हेतु 635 अतिरिक्त कक्षा कक्षो की अवश्यकता तथा विद्यालय में 1655 अध्यपको की अतिरिक्त व्यवस्था 2006–07 तक शिक्षा मित्र अध्यापक 50:50 में की जायेगी।

अध्याय–7

शिक्षा की पहुंच का विस्तार ।।

✦ *शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा* ✦

संविधान मे लिए गये संकल्प के अनुसार प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूल रहित बस्तियों में रहने वाले बच्चों,ड्राप–आउट करने वाले बच्चों,पूरे समय तक स्कूल में न रहने वाले बच्चों तथा गृहकार्य या मजदूरी करने के कारण शिक्षा प्राप्त न कर पाने वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए 2 अक्टूबर 1980 से अनौपचारिक शिक्षा कार्यकम प्रारम्भ किया गया था। कतिपय कारणों से यह कार्यकम अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर सका। अपेक्षित सफलता न मिलने के कारणों व अन्य स्थितियों का सर्वेक्षण व समीक्षा करने के उपरान्त वर्ष 2001–02 के केन्द्रीय बजट में इस कार्यकम को समाप्त कर उसके स्थान पर शिक्षा गारण्टी योजना / वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यकम प्रारम्भ किया गया।

उक्त योजना को मुख्यतयः तीन भागों मे विभाजित किया गया है।

1 राज्य सरकार द्वारा संचालित ई0जी0एस0/ए0आई0ई0, ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से योजना का संचालन।

2 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों का संचालन।

3 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित नवाचार एवं प्रयोगात्मक परियोजनायें।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यकम की विफलता के प्रमुख कारणों मे निम्न प्रमुख हैः –

- अनुदेशक को मात्र 200 रु मासिक मानदेय मिलता था।
- सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से नहीं हो पाता था।
- अध्ययन के लिए मात्र 2 घंटे का समय निर्धारित था।

- परियोजना अधिकारियों में अपने भविष्य की अनिश्चितता के कारण केन्द्रों का प्रभावी निरीक्षण नहीं हो पाता था।

✦ वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु निम्नवत् है। ✦

1. वैकल्पिक शिक्षा कार्यकम विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलाया जा रहा है।
2. यह कार्यकम उन बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प है जो पारिवारिक परिस्थितियों, अर्थोपार्जन एवं अन्य सामाजिक कारणों से विद्यालय जाने की उम्र होने पर भी पढ़ने नहीं जा सके।
3. यह उन बच्चों के लिए भी एक सुअवसर है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने तो गए लेकिन प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय जाना छोड़ दिया।
4. वर्तमान समय में ऐसा पाया जाता है कि 6 से 14 वर्ग के कुल बच्चों में 15 प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाते ही नहीं।
5. जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं उनमें भी आधे बच्चे ही कक्षा 5 की लगातार नियमित शिक्षा ग्रहण करते हैं।
6. आधे बच्चे परिस्थितियों से विवश हो बीच की कक्षा में ही शालात्यागी (ड्राप आउट)के रूप में विद्यालय जाना छोड़ देते हैं।
7. कुछ पैत्रक व्यवसाय में अभिभावक की मदद करते हैं। ऐसे बच्चे अपने अभिभावको के साथ शहरी क्षेत्रो में समयानुसार चले जाते है एवं कार्य पूर्ण होने पर अपने निवास पर आ जाते है।
8. कुछ बच्चे विशेषकर लड़कियां माता–पिता के काम पर चले जाने पर अबोध शिशुओं की देखभाल के लिए घर पर रहते हैं।
9. कुछ बच्चे समय पर विद्यालय न जाने और बाद में अधिक आयु हो जाने पर झेंप अथवा मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण स्कूल नहीं जाते हैं।
10. कुछ बच्चे परिवार की आर्थिक विवशता के कारण स्कूल में नहीं जाते हैं।

11. कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हुए भी प्रतिदिन 6 घंटे का समय शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं दे पाते।

इन सभी बच्चों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक ऐसे वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई जिसमें शिक्षार्थी की परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करने की गुंजाईश हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

✦ *भौगोलिक परिस्थितियाँ* ✦

रामपुरा,नदीगॉव,महेवा विकास खण्ड बीहड़ पटटी पर आते है। जहॉ पर दूरी अधिक होने पर 0–6 वय वर्ग के बच्चों को स्थानीय स्तर पर विद्याकेन्द्र देना आवश्यक है उक्त केन्द्र को स्थानीय हाईस्कूल पास आचार्य के रूप में केन्द्र की संचालित करेगें।

दस्यु प्रभावी क्षेत्रः-

रामपुरा, माधौगढ़ व नदीगॉव विकास खण्ड की बीहड़ पटटी पर बसे ग्रामो में शिक्षा व्यवस्था हेतु वहॉ पर निवास करने वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों हेतु स्थान से हटकर वि0ख0 स्तर पर ब्रिजकोर्स शिक्षा माडल द्वारा व्यवस्था की जायेगी।

बाढ़ ग्रस्तताः-(ई0जी0एस0/ए0आई0ई0):-

बाढ की दृष्टि से रामपुरा,नदीगॉव व महेवा विकास खण्ड में यमुना नदी से व नदीगॉव पहुज आदि की बाढ के कारण क्षेत्रीय लोग विस्थापित हो जाते है एंव उन स्थानों पर संचालित प्राथमिक विद्यालय भी बन्द हो जाते है। इन परिस्थितियों में वहॉ पर वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से ब्रिज कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है।

✦ *वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न स्वरूप* ✦

✳ *मकतब/मदरसा* ✳

इनकी व्यवस्था मुख्यतः अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों विशेषकर बालिकाओं के लिए की जायेगी। इनमें उसी समुदाय से अनदेशक/अनुदेशिका का चयन किया

जायेगा जहां मकतब/मदरसा स्थापित है। इनमें सम्बंधित अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति एवं परम्पराओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक स्तर पर जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान की जायेगी। 20 ए0स0 विद्यालय/मकतब मदरसा के रूप में अलपसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत खोले जायेगे जो वर्ष 2005 से इस योजना से संचालित होगे।

* ब्रिज कोर्स *

ग्रीष्मकालीन क्षेत्र आधारित कोर्स सड़क, प्लेटफार्म, दुकानों, घुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक पत्थर की खानों में कार्य करते हैं अथवा बाल श्रमिक, खतरे के उद्योगों में लगे बच्चे जिनका वय वर्ग 9 से 14 है। ब्रिज कोर्स संचालित किया जायेगा। यह शिविर आवासीय होंगे। इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स शिविरों के लिए केयर टेकर 2, पैरा टीचर 1, कुक (रसोईया) 1 तथा चौकीदार 1 की आवश्यकता होगी। इनका चयन मानक प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी। ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जहां पर निशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध हो सके; यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकासखण्ड, जनपद मुख्यालय में स्थापित हो। इनकी अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायेगी। इस हेतु 3 हजार रूपये प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी। वर्ष 2002 से प्रति वर्ष एक–एक ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

ग्रीष्म कालीन हाउस होल्ड सर्वे के दौरान कुल 20661 बच्चे स्कूल से बाहर चिंहित किये गये थे। जिनमें स्कूल चलो अभियान के अर्न्तगत 17820 बच्चों को स्कूल मे नामांकित कराया गया। अवशेष बचे बच्चों में 1159 बच्चें माईग्रेटेड परिवारो से संबधित है एवं 2800 बच्चों हेतु जनपद के 81 न्याय पंचायतो में गैर आवासीय ब्रिज कोर्स एवं बालिकाओ हेतु 3 आवासीय ब्रिज कोर्स एवं 7 अनुसूचित जाति के

हाउस होल्ड सर्वे -2003-04

क0सं0	ब्लाक का नाम/नगर क्षेत्र	कुल बच्चों की संख्या				बालक बालिका का योग		स्कूल न जाने वाले बच्चें की संख्या						बालक बालिका का योग		
		बालक		बालिका				बालक			बालिका					
		6 to 11	11 to 14	6 to 11	11 to 14	6 to 11	11 to 14	5+ to 6+	7 to 10+	11 to 14	5+ to 6+	7 to 10+	11 to 14	5+ to 6+	7 to 10+	11 to 14
1	रामपुरा	7921	3832	7155	2927	15076	6759	758	445	299	556	494	262	1314	939	561
2	माधौगढ	9773	5319	8402	4668	18175	9987	646	411	249	540	288	258	1186	699	507
3	कोंच	7685	3978	6522	3257	14207	7235	7	32	124	0	7	34	7	39	158
4	कुठौंद	9261	5116	8032	4078	17293	9194	90	[illegible]	77	131	61	133	221	134	210
5	जालौन	8867	4700	7365	3907	16232	8607	143	179	230	107	140	230	250	319	460
6	नदीगाँव	12017	6689	10623	5418	22640	12107	531	374	220	367	250	228	898	624	448
7	कदौरा	13051	7189	10749	5666	23800	12855	626	857	922	478	498	646	1104	1355	1568
8	महेवा	8188	3983	6925	2940	15113	6923	731	263	218	520	253	279	1251	516	497
9	डकोर	15443	7016	13946	5791	29389	12807	812	449	394	537	392	355	1349	841	749
10	नगर क्षेत्र कोंच	2094	986	1686	860	3780	1846	416	295	120	372	223	126	788	518	246
11	नगर क्षेत्र उरई	4390	2560	2653	2127	7043	4687	55	42	62	61	35	65	116	77	127
12	नगर क्षेत्र जालौन	2283	1476	2050	1284	4333	2760	81	68	63	74	54	45	155	122	108
13	नगर क्षेत्र कालपी	1141	738	1024	643	2165	1381	42	38	33	37	28	22	79	66	55
	योग	102114	53582	87132	43566	189246	97148	4939	3526	3011	3780	2723	2683	8718	6249	5694
	जातिवार															
1	सामान्य							953	548	358	776	44	395	1729	592	753
2	अनु0जाति							1471	948	1022	1002	872	930	2473	1820	1952
3	पिछडी जाति							1879	1495	1051	1465	1406	984	3344	2901	2035
4	अल्पसंख्यक							635	535	580	537	401	374	1172	936	954
	योग							4938	3526	3011	3780	2723	2683	8718	6249	5694

कारण विवरण सहितः–				कारण विवरण सहित आयुवारः–						
				5+ to 6+	5+ to 6+	7 to 10+	7 to 10+	11 to 14	11 to 14	कुल
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक	
1 धर के काम मे लगे रहना	3727	3135	6862	1413	995	1110	927	1204	1213	6862
2 मजदूरी में लगे रहना	780	[illegible]	1253	161	184	244	182	375	107	1253
3 भाई बहन की देख भाल करना	1918	2432	4350	901	837	618	967	399	628	4350
4 विद्यालय दूर होने के कारण	535	674	1209	213	255	180	207	142	212	1209
5 अन्यकारण	4515	2472	6987	[illegible]	1509	1374	440	891	523	6987
योग	11475	9186	20661	4938	3780	3526	2723	3011	2683	20661
स्कूल चलो अभियान 31जुलाई 2003 तक कुल नामांकन				4938	3780	2586	2096	2390	2030	17820

लिये ब्रिज कोर्स संचालित किये जा रहे है। जिनके माध्यम से अवशेष स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने का प्रयास किया जा रहा है।

* ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्र *

इस योजना के तहत् 6–14 वय–वर्ग (विकलांगों के लिए 6–18) के बच्चों को चिन्हित कर उन्हे औपचारिक विद्यालयों अथवा शिक्षा गारन्टी योजना के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा। ई0जी0एस0(विद्या केन्द्र) के शिक्षकों को आचार्य जी तथा ए0आई0ई0 केन्द्रों (ज्ञान केन्द्र और ज्ञान शाला) के शिक्षकों को गुरू जी /दीदी जी कहा जायेगा।

* अनुदेशक चयन *

अनुदेशक का चयन उसी स्थान एंव समुदाय का होगा जहॉ पर शिक्षा गारण्टी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट ग्राम का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी इस हेतु महिलाओ को प्राथमिकता दी जायेगी । अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाई स्कूल परीक्षा के अंको के प्रतिशत को श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमन्त्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है । ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी,शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र ,सभासद सम्बन्धित बार्ड,नगर क्षेत्र का वरिष्टतक प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के

इच्छुक होने की स्थिति में मकतवो/मदरसों में संचालित होने वाले केंन्द्रो को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो की मकतबो में संचालित होने वाले केन्द्रो में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एंव उसके चयन के सबंध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी । चयन प्रकिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मिलित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रो के लिये अनुदेशक की न्यूतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। जहॉ पर स्नातक अभ्यार्थी उपलब्ध न हो वहॉ पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यार्थी का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के सबंध में अनुदेशक एंव ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्सर के साथ संलग्न किया जायेगा।

* अनुदेशक का प्रशिक्षण *

अनुदेशकों का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेंटर पर आयेाजित किया जायेगा । प्रत्येक चयनित अनुदेशक का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0/बी0आर0सी0/ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक,संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायगा प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू0 1500•00 प्रति अनुदेशक की दर से धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेशक को मानदेय के रूप में कोई धनराशि देय नही होगी।

* अनुदेशक मानदेय वितरण *

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के प्रारम्भ होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुदेशक के मानदेय की धनराशि 1000/–प्रति अनुदेशक की दर से सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष एंव सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा । मानदेय की एक बार में छः माह की अग्रिम धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खातो में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र में संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के अनुदेशको के मानदेय का भुगतान शिक्षा अधीक्षक नगर/प्रोग्राम आफीसर/प्रोग्राम पर्सन एंव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुदेशक के संतोषजनक कार्य किये जाने पर किया जायेगी । यह धनराशि नगर क्षेत्र के सम्बन्धित सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। तत्पश्चात् चेक द्वारा अनुदेशक को भुगतान किया जायेगा।

* पर्यवेक्षण *

शिक्षा गारण्टी एंव वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के सफल संचालन हेतु अकादिमक सहयोग एंव नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0/ब्लाक रिसोर्स पर्सन/ब्लाक रिसोर्स सेक्टर/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/बी0 आर0 सी0 प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की वार्षिक बैठके भी ली जायेगी। जिसमें ब्लाक आफीसर्स/रिसोर्स पर्सन/स0 वे0 शि0 अधिकारी/जि0 बे0 शि0 अ0/उप बे0 शि0 अधिकारी भी समय समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करेगें । निकटस्थ प्राथमिक /उच्च प्रार्थमिक विद्यालयो के प्रधानाध्यापको एंव अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रो का पर्यवेक्षण करते

रहेगे न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेगे।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय–समय पर अपने सुझाव अनुदेशको/अनुदेशिका को देगी। ब्लाक में डी0आर0यू0 प्रभारी एंव उनके अधीनस्थ सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रो का नियमित पर्यवेक्षण करेगे। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।

* निःशुल्क शिक्षण सामग्री *

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एंव शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य, पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी । शिक्षा केन्द्रो पर नामांकित सभी बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रू0 845•00प्राथमिक तथा रू0 1200•00 उच्च प्राथमिक) से किया जायेगा । शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जायेगा।

शिक्षा गारण्टी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेगी।

* छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन *

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एंव शिक्षा गारण्टी केन्द्रो में पढने वाले बच्चों का सतत् एंव नियमित मूल्यांकन किया जायेगा । इसके लिये अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी । बच्चो का तिमाही,छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक

तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में पढने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्यधारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो किसी भी समय प्रवेश पा जाये । अनुदेशक का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र पर पढने वाले बच्चे शीघ्र एंव अधिक से अधिक संख्या मे शिक्षा की मुख्यधारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहे। इसी परिपेक्ष्य में अनुदेशक का मूल्याकंन भी ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा । अनुदेशको द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एंव ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रो में अध्ययनरत बच्चे जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्यकम पूर्ण कर लेगे उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0 द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

* प्रबन्धन लागत *

उक्त केन्द्रो की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एंव जिला/विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक/ प्रबन्धन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत रखी जायेगी।

80–100 केन्द्रो के मध्य	: 2.50 लाख रू0 प्रति वर्ष
50–80 केन्द्रो के मध्य	: 2.00लाख रू0 प्रति वर्ष
25–50 केन्द्रो के मध्य	: 1.50 लाख रू0 प्रति वर्ष
25 केन्द्रो के कम	: 100.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

* सर्वेक्षण *

6-8 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या(ई0जी0एस0)

*** सारणी नं0 7:1 ***

क्रम सं0	विकास खण्ड	अनुसूचित जाति			पिछड़ी			अल्प संख्यक			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	रामपुरा	53	54	107	57	58	115	17	17	34	83	87	170	210	426	636
2	कुठौंद	88	82	170	95	89	184	28	26	54	140	131	271	351	328	679
3	माधौगढ़	39	34	73	40	36	76	13	11	24	65	54	119	157	135	292
4	जालौन	58	43	101	63	43	106	19	14	33	93	73	166	233	173	406
5	नदीगांव	74	74	148	80	80	160	24	23	47	119	118	237	297	295	592
6	कोंच	29	27	56	29	29	58	99	18	117	42	42	84	199	116	315
7	डकोर	76	96	172	82	103	185	24	31	55	121	152	273	303	382	685
8	महेवा	34	47	81	36	51	87	11	15	26	54	76	130	135	189	324
9	कदौरा	102	100	202	110	108	218	33	32	65	162	161	323	407	401	808
10	नगर क्षेत्र उरई	19	14	33	21	15	36	6	4	10	30	21	51	76	54	130
11	नगर क्षेत्र कोंच	29	29	58	32	31	63	9	9	18	47	47	94	117	116	233
12	नगर क्षेत्र कालपी	[illegible]	[illegible]	14	8	7	15	2	2	4	13	12	25	30	28	58
13	नगर क्षेत्र जालौन	28	30	58	30	33	63	9	10	19	44	48	92	111	121	232
	योग	636	637	1273	683	683	1366	294	212	506	1013	1022	2035	2626	2764	5390

स्रोत-जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय

6-8 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत कक्षा 1-2 तक की शिक्षा देकर प्राथमिक पाठशाला में कक्षा 3 में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ा जायेगा। ई0जी0एस0 केन्द्र का यह स्वरूप औपचारिक विद्यालय की भांति होगा। प्रथम चरण में 70 केन्द्र प्रस्तावित है।

9–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या(ई0जी0एस0)

* सारणी नं0 7:2 *

क्र0 सं0	विकास खण्ड	अनुसूचित जाति			पिछड़ी			अल्प संख्यक			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	रामपुरा	185	215	400	199	232	431	59	69	128	295	344	639	738	860	1598
2	कुठौंद	237	167	404	256	180	436	76	53	129	380	267	647	949	667	1616
3	माधौगढ़	132	131	263	142	141	283	42	42	84	211	210	421	527	524	1051
4	जालौन	119	88	207	128	95	223	38	28	66	189	141	330	474	352	826
5	नदीगाँव	151	150	301	163	161	324	48	48	96	242	240	482	604	599	1203
6	कौंच	56	51	107	60	59	119	18	17	35	88	91	179	222	218	440
7	डकोर	154	195	349	166	210	376	49	62	111	246	311	557	615	778	1393
8	महेवा	132	205	337	143	222	365	42	66	108	211	287	498	528	780	1308
9	कदौरा	207	204	411	223	220	443	66	65	131	331	326	657	827	815	1642
10	नगर क्षेत्र उरई	22	85	107	24	92	116	8	27	35	36	139	175	90	343	433
11	नगर क्षेत्र कौंच	59	148	207	64	160	224	19	47	66	95	238	333	237	593	830
12	नगर क्षेत्र कालपी	15	14	29	16	15	31	9	8	17	21	22	43	61	59	120
13	नगर क्षेत्र जालौन	57	62	119	61	67	128	33	37	70	75	81	156	226	247	473
	योग	1526	1715	3241	1645	1854	3499	507	569	1076	2420	2697	5117	6098	6835	12933

स्रोत-जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय

जनपद में शैक्षिक संस्थाये पर्याप्त हाने के वाद भी एंव डी0पी0ई0 के द्वारा संचालित विद्या केन्द्रो के बावजूद 6–8 वय वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों की पर्याप्त संख्था है। जिनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने के लिये वै0शि0 केन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्था करना है।

जनपद जालौन में 9 विकास क्षेत्रों तथा नगर क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के दौरान 6 से 8 वय वर्ष के स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या 2626 बालक एवं 2764 बालिकायें कुल 5390 पायी गयी हैं। आगामी 6 वर्षो में 16 केन्द्र संचालित किये जाने की योजना है।

वर्ष वार विद्या केन्द्रो का विवरण निम्नवत् है।

** सारिणी 7:3 **

कमांक	वर्ष	पूर्व से संचालित (डी0पी0ई0पी0 से)	नवीन केन्द्र	योग
1	2002-2003	35	10	45
2	2003-2004	35	10	45
3	2004-2005	35	10	45
4	2005-2006	35	10	45
5	2006-2007	35	6	41
6	2007-2008	35	-	35
	योग	**35**	**46**	**81**

✦ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्राथमिक स्तर ✦

पूर्व संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना, वैकल्पिक शिक्षा में जिन मुख्य बिन्दुओं से पुनरीक्षित हुयी है वे हैं।

1. केन्द्रो का संचालन समय 2 के स्थान पर 4 घण्टे।
2. मानदेय रू0 1000/– प्रति माह।
3. 6 से 11 प्राथमिक स्तर के स्थान पर 11 से 14 वय वर्ग हेतु उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रो का संचालन।
4. 10 दिन के स्थान पर केन्द्र संचालन पूर्व 30 दिन का अनिर्वाय प्रशिक्षण।

5. प्रथम बार नगर क्षेत्र में भी वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रो की स्थापना।

जनपद जालौन में वर्ष 2002–03 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या जो निकल कर आयी है उसमे 540 बच्चे घुमन्तू बच्चे, 5016 काम काजी बच्चे, 833 स्ट्रीट चिल्ड्रन, 2163 विकलांग बच्चें कुल 8552 बच्चे शामिल है। शेष 4381 बच्चे गरीबी रेखा के नीचे अशिक्षा एवं रूढ़ीवादिता के कारण स्कूल से बाहर है। इनकी शिक्षा हेतु वर्ष 2002– 2007 तक चरणवद्ध रूप से 34 प्राथमिक स्तर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है जिसका वर्ष वार विवरण निम्नवत् है।

** सारिणी 7:4 **

कमांक	वर्ष	पूर्व से संचालित (डी0पी0ई0पी0 से)	नवीन केन्द्र	योग
1	2002-2003	35	-	35
2	2003-2004	35	-	35
3	2004-2005	35	6	41
4	2005-2006	35	6	41
5	2006-2007	35	6	41
	योग	**35**	**34**	**69**

✦ उच्च प्राथमिक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ✦

जनपद जालौन में 1125 प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष मात्र 195 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। सर्व शिक्षा अभियान में 146 उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता का लक्ष्य है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की कमी के कारण 11 से 14 वय वर्ग के बच्चे अधिकांशतया बालिकायें कक्षा 5 के बाद नहीं पढ़ पाती। इसके लिये जनपद के 9 विकास खण्डो एवं चारों नगर क्षेत्रो के 13 मलिन बस्तियों को

सम्मिलित करते हुयें 71 उच्च प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो का लक्ष्य है। वर्तमान में जनपद में स्थिति 183 उच्च प्राथमिक विद्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) से 954 ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय सेवित मानते हुयें शेष प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों के साथ एक उच्च प्राथमिक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित करने की योजना है। जिसका वर्ष वार विवरण निम्नवत् है।

** सारिणी 7:5 **

कमांक	वर्ष	पूर्व से संचालित	नवीन केन्द्र	योग
1	2002-2003	-	-	-
2	2003-2004	-	18	18
3	2004-2005	-	18	18
4	2005-2006	-	18	18
5	2006-2007	-	18	18

✦ *बालिका शिक्षा* ✦

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद जालौन में राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर की तुलना में अत्यन्त दयनीय है जनपद के 6 कम साक्षरता वाले विकास खण्डों को प्रथम चरण में बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण की दृष्टि से पुरोतसाहित करने हेतु चुना गया है यह विकास खण्ड निम्न वत् हैं।

** सारिणी 7:6 **

कमांक	विकास खण्ड का नाम	महिला साक्षरता प्रतिशत	शिक्षा से वंचित बालिकायें (वय वर्ग)	
			6 से 8	9 से 14
1	महेवा	15.9%	189	780
2	कदौरा	19.1%	401	815
3	रामपुरा	22.7%	426	860
4	नदीगॉव	25.8%	295	599
5	कुठौद	28.4%	328	667
6	माधोगढ़	29.7%	135	524
योग			**1774**	**4245**

कम महिला साक्षरता वाले इन विकास खण्डो में सर्वेक्षण के द्वारा कुछ तो सामान्य कारण समने आये जिनकी वजह से प्रायः महिला साक्षरता दर कम पायी जाती है जैसेः–

1. लिंग भेद ग्रसित मानसिकता के कारण बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को कम महत्व देना।
2. नवजात शिशु की देख रेख एवं घर के काम काज में सकिय एवं प्रमुख भागीदारी।
3. सह शिक्षा हेतु कुछ प्राथमिक स्तर पर अभिभावकों का तैयार न होना।
4. चिट्ठी– पत्री पढ़ लिख लेने की दक्षता को ही बालिकाओं के लिये पढ़ी लिखी होने की दृष्टि से पर्याप्त मानना आदि।
5. रामपुरा, नदीगाँव एवं महेवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां बाढ़ के समय एवं बाद में भी महीनों तक सम्पर्क मार्ग पर पानी रहने से अनेक ग्रामों का सम्पर्क भंग रहता है।
6. रामपुरा व नदीगाँव बीहड क्षेत्र आज भी है। बीहड के होने से आवागमन की दृष्टि से असुरक्षा होने के कारण बालिका शिक्षा पर काफी प्रभाव पडता है।

उक्त सभी कारणों के चलते बालिकाओं की शिक्षा में निम्न समस्यायें लक्षित होती है।:–

1. अभिभावकों में जागरूकता एवं उत्साह की कमी के कारण न्यून नामांकन प्रतिशत।
2. प्राथमिक स्तर पर कदौरा में 58%, कठौंद में 53% एवं माधौगढ़ में 48% प्रतिशत ड्राप आउट होना है।
3. प्रौढ़ महिला निरक्षरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, जो आगे चलकर बालिका शिक्षा को प्रभावी करती है।
4. शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों मे बालिकाओं को बालकों से कम महत्व।

इसके अतिरिक्त बालिकाओं में नामांकन, ठहराव एवं साक्षरता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण यह भी है कि आवागमन की सुविधा को देखते हुयें

लगभग 90% महिला शिक्षिकाये नगर क्षेत्र के निकटवर्ती सीमा पर स्थित विद्यालयों में या ग्रामीण क्षेत्रों मे रोड साइड के स्कूलों में तैनाती करा लेती है। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती इलाकों मे स्थित अधिकांश विद्यालयों में महिला शिक्षक नहीं है। इस कारण भी बालिकाओं का नामांकन कम होता है। जनपद जालौन में 6 से 8 वय वर्ग की लगभग 1774 एवं 9 से 14 वय वर्ग की लाभग 4245 बालिकायें सम्प्रति स्कूल नहीं जा रही है। इसके लिये निम्नवत् रणनीति अपनायी जायेगी।

✦ संघन एवं सतत् जागरूकता शिविर ✦

जब हम महिला साक्षरता एवं सशक्तीकरण की बात करते है तो प्रायः हमारा अभिप्राय शिक्षा से वंचित फोकस ग्रुप को जागरूक बनाने से होता है।

- ✓ किन्तु हमारी रणनीति इस परिपाटी से भिन्न है।
- ✓ हमारा मानना है कि बालिकाओं की साक्षरता के अवरोध के प्रसंग में बालिकाओ की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यक उनके अभिभावकों की जागरूकता है क्योकि बालिकाओं की दिनचर्या एवं परिवेश को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की मानसिकता एवं दृष्टि कोण में बदलाव नहीं आयेगा तो केवल बालिकाओं में जागरूकता लाने का प्रयास करके सफलता नही पा सकेंगे।
- ✓ इस प्रकार दूसरा कारण यह भी है कि वर्षो से चली आ रही रूढ़ीवादिता या गलत मंसिकता को मात्र एक दो कैम्प लगाकर दूर नहीं किया जा सकता इस कार्य में सफलता हेतु हमें इस आन्दोलन की गतिविधियों में निरन्तरता बनाये रखनी होगी, एक निश्चित अन्तर पर बार बार शिविरो का आयोजन करना होगा तथा सम्प्राप्तियों की समीक्षा करनी होगी।

✦ साक्षरता मेलो का आयोजन एवं फिल्म प्रर्दशन ✦

ग्रामीण परिवेश में आज भी परम्परिक रीति रिवाजो का जीवन की गतिविधियों पर गैहरा असर है। प्रायः देखा जाता है कि भईया दूज, गंगा दशहरा

शिवरात्रि आदि पर्वो पर महिलाओं/ बालिकाओं के किसी निश्चित स्थानो पर एकत्र होने की परम्परा होती है। ऐसे स्थानो को चिन्हित कर वहां मेले प्रर्दशनी, कठपुतली प्रर्दशन आदि के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जायेगा।

टी. वी. के प्रचार एवं फिल्मों के प्रति ग्रामीण समुदाय के आकर्षण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से रात्रिकालीन सचल प्रर्दशन यूनिट के द्वारा भी न्याय पंचायत स्तर पर पूर्व सूचना देकर बी0 सी0 आर0 द्वारा "मीना" एवं अन्य प्रेरक फिल्मों का प्रर्दशन कर वातावरण सर्जन किया जायेगा।

* *लक्ष्य* *

1. प्रथम चरण में जनपद के सभी 9 विकास खण्डों में ग्रीष्म कालीन जागरूकता एवं वातावरण सृजन अभियान चला कर जुलाई 2002 के सत्र में बालिका नामांकन 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि करना।
2. बालिकाओं की ड्रापआउट दर में 10– 15 प्रतिशत दर का कमी लाना।
3. न्यून महिला साक्षरता वाले 6 विकास खण्डों में 6– 8 वय वर्ग की शिक्षा से वंचित बालिकाओं में से 40% नामांकन परिषदिय विद्यालय में नामांकन करना है।
4. कम महिला साक्षरता वाले 6 विकास खण्डों मे ई0 जी0 एस0 एवं ए0 आई0 ई0 केन्द्रो की स्थापना कर वंचित बालिकों में 60– 80 प्रतिशत को प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपल्बध कराना। ई0 जी0 एस0/ ए0 आई0 ई0 केन्द्रो पर उपल्बध होने पर केवल माहेला अनुदेशकाओं को कार्य योजित किया जायेगा। विकास खण्ड कदौरा एवं रामपुरा में 30 दिवसीय कैम्प का आयोजन एन0 जी0 ओ0 के माध्यम से करा कर कैम्प में सामिल बालिकाओं का परिषदीय विद्यालय में सत् प्रतिशत नामांकन करना। विकास खण्ड में सार्वाधिक नामांकन वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ शिक्षकों कों सम्मानित किया जायेगा।

विकास खण्ड रामपुरा एवं कदौरा में कृषि एवं मजदूरी मे लगी बालिकाओं हेतु–

I. तीन दिवसीय कैम्प लगाकर उनमें जागरूकता उत्पन्न कर पढने की इच्छुक बालिकाओं की पहचान करना।

II. तीन माह का ब्रज कोर्स आयोजित कर चिन्हित बालिकाओं का सत् प्रतिशत नामांकन कराना।

5. बाढ़ प्रभावित नदीगाँव एवं महेवा विकास क्षेत्रो में 30 के मानक को सिथिल करते हुयें 10– 15 बालिका की उपलब्धता पर भी ई0 जी0 एस0/ ए0 आई0 केन्द्रो की स्थापना करना उपयुक्त होगा। जिस प्रकार बालिका शिक्षा सम्पूर्ण साक्षरता का मूल आधार है उसी प्रकार:–

I. प्रभावी जागरूकता अभियान।

II. निरापद पहुंच के भीतर पढ़ने की सुविधा ये दो कारण ऐसे है जिन्हे मूल मंत्र के रूप में स्वीकार करने पर ही सर्व शिक्षा अभियान सफल हो सकता है।

* *मलिन बस्ती में ए0 आई0 ई0 योजना* *

पूर्व संचालित अनऔपचारिक शिक्षा योजना में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के आच्छादन की व्यवस्था होने के कारण, नगर क्षेत्र तक के बच्चों तक योजना का कोई लाभ नहीं पहुच सका। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ए0 आई0 ई0 के केन्द्रो द्वारा नगर क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चो के लिये भी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

जनपद जालौन में नगर क्षेत्र के स्कूल ना जाने वाले बच्चों को 2 चरण में प्राथमिक शिक्षा से छोडा जायेगा।

* *प्रथम चरण (2002– 2005)* *

- नवाचार योजना के तहत मलिन बस्ती मे निवास करने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगं ।
- साथ ही साथ प्रथम चरण में नगर क्षेत्र मे, दुकानों में, घरो में, प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बच्चों को चिन्हित कर सूची बद्ध किया जायेगा।

- जनपद जालौन में सभी नगर क्षेत्रों में 13 मलिन बस्तियां चिन्हित कर ली गयी है।
- नगर क्षेत्रो को 4 जोन में विभाजित कर प्रत्येक जोन में 2 दिवसीय जागरूक्ता कैम्प लगाये जायेगें। इन कैम्पों में मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की पैरिस्थितियों, शैक्षिक स्तर आदि की व्यक्ति गत जानकारी एकत्र की जायेगी।
- कैम्प में शिक्षा से वंचित बच्चों के अभिभावकों को प्रेरित कर पढ़ने के लिये उपलब्ध लाभार्थियो का पंजीकरण किया जायेगा।
- पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या पहुच की सुविधा को ध्यान में रखकर आवश्यकता अनुसार ई0 जी0 एस0/ ए0 आई0 केन्द्र स्थापित किये जायेगें।

** द्वितीय चरण (2005- 2007) **

- मलिन बस्तियों के प्रत्येक बच्चे के नामांकन को ध्यान मे रख कर आवश्यकता अनुसार ई0 जी0 एस0/ ए0 आई0 ई0 केन्द्र स्थापित किये जायेगे।
- द्वितीय चरण में नगर क्षेत्र में प्रतिष्ठानों, घरो, दुकानो एवं लघु उद्योगों मे कार्यरत कामकाजी बच्चों को सत् प्रतिशत स्कूल भेजने की प्रभावी कार्यवाही प्रशासन के सहयोग से की जायेगी।

✦ *जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन* ✦

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करने वाली समिति भी कही जायेगी । जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में की जायेगी। जिसमें निम्न सदस्य होगे।

* सारिणी 7:7 *

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्यविकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव
4	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आफीसर	सदस्य
5	प्रार्चाय जिला एंव प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
6	जिला स्तरी श्रम विभाग का अधिकारी	सदस्य
7	जिला पंचायत राज्य अधिकारी	सदस्य
8	वित्त एंवं लेखाधिकारी(कार्यालय बे0शि0अ0)	सदस्य
9	स्वेच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य

(स्वेच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा)

जनपद में योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार करने एवं कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

✦ ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका ✦

प्रस्तावित शिक्षा गारेंटी/वैकल्पिक शिक्षा योजना के लियें ग्राम शिक्षा समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित है। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित कराना।

1. कार्यक्रमो के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।
2. अनुदेशकों का चयन करना।

3. केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
4. केन्द्रो की साज–सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रो का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
5. अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र का दायित्व सौपना।
6. अनुदेशकों को उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबन्धन एवं प्रतिदिन निरीक्षण करना।
7. केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
8. नियमित रूप से अनुदेशक के मानदेय का भुगतान करना।

✦ विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका ✦

कार्यक्रम को सफल बनाने के लियें विकास खण्ड स्तर पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित हैं।

- ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रो की माइक्रोप्लानिंग कराना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।
- कलस्टर रिसोर्स पर्सन/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रो/शिवरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण/अनुक्षण की व्यवस्था करना।
- जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित कराना।

✦ जिला प्राथमिक सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व ✦

जनपद जालौन में सफल शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित हैं।

- शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकता अनुसार अपवंचित वर्ग के बच्चो को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजना के प्रस्तावों को ग्राम/विकास खण्ड स्तर से तैयार करा कर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा कराना।
- केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन सेमिनार/शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।
- अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन करना।
- कार्यक्रमो का नियमित अनुश्रवण, प्रशिक्षण कार्यक्रम एव कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध मदवार धनराशियों विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

✦ परिवार सर्वेक्षण आंकड़ें का वार्षिक अद्यावधिकरण ✦

माइक्रो प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6–11 व 11–14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर "आउट ऑफ स्कूल" बच्चों को चिन्हित किया जाता है। "अण्डर ऐज व ओवर ऐज" बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयु वार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण

प्रपत्र को संसोधित किया जायेगा, ताकि वॉछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रतिवर्ष हाउस होल्ड़ सर्वेक्षण आकड़ों को अद्यतन किया जायेगा।

माइको प्लानिग के अन्तर्गत हाउस होल्ड़ सर्वे के माध्यम से 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस वितरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर 12933 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये है। आगामी वर्षो मे आकड़ो की वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन किया जायेगा कि बच्चों द्वारा किस कक्षा में ड्राप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड़ सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुर्नरीक्षित किया जायेगा,ताकि वाछित सूचना का समावेश हो सके । परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संसोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

✦ अभिनव मॉड़ल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु ✦

11–14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चो के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में प्राप्त करने में किन्ही कारणों से असमर्थ रहे है.उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश,बच्चों के विशेष समूह की आवश्यकताओ तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव मॉडल्स विकसित किये जायेगे । इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव मॉडल्स विकसित करने के उददेश्य से जनपद में लगभग 30000/–रू0 का इन्नोवेटिव फंड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम दो मॉडल्स विकसित किये जायेगे इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों,शिक्षाविदों,अनुभवी स्वंयसेवी संगठनो आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

✦ हाउस होल्ड सर्वे में स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु कार्यक्रम ✦

* सारिणी 7:8 *

वर्ष	ब्रिजकोर्स		ब्रिजकोर्स अनु0जाति		जनपद की शालात्यागी बालिका हेत आवासिय ब्रिज कोर्स		ई0जी0एस0/ए0आई0ई0में नामांकित बच्चे	ग्रिष्म कालीन शिविर द्वारा बालिकाओ को मुख्यधरा से जोडा जाना (सं0)
	संचालित	नामांकित बच्चे	संचालित	नामांकित बच्चे	संचालित	नामांकित बच्चे		
2003-04	75	2250	7	280	1	60	868	360
2004-05	75	-	7		3			
2005-06	75	-	7		3			
2006-07	75	-	7		3			

हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से स्कूल से बाहर 20661 बच्चे पाये गये जिसमें 31 जुलाई तक 17820 बच्चो का नामांकन विद्यालय में करा दिया गया शेष 2841 बच्चों हेतु 75 ब्रिज कोर्स न्याय पंचायत वार, गैर आवासीय 7, 6 माह का अनुसूचित जाति हेतु एवं जनपद स्तर पर बालिकाओ हेतु 1 आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित कर लगभग 3900 बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोडने का प्रयास किया जा रहा हैं। जिसमें 2841 बच्चे हाउस होल्ड सर्वे से तथा 1159 बच्चें ऐसे परिवारो से चिंहित हुए जो विस्थापित घुमंतु परिवारो से संबंधित है। पुर्व से संचालित ई0जी0एस0 एवं ए0आई0 ई0 के माध्यम से अब तक कुल 868 बच्चों को मुख्यधारा से छोडा गया है एवं 2835 बच्चें लगभग पूर्व से ही केन्द्रो में नामांकित है।

लक्ष्य यह है कि जैसे– जैसे प्राथमिक विद्यालय खुलते जायेगे बच्चे उनमें प्रवेश लेते जायेगे। ई0 जी0 एस0/ ए0 आई0 ई0 केन्द्रो को बन्द कर दिया जायेगा। केन्द्रो को प्रारम्भ में कम संख्या मे खोलना प्रभावी नियंत्रण एवं संचालन की दृष्टि से भी उपयुक्त है इसके लिये जनपद के 9 विकास खण्डों एवं 4 नगर क्षेत्र को 2 चरणों मे बाटा जायेगा। प्रथम चरण में कम महिला साक्षरता एवं अनुसूचित जाति, पिछडी जाती बाहुल्य वाले विकास क्षेत्रों में केन्द्र खोले जायेगें। इसी के साथ वे विकास क्षेत्र भी लिये जायेगें जिनमें दस्यु एवं बाढ़ से प्रभावित होने के कारण आवागमन की समस्या रहती है।

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा एंव उच्च प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा पर ग्रुप डिस्कशन एंव निरीक्षक अधिकारियों के विचार विमर्श से यह बात उभरी है कि बालको की अपेक्षा बालिकाओं की ड्राप आउट समस्या अधिक है । सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में बृद्वि करने के कारगर प्रयास किये जा रहे है जिनमें मुख्य प्रयास निम्नवत् है।

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है।

सारणी – 8:1

क्रम0 सं0	आईटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	विद्यालय पुनर्निर्माण	74	18
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	852	635
3	पेयजल सुविधा	-	42
4	शौचालय	897	122

प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षो की मॉग निम्नलिखित आधार पर निकाली गई है।

1. एक कक्षीय (40) विद्यालयों में प्रत्येक में दो अतिरिक्त कक्षा 80
2. दो कक्षीय 983 विद्यालयों में प्रत्येक एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष 983
3. कुल कक्षों की सख्यॉ 40:1 बच्चों की संख्या पर 2392 की आवश्यकता होगी जिनमें 750 डी0 पी0 ई0 द्वारा निर्मित कराई जायेगी।

उपरोक्त में से डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत 350 अतिरिक्त कक्षो के लिये वर्ष 2001–2002 में निर्माण कराने का प्रस्ताव है। अतः कुल 852 अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता अभी है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित आधार पर अतिरिक्त कक्षों की संख्या निकाली गई है।

1. एक कक्षीय 2 विद्यालयों में (म दो कक्ष प्रत्येक में) 4
2. दो कक्षीय विद्यालय 12 (में प्रत्येक में एक कक्ष) 12
3. 26 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है 26

✦ अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था ✦

जालौन जिले में अतिरिक्त शिक्षको की सं0 निम्नांकित सारणी में दी गई है।

✳ सारणी - 8:2 ✳

वर्ष	परिषदीय छात्र का नामांकन	वर्तमान शिक्षक / सृजित पद	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग	1:40के अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता	प्रस्तावित	
						शिक्षक	शि 0 मित्र
2003-04	148985	2870	357	3227	3227	-	-
2004-05	159413	-	-	-	3985	379	379
2005-06	163079				4077	46	46
2006-07	166830				4171	47	47

अतिरिक्त शिक्षक / शिक्षा मित्र की नियुक्ति पर इस बात पर विशेष बल दिया जायेगा कि नियुक्ति में 50 प्रतिशत महिलाओं की सहभागिता हो सके।

✦ प्राथमिक विद्यालयो में अतिरिक्त कक्षा कक्ष ✦

✳ सारणी - 8:3 ✳

वर्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन वि0 में कक्षा कक्ष	योग	आवश्यक कक्षा कक्ष प्रति वि0–3 कक्ष	वर्षवार मांग
2002-03	2534	45	2579	845	-
2003-04	2579	50	2629	852	-
2004-05					400
2005-06					400
2006-07					52

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गाववार विस्तृत आकड़ प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

✦ उच्च प्रा0 विद्यालय में शिक्षको की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षको की आवश्यकता ✦

✳ सारणी - 8:4 ✳

वर्ष	परिषदीय कुल वि0	नवीन वि0	1:5 के अनुपात में शिक्षक	वर्तमान शिक्षक / सृजितपद	आवश्यक शिक्षक
2002-03	216	21	1080	678	-
2003-04	216	-	1080	678	402
2004-05	331	115	1655	1079	576
2005-06	331	-	1655	1655	-
2006-07	331	-	1655	1655	-

✦ उच्च प्रा0 विद्यालय में कक्षा कक्षो की वर्तमान स्थिति तथा आगामी वर्षो में अवश्यकता ✦

✳ सारणी - 8:5 ✳

वर्ष	परिषदीय कुल वि0	नवीन वि0	1:5 के अनुपात में वांक्षित कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	वर्षवार कक्षा कक्ष की मांग
2002-03	216	21	1080	568	-
2003-04	216	115	1080	1020	-
2004-05	331	-	1655	-	300
2005-06	331	-	-	-	300
2006-07	331	-	-	-	35

✦ विद्यालय सुविधाये ✦

प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय में भवन के रखरखाव हेतु प्रति वर्ष 5000 / – का अनुदान दिया जायेगा / रू02000 / – प्रति वर्ष विद्यालय विकास अनुदान दिया जायेगा।

✦ अतिरिक्त कक्षा कक्ष ✦

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 852 एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 635 कक्षो की आवश्यकता है इसके उपरान्त सभी प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय पॉच कक्षीय हो जायेगे। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उच्च प्रा0 वि0 हेतु वर्ष 2004–2005 में 300, 2005–2006 में 300, 2006–2007 में 35, अतिरिक्त कक्ष निर्माण करना प्रस्तावित है। तथा प्रा0 वि0 में उपरोक्त वर्षो के कम में कमशः 402, 400, 50 अतिरिक्त कक्षा कक्षो का निर्माण करना प्रस्तावित है।

✦ शौचालय ✦

जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1019 ऐसे है जिसमें शौचालय नही है। 2002–2003 एंव 2003–2004 में कमशः 472, 547 शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वर्ष 2002–2003 में 400 तथा 2003–2004 में 497 शौचालय बनवानें का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर 122 शौचालय 2002 से 2003 में 72 तथा 2003 से 2004 मे 50 बनवाये जायेगे।

✦ उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन ✦

जनपद में 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे जिनके भवन शिक्षण कार्य हेतु सुरक्षित नही है उनको पुनः निर्माण 18 का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से वर्ष 2004–05 में 10, 2005–06 में 8 जर्जर भवनों का पुनः निमार्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

✦ पुनः निमार्ण प्राथमिक विद्यालय ✦

जनपद जालौन में 74 प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर है इनकें पुनः की आवश्यकता है। जर्जर भवनों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में 44 तथ वर्ष 2005–06 में 30 बनवानें का लक्ष्य रखा गया है।

आकर्षित ना होने के कारण हमेशा इनमें आत्मनिर्भरता की कमी पायी जाती है। गम्भीर, मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे विद्यालय से बाहर रहते है।

समेकित शिक्षा से तात्पर्य विकलांग बच्चों को समान बच्चों के साथ, सामान्य वातावरण में सामान्य शिक्षा दिलवाना या देना। समेकित शिक्षा का, मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों के लियें ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें उनकी सीखने की प्रकिया में कम से कम वाधाएं रह जाये, वे कक्षा के शेष बच्चों की भाँति सीख समझकर आगे बढ़े और उनका समुचित विकास हो। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकलांग बच्चो की शिक्षा पर विशेष महत्व दिया है। व्यक्ति के शरीर के किसी महत्वपूर्ण भाग की क्षति हो जाने के कारण कार्यक्षमता में कमी हो जाती है। कार्य क्षमता में कमी हो जाने के कारण उसे समाज द्वारा विकलांगता नाम की संज्ञा दी जाती है। वे बच्चे जो साधारणतः अपने शरीर के किसी एक या एक से अधिक अंग का सही उपयोग नही कर पाते ऐसे बच्चे विकलांग कहलाते हैं। विकलांग बच्चो को भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाये विकलांग को भी समानता का अधिकार दिया जाये ताकि विकलांग बच्चो को भी समान बच्चे के सामान शिक्षा खेल कूद एवं अन्य गतिविधियो के अवसर प्रदान किये जाये। समेकित शिक्षा के अर्न्तगत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्रा0 वि0 में सामान्य बच्चो के साथ सामान्य वातावरण में शिक्षा प्रदान कराई जाती है।

✦ विकलांगता के तीन प्रमुख कारण होते है। ✦

* (1) जन्म से पहले *

1. आयोडीन की कमी का होना।
2. कोई गहरा सदमा पहुचा हो।
3. किसी प्रकार की दुर्धटना हो जाये।
4. माता या पिता दोनो में से कोई मंद वुद्धि का हो।
5. माता या पिता में अनुवांशिक क्षीणता या जेनेटिक की समस्या हो।

6. माता या पिता का निकट रक्त संबधियो में विवाह होना।
7 माँ का गर्भावस्था में चोट या झटका लगना।
8. संवेगात्मक वंचन, माता पिता के बीच अलगाव, तनावपूर्ण परिस्थितियाँ।

✦ (2) जन्म के समय ✦

बहुत सारे बच्चे प्रसव के दौरान होने वाली कठिनाँइयो के कारण मंद बुद्धि के हो जाते हैं। प्रसव हमेशा किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता या दाई से करवाना चाहिए।

1. जन्म के समय चोट।
2. चिमटी का प्रयोग।
3. ऑक्सीजन की कमी।
4. जन्म के बाद शिशु का न रोना।
5. जन्म के बाद शिशु का चेहरा तथा शरीर बिल्कुल सफेद या नीला हो।
6. बच्चे के गले के आसपास नाल फंस जाये।
7. कोई दुर्धटना या पहले भी विकलांग बच्चे का जन्म हो चुका हो।

✦ (3) जन्म के बाद ✦

बच्चे के जन्म के 2 वर्ष तक

1. मस्तिष्क क्षति।
2. जन्म जात मस्तिष्कीय दोष।
3. कुपोषण का शिकार।
4. जन्म के बाद बच्चे को निम्न बीमारियाँ – डाउन सिर्डोम, मंगोलिज्म, जलशीर्षता, लघुशीर्षता, दिमागी बुखार।
5. कोई दुर्घटना या चोट लगना।

✦ विकलांगता की पहचान या लक्षण ✦

1. बच्चे का शारीरिक विकास अन्य सामान्य की तुलना में धीमा/कम।
2. आँखो का समायोजन सही प्रकार से नही होता है अथवा भैगापन है।
3. लार बहने की शिकायत रहती है।
4. हाथ या पैर मे कोई विकृति अथवा कमजोरी।
5. अंगो का समायोजन दोषपूर्ण लगता हैं।
6. आवाज होने पर या नाम पुकारने पर ध्यान नहीं देता है।
7. आँखो में लाली, सूजन या आँसू आते रहते हैं।
8. चित्र, वस्तु, पुस्तक को बहुत पास से देखने की कोशिश करता हो।
9. आवाज बहुत पतली या तीखी हो।
10. सीमित प्रेरणा एवं संवेग।
11. संप्रेशन
12. समाजीकरण

✦ *विकलांगता के प्रकार* ✦

विकलांगता निम्न प्रकार की होती है।

1. दृष्टि विकलांगता।
2. श्रवण व वाणी विकलांगता।
3. शारीरिक विकलांगता।
4. मानसिक विकलांगता।
5. अधिगम अक्षमता।

1. विकलांग बच्चे 6 से 14 आयु वर्ग के हीन भावना के कारण विद्यालय जाते ही नहीं।
2. माता पिता का सहयोग ना मिलने के कारण तथा समाज की तिरस्कार के कारण बच्चें विद्यालय जाना छोड़ देते है।
3. मजदूरी व पैतिक व्यवसाय में व्यस्त रहने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते है।

4. समाज में प्रचलित रूढ़िवादिता व अन्धविश्वास के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते है।
5. कुछ बच्चे आर्थिक विवशता के कारण स्कूल में नहीं जा पाते।
6. कुछ बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश तो ले लेते है लेकिन उनमें से आधे बच्चे ही कक्षा 5 की शिक्षा नियमित ग्रहण कर पाते है।
7. आधे बच्चे पारिस्थितियों से विवश हो कर बीच की कक्षा में ही शालात्यागी (ड्रापआउट) के रूप में विद्यालय जाना छोड़ देते है।
8. कुछ बच्चे समय पर विद्यालय ना जाने और बाद में अधिक आयु हो जाने पर झेप अथवा मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण स्कुल नही जाते है।

जनपद जालौन में विकलांग बच्चों की सर्वेक्षण के अनुसार कुल विकलांग बच्चे चिन्हित किये गये है इसमें से 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे चिन्हित हैं। जिनका विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

✦ *विकलांगता वार चिन्हित बच्चों का विवरण* ✦

* *सारणी - 8:9* *

क्रम सं0	ब्लाक/नगर क्षेत्र का नाम	आयु वर्ग विकलांगता का प्रकार (6 से 18)					
		दृष्टि	श्रवण	शारीरिक	मानसिक	अधिगम	कुल
1	जलौन	58	40	86	21	21	**226**
2	डकौर	49	112	159	65	39	**424**
3	कौंच	22	66	134	28	16	**266**
4	म्हेवा	12	35	55	27	7	**136**
5	क्दौरा	39	37	139	68	22	**305**
6	न्दीगाव	52	31	65	23	13	**184**
7	श्रामपुरा	52	14	61	8	8	**143**
8	कुठौंद	27	42	66	22	14	**171**
9	माधौगढ़	34	25	89	23	17	**188**
10	नगर क्षेत्र जालौन	18	15	40	11	6	**90**
11	नगर क्षेत्र उरई	12	10	18	4	4	**48**
12	नगर क्षेत्र कौंच	6	10	26	5	5	**52**
13	नगर क्षेत्र कालपी	10	8	23	4	4	**49**
योग		**391**	**445**	**961**	**309**	**176**	**2282**

जनपद के विकलांग बच्चों की सर्वेक्षण आख्या 0 से 18 आयुवर्ग (वर्ष 2003-2004)

जनपद जालौन

* सारणी - 8:9 *

विकलांगता के प्रकार	विद्यालय में										विद्यालय के बाहर												
	0-3		03-May		May-14		14-18		कुल		0-3		03-May		May-14		14-18		कुल		कुल		
	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक	बालक	बालिक	योग
शारीरिक विकलांगता	-	-	-	-	832	499	235	135	1067	634	10	8	10	9	66	63	69	58	155	138	1222	772	1994
मानसिक विकलांग	-	-	-	-	81	58	16	11	97	69	-	-	1	-	17	9	14	3	32	12	129	81	210
दृष्टि विकलांग	-	-	-	-	139	86	45	32	184	118	-	1	-	-	17	13	15	10	32	24	216	142	358
श्रवण विकलांग	-	-	-	-	136	79	39	21	175	100	-	-	-	1	13	9	9	3	22	13	197	113	310
अधिगम अक्षमता / अन्य	-	-	-	-	38	24	14	10	52	34	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	54	35	89
कुल	-	-	-	-	1226	746	349	209	1575	955	10	9	11	10	114	95	108	74	243	188	1818	1143	2961

प्रा0 विद्यालय में पढने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (विकलांग) की सूचना (वर्ष 2003-2004)

जनपद जालौन

* सारणी - 8:10 *

विकलांगता के प्रकार	कक्षा 1		कक्षा 2		कक्षा 3		कक्षा 4		कक्षा 5		कुल			ड्रापआउट		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
शारीरिक विकलागता	333	186	174	129	147	106	124	81	120	60	898	562	1460	-	-	-
मानसिक विकलांग	35	28	26	19	23	8	8	5	6	7	98	67	165	-	-	-
दृष्टि विकलांग	54	37	31	21	31	23	22	12	18	6	156	99	255	-	-	-
श्रवण विकलांग	59	31	34	22	25	14	16	14	15	7	149	88	237	-	-	-
अधिगम अक्षमता / अन्य	-	-	-	-	-	-	9	5	30	20	39	25	64	-	-	-
कुल	481	282	265	191	226	151	179	117	189	100	1340	841	2181	-	-	-

उच्च प्रा0 विद्यालय में पढने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों (विकलांग) की सूचना (वर्ष 2003-2004)

जनपद जालौन

* सारणी - 8:11 *

विकलांगता के प्रकार	कक्षा 6		कक्षा 7		कक्षा 8		कुल			ड्रापआउट		
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
शारीरिक विकलागता	154	96	93	56	60	45	307	197	504	-	-	-
मानसिक विकलांग	26	16	4	-	-	-	30	16	46	-	-	-
दृष्टि विकलांग	30	21	20	17	11	5	61	43	104	-	-	-
श्रवण विकलांग	23	17	14	8	12	-	49	25	74	-	-	-
अधिगम अक्षमता / अन्य	11	6	2	1	2	1	15	8	23	-	-	-
कुल	244	156	133	82	85	51	462	289	751	-	-	-

✦ समेकित शिक्षा की आवश्यकता ✦

1. सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति हेतु समेकित शिक्षा की आवश्यकता है।
2. समाज मे शिक्षा के प्रति जाग्रति उत्पन्न करने के लिए समेकित शिक्षा की आवश्यकता है।
3. शिक्षा के स्तर में कमी होने के कारण समेकित शिक्षा की आवश्यकता है।
4. बच्चो मे स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित करने के लिए समेकित शिक्षा की आवश्यकता है।
5. मानवीय एवं भौतिक संसाधन का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए समेकित शिक्षा की आवश्कता है।
6. विकलांग बच्चो की समाजिक गतिविधियों में समान भागेदारी लाने के लिए समेकित शिक्षा की आवश्यकता है।
7. ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होने के कारण।

8- संसाधन की कमी के कारण।

इन्हीं सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये समेकित शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की गई जिससे अधिक से अधिक विकलांग बच्चे के लिये ऐसा वातावरण प्रदान किया जाय जिससे उनके सीखने की प्रकिया में कोई बाधा न रह जाये। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समेकित शिक्षाके माध्यम से विकलांग बच्चो को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

✦ समेकित शिक्षा के लक्ष्य ✦

1. विकलांग बच्चो को समान्य बच्चो के साथ समान्य शिक्षा के अवसर शैक्षिक अनुभव प्रदान करना।
2. कम उम्र के विकलांग बच्चो एवं समान्य बच्चों के बीच सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करना।

3. विकलांग बच्चों को समाजिक वातावरण में साधारण तरीके से समान्य रूप से समाजिक व्यवस्था को सीखना।
4. विकलांग बच्चों को अपने परिवार, भाई बहिनो, पड़ोसियों, मित्रो तथा समान्य छात्रो के साथ खुले और अभय वातावरण में विचारो के आदान प्रदान करने का पूरा अवसर प्रदान करना।
5. माता पिता तथा परिवार जनो के स्नेह और भाई चारे मे रहने का अवसर प्रदान करना।
6. विकलांग बच्चो के प्रति समाज में प्रचलित धारणाओं, रूढ़िवादी मान्यताओं को दूर कराना और सभी लोगो के मन में विकलांग बच्चो के प्रति सहयोग का भाव विकसित कराना।
7. विकलांग बच्चों को समाज की प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्पर्क करने का अवसर प्रदान कराना।

✦ समेकित शिक्षा के अर्न्तगत किये गये प्रयास ✦

1. वर्ष 2001 से 03 तक मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण डाईट बरूवा सागर, डाईट मथुरा में कराया गया।
2. वर्ष 2001 से 03 तक फाउण्डेसन कोंस प्रशिक्षण इलाहाबाद में कराया गया।
3. वर्ष 2001 से 03 तक उपसकर एवं उपकरण वितरण कैम्प ब्लाक जालौन एवं डकोर में आयोजित किये गये।
4. वर्ष 2001 से 03 में अध्यापको का 5 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक जालौन, डकोर, रामपुरा एवं मधौगढ मे दिया गया। जिसमें 1133 अध्यापको को प्रशिक्षित किया गया।
5. वर्ष 2001 से 04 तक वातावरण सृतन हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला ब्लाक जालौन, डकोर, रामपुरा, कौच, नदीगाँव एवं मधौगढ मे दिया गया। जिसमें 300 अध्यापको ने प्रतिभाग किया।

6. वर्ष 2001 से 04 में विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर संस्कृतिक कार्यकम का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियो को स्वैटर, पठ्य पुस्तके वितरित की गयी।
7. वर्ष 2001 से 03 तक जनपद स्तर पर प्रा0 वि0 एवं उच्च प्रा0 वि0 के बच्चो का स्वस्थ्य परिक्षण कराया गया।

✦ मेडिकल एसेसमेंट कैम्प का विवरण ✦

* सारणी - 8:12 *

वर्ष	विकास खण्ड	कैम्प की सं0	लाभांवित प्रतिभागीयो की सं0	प्रमाण पत्र वितरण
2002-03	रामपुरा, माधौगढ	8	280	114
2003-04	नदीगॉव, जालौन, कौच, डकोर	9	988	231

✦ समेकित शिक्षा के अन्तर्गत दिये जाने वाली प्रशिक्षण ✦

जनपद जालौन में जिला प्रा0 शिक्षा कार्यकम तृतीय के अन्तर्गत 9 ब्लाक व 4 नगर क्षत्रो में से दो ब्लाक का चयन समेकित शिक्षा के तहत् जालौन व डकोर में किया गया है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत जालौन ब्लाक में एक तथा डकोर ब्लाक में एक व्यक्ति को *45 दिवसीय फाउन्डेसन कोर्स का प्रशिक्षण 2001 मे करवाया गया।* समेकित शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए 2001–02 तक दो ब्लाको में फाउन्डेसन कोर्स करवाया जायेगा इसी कम में 2002–04 तक चार ब्लाको में, 2001–07 तक एक ब्लाक व चार नगर क्षेत्रों में फाउन्डेसन कोर्स इन प्रमुख संस्थानो द्वारा करवाया जायेगा। जिनके नाम इस प्रकार से हैं।

1. यू0पी0 इंस्टीट्यूट फार द हियरिंग हैडीकैप्ट, 4/7 मालवीय रोड, इलाहाबाद।

2. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद, पिन–500009।
3. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड़, देहरादून।
4. अमर ज्योति रिहेबिलेटेशन एंड रिसर्च सेंटर कर्कड़मा विकास मार्ग, दिल्ली, पिन 110029।

जनपद जालौन में दो चयनित ब्लाक जालौन व डकोर में चार–चार मास्टर ट्रेनर का 10 दिवसीय प्रशिक्षण 2001 मे करवाया गया है। इसी कम में 2001–03 तक चार ब्लाको में, 2003–05 तक तीन ब्लाको में 2005–06 तक चार नगर क्षेत्रो में मास्टर ट्रेनर का 10 दिवसीय प्रशिक्षण डाएट के तहत करवाया जायेगा।

जनपद जालौन में मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रत्येक ब्लाक के प्राथमिक अध्यापको का पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा तकि अध्यापक अच्छी तरह यह समझलें कि इन बच्चों की विकलांगता का क्या स्वरूप है, किस हदतक अपंगता है जिससे वे उन्हे शिक्षा देने के दायित्व को अच्छी तरह से निर्वहन कर सके।, अध्यापकों का बच्चों के साथ सीधा सम्पर्क होता है इसलिए अध्यापको को इन बच्चों की शिक्षा संबंधी विशेष प्रकार की जरूरतो को समझनें की आवश्यकता है। जनपद जालौन में दो चयनित ब्लाक (जालौन व डकोर) में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्राथमिक अध्यापको का पांच दिवसीय प्रशिक्षण 2001–02 तक करवाया जायेगा इसी कम में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर में माध्यम से 2002–04 तक चार ब्लाको में प्राथमिक अध्यापको का प्रशिक्षण, 2004–06 तक तीन ब्लाको व एक नगर क्षेत्रो में, 2006–07 तक तीन नगर क्षेत्रो के अध्यापको का पांच दिवसीय प्रशिक्षण करवाया जायेगा तथा इन प्रशिक्षणों में उन्हें प्रशिक्षण से संबंधित अध्ययन सामाग्री उन्हें वितरित की जायेगी।

✦ समेकित शिक्षा की कार्ययोजना ✦

जनपद जालौन में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत निम्न कार्य किये जाने है इन कार्यो के माध्यम से विशिषट आवश्यकता वाले बच्चो का चिन्हिकरण, बच्चो का नामांकन, मेडिकल ऐसेमेन्ट कैम्प, उपस्कर व उपकरण वितरण, मास्टर ट्रेनर की

पहचान व प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समिति व समुदाय का संवेदीकरण, ब्लाक स्तर व नगर स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, अभिभावको का मार्ग निर्देशन, आई0 ई0 पी0 (इन्डीविजुअल एजुकेसनल प्लान) तैयार कराना, रिर्सोस टीचर/मास्टर ट्रेनर द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण व आवश्यक शैक्षिक सर्पोट, स्कूल जाने के पूर्व के बच्चों में अक्षमता की पहचान कराया जाना है।

इस कार्ययोजना को प्रभावकारी रूप देने के लिये समेकित शिक्षा व सर्व शिक्षा के तहत निम्न योजना बनायी जायेगी;

1. समेकित शिक्षा योजना में संसाधन अध्यापक योजना को 2002–03 तक प्रभावकारी रूप दिया जायेगा।
2. समेकित शिक्षा योजना में भ्रमणशील अध्यापक योजना को मूर्तरूप 2003–04 तक प्रदान किया जायेगा इस कार्य की सफलता हेतु विकलांग बच्चो की शैक्षिक आवश्यकताओ की पूर्ति नियमित अध्यापकों के साथ–साथ भ्रमण शील योग्यता वाले प्रशिक्षित अध्यापक के सहयोग से सुनिश्चित की जायेगी।
3. इस कार्ययोजना में 8 से 10 विकलांग बच्चो के लिये एक विशेष अध्यापक नियुक्त किया जायेगा जो विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित होगा। इस पर अनुमानित वय निम्नलेखित है। प्रारम्भ में विशेष अध्यापक प्रति ब्लाक 6 (2 श्रवण बाधित, 2 दृष्टि बाधित, 2 मानसिक विकलांगता के लिये) कुल 78 (जनपद जालौन में 9 ब्लाक व चार नगर क्षेत्र है।) मानदेय प्रति अध्यापक 5000/– कुल 390000/– प्रति माह, कुल 4680000/– प्रति वर्ष (आवर्तक व्यय)
4. विकलांग बच्चो के लिये सहायक शिक्षण सामग्री प्रत्येक बी0 आर0 सी0 स्तर पर खरीदी जायेगी। प्रति बी0 आर0 सी0, नगर स्तर पर 20000/– कुल 360000/– (आवर्तक व्यय) खर्चा आयेगा।
5. समेकित शिक्षा के अन्तर्गत नवीन शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व मई माह में घर–घर जा कर अध्यापकों द्वारा सर्वे कराये जायेगे। इसके लिये

अध्यापको को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति अध्यापक 500/-- रू0 दिये जायेगे।

6. वर्ष 2004 में अभिभावक को निर्देशन देने के लिये शिविर लगाये जायेगे, जिसके द्वारा विकलांग छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं व विभिन्न रोजगारो में लगे विकलांग व्यक्तियों पर बनाये गये वृत्तचित्र, पोस्टर आदि दिखाये जायेगे जिससे समाजिक जागरूकता उत्पन्न हो सके।
7. वर्ष 2005 में जनपद में समस्त चिंहित विकलांग बच्चों का जुलाई माह में नामांकन किया जायेगा किन्तु जिन चिंहाकित बच्चों का नामांकन 30 अगस्त तक नहीं हो पाता है उन बच्चो का नामांकन विशिष्ट अध्यापक, जिला समन्वयक व समान्य अध्यापक की काउन्सिलिग के पश्चापत 30 सितम्बर तक अवश्य करा लिये जायेगे।
8. वर्ष 2006 में प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में विकलांग बच्चो के लिये सहायक शिक्षण सामग्री कय की जायेगी तथा विशिष्ट अध्यापक व समान्य अध्यापक मिल कर जिला समन्वयक के परामर्श से वितरण सुनिश्चित करेगें। विकलांग बालक बालिकाओं को यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तके व लेखन सामग्री निःशुल्क कराई जायेगी इसके लिये विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित रखा जायेगा।
9. विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसम्बर के अवसर पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपद जालौन जिसके अन्तर्गत 9 ब्लाक व 4 नगर क्षेत्र में इस कार्य योजना को सही रूप देने के लिये आवर्तक व्यय कुल 13000 रू0 आयेगा ताकि इस अवसर पर न्याय पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक खेल कूद प्रतियोगिताओ का आयोजन कर पुरस्कार वितरण सफलता पूर्वक किये जाय सकें।
10. वर्ष 2007 में जनपद स्तर पर अति गम्भीर दृष्टि बाधित, व अति गम्भीर श्रवण, बाधित अति गम्भीर मानसिक विकलांग बच्चो क लिये आवासीय

विद्यालय खोले जायेगे। इस विद्यालय में बच्चों को पलंग बिस्तर, ड्रेस, कबर्ड, भोजन, खेल कूद की सुविधाये निःशुल्क मिलेगी।

11. समेकित शिक्षा के अन्तर्गत तीन प्रकार के कैम्प प्रथम रपेशल कैम्प द्वितीय वोकेशनल कैम्प,तृतीय इन्फास्ट्रेचर कैम्प जिनके अन्तर्गत होने वाला व्यय कमशः प्रथम कैम्प में 13*6000 =78000 द्वितीय कैम्प में 13*7000=91000 तृतीय कैम्प में 564*2000=112800 (आवर्तक व्यय) आयेगा।
12. समेकित शिक्षा व सर्व शिक्षा योजन सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है इसमें इस योजना को सफल बनाने के लिये एक शिक्षा सत्र में दो बार अर्थात माह नवम्बर तथा अप्रैल में जनपद में सभी विकलांग छात्र/छात्राओं को दो अलग– अलग समूह में विभाजित कर उनका तीन दिवसीय आवासिय शिविर लगाया जायेगा इस शिविर का मुख्य उद्देश्य इनमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना विकसित करना है ताकि वे शिक्षा तथा समाज की मुख्य धारा से जुड सके।

बालिका शिक्षा कार्यक्रम

✦ पृष्ठभूमि ✦

सभी जनसमुदाय के शिक्षित होने से ही राष्ट्र की उन्नति एवं विकास होता है इस तथ्य को स्वीकार करते हुये संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चो के शिक्षा के प्राविधान के प्रति अपनी वचन वद्धता व्यक्त की है राज्य को निर्देश दिये गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रविधान किया जाये। पंचवर्षीय योजनाओं ने संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वचन बद्धता का समर्थन किया है तथा अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमो को आरम्भ किया है। बालिका शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने एवं प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच एवं धारण में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने को प्राथमिकता दी

जायेगी इसके लिये विशेष सहायक सेवाये, समय वद्ध लक्ष्य एवं सुचार अनुश्रवण होगा।

प्रदेश की महिला साक्षरता दर 42.98% है जिसकी तुलना में वर्ष 1997 की सांख्यिकी पत्रिका के अनुसार कुल साक्षरता दर 50.7% है जिसमें से महिला साक्षरता दर 26.1% है जो अत्यन्त सोचनीय है। बालिकाओ की शिक्षा एवं साक्षरता दर को देखा जाये तो जनपद जालौन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बालिकायें जो बच्चों की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित करती है का शैक्षिणक स्तर निम्न होना अनकी शिक्षा के लिए विशेष सचेत रहने की आवश्यकता प्रदर्शित करता है जनपद जालौन में परियोजना के अन्तर्गत बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता परख शिक्षा प्रदान करने के कम में अनेक कार्यकम आयोजित कियेगे। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बालिका को सुलभ कराने विशेषतः बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के संबंध में अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के लोगो में चेतना पैदा करने नामांकन को एक अभियान के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये गयें।

1. स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत बालगणना द्वारा 6 से 14 वय वर्ग के बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण किया गया जो विद्यालय नही जाते।
2. चिन्हित बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन करने के उद्देश्य से
   - I. बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर शैक्षणिक गोष्ठियों का आयोजन किया गया जिसमें बालिका शिक्षा पर सामयिक चर्चा करी गयी।
   - II. जिला स्तर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं नामांकन अभियान को प्रत्येक गाँव मुहल्ले तक पहुचाने के उद्देश्य से ग्राम न्याय पंचायत, ब्लाक एवं जिले स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन गया इन कार्यकमों के माध्यम से चिन्हित बालक/बालिकाओं का नामांकन कराया गया।

III. बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा देने एवं विद्यालय में उनका उहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाठ्य पुस्तको का वितरण किया गया।

IV. बालिकाओ के अधिक शालात्याग दर को ध्यान मे रखते हुयें ग्रीष्मकालीन शिविरो का आयोजन किया गया इस कार्यकम के माध्यम से बालिका शिक्षा के प्रति जन समान्य में उत्साह वर्धक जागरूकता आयी और नामांकन में आशातीत बृद्धि हुयी।

✦ *जनपद में महिला साक्षरता दर* ✦

✳ *सारणी 8:13* ✳

कम सं0	विकास खण्ड	साक्षरता दर
1	महेवा	15.9%
2	कदौरा	19.1%
3	रामपुरा	22.7%
4	नदीगाँव	25.8%
5	डकोर	26.9%
6	कुठौंद	28.4%
7	माधौगढ़	29.7%
8	कोंच	33.5%
9	जालौन	33.9%

जी0 ई0 आर0: जनपद जालौन की बालिकाओं का जी0ई0आर0 103.63% है।

✦ ठहराव बालिकाओ हेतु (वर्ष 2002-03) ✦

✳ सारणी 8:14 ✳

क्रम सं0	विकास खण्ड	ठहराव	ड्रापआउट
1	महेवा	91%	9%
2	कदौरा	91%	9%
3	रामपुरा	93.26%	6.74%
4	नदीगाँव	74%	6%
5	डकोर	90%	10%
6	कुठौंद	89%	11%
7	माधौगढ़	88%	12%
8	कोंच	97%	3%
9	जालौन	98%	2%

✂ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तृतीय के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रम ✂

नामांकन में वृद्धि शत्प्रतिशत उपस्थिति ड्रापआउट को कम करने के लिये डी0पी0ई0पी0 योजना के अर्न्तगत निंधारित लक्ष्य को प्राप्त करने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

✦ चिन्हीकरण ✦

विकासखण्ड स्तर पर बालिका शिक्षा की न्यूनतम साक्षरता दर पर आधारित तथा जहाँ अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति की बालिकाये अधिक हैं वर्ष 2000 में विकास खण्ड महेबा की 5 तथा वर्ष 2001 में जनपद की 11 न्याय पंचायतो का चयन किया गया हैं।

✦ डी0 आर0 जी0 का गठन ✦

जनपद में 10 सदस्य समिति का गठन किया जायेगा यह समिति बालिकाओ की नामांकन ठहराव के लिए उचित मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी।

✦ कोर टीम का गठन ✦

न्याय पंचायत स्तर पर 7 सदस्यीय कार टीम का गठन किया जायेगा जो ग्रामो का भ्रमण कर तथा बैठके करके चयनित आदर्श संकुल की आवश्यकताओ पर विचार विमर्श कर क्षेत्र के लोगो को बालिका शिक्षा के लिये प्रेरित करे गी। यह प्राथमिक विद्यालयो में जा कर शिक्षको, अभिभावको बालिका शिक्षा के सुग्राहीकरण हेतु प्ररित करेगी।

✦ जागरूकता अभियान ✦

न्याय पंचायत स्तर पर बैठके करके प्रभात फेरियो द्वारा बालिका जागरूकता अभियान चलाया गया।

✦ सहायक सामग्री का निर्माण ✦

बालिका शिक्षा से संबंधित दिवार लेखन, गीत, कहानी, पम्पलेट आदि सामग्री का निर्माण कराया गया।

✦ एम0 सी0 डी0 के अर्न्तगत प्रस्तावित कार्यक्रम ✦

1. माता शिक्षक संघ तथा अभिभावक शिक्षक संघ का गठनः-

जब माताये, अभिभावक कार्यो में सकिय होते हैं तो कार्यो की सफलता कई गुना बड़ जाती हैं। इसलिए माता शिक्षक संघ तथा अभिभावक शिक्षक संघ का गठन किया गया हैं। इनमे सकियता लाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना हैं।

2. महिला अभिप्रेरक समूह का गठन व प्रशिक्षणः-

ग्राम सभा स्तर पर जागरूक महिलाओ का 15 सदस्यीय समूह का गठन किया गया है। जो असेवित बस्तियो में, मजरो में बालिकाओ के नामांकन के क्षेत्र मे कार्य करेगा। विद्यालय में बालिकाओ की उपस्थिति, ठहराव सुनिश्चित करने हेतु इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।

3. मीना कैम्पेन (मीना फिल्म का प्रदर्शन):-

सम्बन्धित न्याय पंचायत प्रभारी के माध्यम से दूर दराज के गाँव तथा असंवित क्षेत्रो में श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से समाज में बालिकाओ की स्थिति का बोध कराने तथा समुदाय में बालिका शिक्षा के लिए जागरूकता लाने के प्रयास हेतु मीना कैम्पेन जिसमें "मीना" की वीडिवो फिल्म आर्दश संकुल में दिखाई गयी।

4. माँ बेटी मेले का आयोजन:-

माँ भी कभी एक बेटी थी जो वातावरण उसको मिला वो बेटी को ना मिले इसके लिए बालक बालिकाओ में समानता की सोच विक्सित करने हेतु 10 माँ बेटी मेलो का आयोजन किया गया।

5. कला जत्थो का प्रर्दशन:-

बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु तथा बालिकाये मध्य में विद्यालय न छोड़ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानिय कलाकारो को प्रशिक्षित कर 3 विकासखण्डो में जहाँ बालिका शिक्षा साक्षरता दर कम है तथा शालात्याग दर अधिक हैं।

6. ठहराव परिकमा तथा तारांकन:-

ठहराव परिकमा के कम में जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर स्कूल के बच्चे अध्यापक व अभिभावक थोड़ी देर तक खड़े हो कर नारे लगाकर दबाव बनाते हुए बच्चे को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। बच्चो को प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर हरा, पीला व लाल तारा निशान देकर तारांकित किया जायेगा।

1. माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति पर लाल निशांन दिया जायेगा।
2. माह में 14 दिन से 7 दिन की उपस्थिति पर पीला निशांन दिया जायेगा।
3. माह 15 दिन या उससे अधिक की उपस्थिति पर हरा निशांन दिया जायेगा।
4. अभिभावको को बच्चे से मिले निशांन से अवगत कराया जायेगा।

7. महिला संसदः-

बालिकाओ की शिक्षा के लिए महिलाओ का संगठित होना आवश्यक है इसके लिए महिला संसदो का आयोजन किया जाना है। वर्ष 2002–03 में 10 तथा वर्ष 2003–04 में 10 तथा 2004–05 व 2005–06 में 20 महिला संसदो का गठन कर न्युनतम सक्षरता दर वाले न्याय पंचायत के ग्राम सभाओ में महिला अभिभावको को प्रेरित कर बालिकाओ में नामांकित कराया जायेगा।

8. अभिभावक सम्मेलन :-

शिक्षक सत्र के अन्त में गाँव के समस्त अभिभावको को बुलाकर नियमित विद्यालय आने वाले बच्चो को प्रोत्साहित किया जायेगा। अगले सत्र के लिये बच्चो का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

9. शिक्षको का जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षणः-

लिंग संवेदन शीलता लाने के व बालक बालिकाओ के प्रति समान व्यवहार करने हेतु उन्हे प्रशिक्षित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यकम मुख्य रूप से बालक व बालिकाओ के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणो तथा उनके निराकरण, उपायो/ उपागमो पर चरचा कर व अभ्यास कर उनका संवेदी करण किया जायेगा।

* सारणी 8:15 *

वर्ष	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
प्राथमिक एव उच्च प्रा0 स्तर	700	850	1030	4827	5020	5064	5108	5154

10. ई0सी0सी0ई0 केन्द्र(पूर्व शिशु शिक्षा केन्द्र):-

छोटे भाई बहनों की देख रेख में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाये विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नही दे पाती जिससे विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित नही हो पाता। कुछ बालिकायें इन कार्यो में अधिक व्यस्थ रहने के कारण विद्यालय छोड देती है। इस हेतु आई0सी0डी0एस0 समन्वय स्थापित करते हुये

ई0सी0सी0ई0 केन्द्र खोले गये है। इन केन्द्रो हेतु ग्राम विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता दर,उच्च शालात्याग दर तथा शैक्षिक पिछडे पन के आधार पर किया गया है। वर्ष 2000–01 जनपद के तीन विकास खण्डो में (01) रामपुरा 10 ,(2) कदौरा 20,(3) नदीगॉव 20 शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये है। वर्ष 2001–02 में 125 केन्द्र में खोले जाने हैं। इन केन्द्रो में 3–6 वय वर्ग के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जा रहा है। गत वर्ष के 50 केन्द्रो की 50 ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण हो चुका है। वर्ष 2001–02 के 125 आगॅनवाड़ी कार्यकत्रियो का प्रशिक्षण 10 दिसम्वर 2001 से आरम्भ किया जा रहा है। इन केन्द्रो की मुख्य सेविका को 250 रू0 तथा सहायिका को 125रू0 अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा।

12. ग्राम शिक्षा समितियों का जेन्डर संवेदीकरणः-

** सारणी 8:16 **

वर्ष	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
संख्या	564	564	564	564	564	564	564	564

चयनित ई0सी0सी0 विकास खण्डवार सूची आख्या निम्नवत् है।

✦ वर्ष 2000–2001 में खोले गये ई0सी0सी0 केन्द्र ✦

** सारणी 8:17 **

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	केन्द्र संख्या
1	नदीगॉव	10
2	श्रामपुरा	20
3	क्दौरा	20
	कुल केन्द्र संख्या	50

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यो एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्टियों का आयोजन किया जा रहा हैं जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ0प्र0 के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

✦ वर्ष 2001-2002 में खोले गये ई0सी0सी0 केन्द्र ✦

* सारणी 8:18 *

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	केन्द्र संख्या
1	श्रामपुरा	27
2	माधौगढ़	9
3	जलौन	25
4	डकौर	36
5	कुठौंद	9
6	कदौरा	15
7	नदीगाँव	4
	योग	**125**

✦ कोहार्ट स्टडी ✦

ऐसे विद्यालय जहाँ शालात्याग दर अधिक है। जहाँ बच्चो ने पिछले 5 वर्ष से विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चो का शालात्याग दर रजिस्टर से निकालकर सूची बनायी गयी तथा ग्रीष्म कालीन शिदिर लगाकर उन्हें फिर से विद्यालय लाने हेतु प्रयास किया गया।

✦ ग्रीष्मकालीन सिविर ✦

ऐसे गाँव में जहाँ शालात्यागी तथा कभी विद्यालय ना जाने वाली बालिकाओ तथा अनुसूचित जाति के बालिकोओ का 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर प्रति विकास खण्ड 5 न्याय पंचायतो में कुल 9 विकास खण्डो में प्रत्येक शिविर में अधिकतम 40 तक छात्र छात्राओ का शिविर लगाया गया।

✦ ग्राम शिक्षा समितियो का गठन एवं प्रशिक्षण ✦

शिक्षा क प्रति जागरूकता लाने हेतु ग्रामशिक्षा समिति गठित की गयी है जिसमें कम से कम तीन महिला सदस्यो, एक ग्रामपंचायत की निंवाचित सदस्या,

एक अनुसूचित जाति की महिला एक नामांकित माता के होने का प्राविधान है। इन ग्राम शिक्षा समितियो को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

✦ समस्यायें एवं विश्लेषण ✦

बालिकाओ के नामांकन एवं शालात्याग के कारण जटिल है स्कूल का वातावरण भी ऐसा है जो बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित नही कर पाता और न ही उनकी विशेषताओ को उभारता है। कटाई, शादी तौहारो पर इन्हें घर पर रोक लिया जाता है जिससे विद्यालय में इनकी उपस्थिति कम हो जाती है। बालिकाओ के नामांकन एवं शालात्याग के कारण निम्नलिखित है।

1. विद्यालय मे महिला शिक्षकाओं की कमी।
2. बालिकाओं के लिये शिक्षा की मांग ना होना।
3. विद्यालय में आवश्यक सुविधाओ का आभाव।
4. अभिभावको की आर्थिक स्थिति कम जोर होना।
5. परिवार के छोटे भाई वहिनों की देखरेख तथा घरेलू कार्यो में व्यस्त रहनां
6. मजदूरी व अन्य कार्यो में संलग्न रहना।
7. सामाजिक परिवेश में अनुकूल शैक्षिक वातावरण का आभाव।
8. समाज में प्रचलित रूढ़िया एवं अन्धविशवास।

✦ बालिका शिक्षा के लिये प्रस्तावित रणनीतियां ✦

जनपद जालौन में बालिका शिक्षा हेतु दीर्घकालीन कार्यक्रम को सर्व व्यापी स्वरूप देने तथा इस अभियान में बालिका शिक्षा को सुलभ अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित रणनीतियां प्रस्तावित है।

1. ग्राम सभा स्तर पर महिला मण्डलो के साथ समय– समय पर बैठको का आयोजन कर बालिका शिक्षा के लिये नये– नये कार्यक्रम एवं सुनियोजित योजनाओ का निर्माण कराया जायेगा तथा महिला मण्डल को सशक्त करने का उचित प्रयास किया जायेगा।

2. न्याय पंचायत स्तर पर सकिय महिलाओं, धनाड्य परिवार की महिलाओं का चयन कर कोर ग्रुप के साथ बैठकों का आयोजन कर बालिकाओं की समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर कार्ययोजना तैयार करायी जायेगी एवं उनके कियान्वयन हेतु सार्थक प्रयास किया जायेगा।
3. किशोरी संघो के साथ माह में 10 गाँव की परिकमा की जायेगी।
4. विद्यालयों मे चाहरदीवारी, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।
5. बालिकाओं के ठहराव में बृद्धि हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जायेगी।
6. बालिकाओं की शिक्षा हेतु आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा।

✦ *बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कार्यक्रम* ✦

जनपद जालौन में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित है।

✦ *जनजागरण* ✦

स्कूल चलो अभियान के बाद 6 से 14 वय वर्ग की जिन बालिकाओं का अभी तक नामांकन नहीं हो सका उनका नामांकन सुनिश्चित कराने के लिये जनपद में जनजागरण अभियान चलाया जायेगा जिससे समुदाय प्रेरित होकर अपने समाज के बालक/ बालिकाओ को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित कर सके। प्रभात फेरी, जुलूस, पोस्टर, नारेलेखन का कार्य तथा जनसम्पर्क कार्य महिला मण्डल के साथ समय-समय पर किया जायेगा।

✦ *प्रशिक्षण* ✦

बालिका शिक्षा के उन्नयन नामांकन एवं ठहराव को लक्ष्य निर्धारित करते हुये ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्रो की कार्यकत्रियो को तथा सहायिकाओं के डायट में समय-समय पर प्रशिक्षण करया जायेगा तथा बलिका शिक्षा हेतु बी0 ई0 सी0 का प्रशिक्षण एस0 एस0 ए0 के अन्तर्गत कराया जायेगा।

✦ चयन ✦

ई0 सी0 सी0 ई0 कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं का चयन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति की खुली बैठक में किया जायेगा।

✦ प्रोत्साहन ✦

बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु छात्र वृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था की जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सभी बालिकाओ तथा अनुसूचित जाति के बालको को वितिरित की जायेगी।

जनपद जालौन में 6 से 11 तथा 11 से 14 वर्य वर्ग की समस्त बालिकाये तथा अनुसूचित जाति के बालको की सूची निम्नवत् है।

* सारणी 8:19 *

कम सं0	वर्ष	6 से 11 वय वर्ग की कुल बालिकायें / अनुसूचित जाति के बालक	11 से 14 वय वर्ग की कुल बालिकायें / अनुसूचित जाति के बालक
2	2002-2003	-	-
3	2003-2004	-	-
4	2004-2005	-	-
5	2005-2006	-	-
6	2006-2007	-	-

✦ बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति ✦

जनपद जालौन में बालिकाओं के ठहराव एवं नामांकन वृद्धि के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकम चलाये जायेगे।

✦ मीना कैम्पेन ✦

जनपद जालौन में विकास खण्ड महेवा तथा कदौरा की बालिका साक्षरता दर न्यूनतम होने के कारण विकास खण्ड महेवा की पांच न्याय पंचायतो के 46 ग्रामो में मीना फिल्म का प्रर्दशन किया जा चुका है शेष रह गये दोनो विकास

खण्डों की 11 न्याय पंचायतो में वर्ष 2001– 2002 में 100 ग्रामों में मीना फिल्म के प्रर्दशन का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार वर्ष 2005– 2006 तक समस्त विकास खण्डो मे मीना फिल्म का प्रर्दशन पूर्ण करा लिया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2006– 2007 से पुनः प्रथम चरण में चयनित विकास खण्ड को लेकर समस्त विकास खण्डो में चरण वद्ध तरीके से वर्ष वार मीना फिल्म का प्रर्दशन कराया जायेगा।

* सारणी 8:20 *

वर्ष	विकास खण्ड	मीना फिल्म प्रर्दशन हेतु चयनित ग्रामों की संख्या
2002-2003	रामपुरा, कुठौंद	130
2003-2004	नदीगाँव, माधौगढ़	130
2004-2005	कोंच, जालौन	130
2005-2006	डकोर	70
2006-2007	म्हेवा, कदौरा	120

✦ कला जत्था ✦

बालिकाओं को विद्यालय में प्रेरित करने के लिये तथा समुदाय द्वारा उनका ठहराव बढाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से वर्ष 2001– 2002 में विकास खण्ड महेवा, कदौरा तथा रामपुरा में कला जत्था का प्रर्दशन 181 ग्राम सभाओं में किया गया इसी प्रकार अगले सत्र में तीन– तीन विकास खण्डो का चयन कर कला जत्था के माध्यम से समुदाय को प्रेरित करने का कार्य जनपद में किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष 2007 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त विकास खण्डों में पुनः एक– एक बार प्रस्तुतिया करा ली जायेगी।

* सारणी 8:21 *

वर्ष	विकास खण्ड	कला जत्था प्रदर्शन हेतु चयनित ग्राम सभा की संख्या
2002-2003	नदीगॉव, माधौगढ़, कुठौंद	180
2003-2004	कोंच, जालौन, डकोर	180
2004-2005	रामपुरा, महेवा, कदौरा	180
2005-2006	नदीगॉव, माधौगढ़, कुठौंद	180
2006-2007	कोंच, जालौन, डकोर	180

✦ माँ बेटी मेला ✦

चयनित विकास खण्डों में महेवा विकास खण्ड में वर्ष 2000– 2001 में 10 माँ बेटी मेलों का आयोजन किया गया तथा वर्ष 2001– 2002 में 20 माँ बेटी मेलों का आयोजन किया जायेगा कुल 225 मेलो का आयोजन वर्ष 2010 तक करया जाना सुनिश्चित किया गया है।

* सारणी 8:22 *

वर्ष	विकास खण्ड	मीना फिल्म प्रदर्शन हेतु चयनित ग्रामों की संख्या
2002-2003	रामपुरा	20
2003-2004	कुठौंद, माधौगढ़	25
2004-2005	नदीगॉव, जालौन	25
2005-2006	कोंच, डकोर	25
2006-2007	महेवा, कदौरा	25

✦ ग्राम शिक्षा समिति का गठन व प्रशिक्षण ✦

जनपद जालौन की 564 ग्राम सभाओं में वी0 ई0 सी0 कर गठन करा लिया गया है। प्रथम चरण में 250 तथा द्वितीय चरण में शेष वी0 ई0 सी0 का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जा रहा है। ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के विकास तथा बालिकाओं के नामांकन ठहराव बढाने का प्रयास समुदाय के साथ मिलकर करेगी। प्रत्येक दो वर्ष मे ग्राम शिक्षा समितियों का पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा। सर्व शिक्षा

अभियान के अन्तर्गत नगर क्षेत्र की मलिन बस्तियों का सर्वे कराकर वार्ड वार नगर शिक्षा समिति का गठन कराया जाना है इसके उपरान्त उनका प्रशिक्षण कराया जायेगा।

✦ पूर्व शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना ✦

जनपद जालौन में कुल आंगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या 863 है वर्ष 2000–2001 में 50 केन्द्र खोले जा चुके है तथा वर्ष 2001– 2002 में 125 केन्द्र खोले जाने है जिनकी आगंनबाडी कार्यकत्रियो का प्रशिक्षण डायट में दिनांक 10/12/2001 से आरम्भ करा दिया गया है। शेष 688 आंगनबाडी केन्द्रो को 2008 तक सर्व शिक्षा अभियान से संतृत कर दिया जायेगा।

* सारणी 8:23 *

क्रम सं0	वर्ष	खोले जाने वाले पूर्व शिशु शिक्षा केन्द्रो की संख्या
1	2002-2003	100
2	2003-2004	100
3	2004-2005	125
4	2005-2006	125
5	2006-2007	125

✦ समूह का निर्माण एवं प्रशिक्षण ✦

इसके अन्तर्गत माता शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ तथा महिला प्रेरक दल का गठन विकास खण्ड महेवा तथा कदौरा में कराया जा चुका है। वर्ष 2001–2002 मे दोनो विकास खण्डो के एम0 टी0 ए0/ पी0 टी0 ए0 समूह के सदस्यो का प्रशिक्षण कराया जाना है। संघो के माध्यम से बालिकाओं के नामांकन ठहराव तथा शालात्याग की दर आदि विषयों पर कार्य करने हेतु सक्षम बनाया जायेगा जिन गाँव में विद्यालय नहीं है तथा 20 से 22 पढ़ने वाले बच्चें हैं ऐसी आसेवित बस्तियों में 10 से 12 सकिय महिलाओ का गठन कर महिला प्रेरक समूह बनाया जायेगा। यह समूह बनाकर बच्चों को विद्यालय में पढने के लिये प्रेरित करेगी तथा पढने हेतु उनकी व्यवस्था करायें गी।

* सारणी 8:24 *

क्रम सं0	वर्ष	विकास खण्ड का नाम	एम0 टी0 ए0/पी0 टी0 ए0 समूह की संख्या
2	2002-2003	रामपुरा, नदीगाँव	232
3	2003-2004	कुठौंद, माधौगढ	225
4	2004-2005	डकोर,, कोंच	255
5	2005-2006	जलौन	109
6	2006-2007	महेवा, कदौरा	364

✦ अन्य रणनीति ✦

1. बेसिक शिक्षा के महत्व पर प्रकास डालने वाली सामग्री विकसित करना।
2. महिलाओं की शिक्षा के लिये महिला संसद गठित करना।
3. कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा को महत्व देना।
4. जैन्डर संवेदन बनना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा को समानयता एवं सहजता से समझ सके।
5. जागरूकत कियाकलापों द्वारा बालिकाओं के अनुरूप विद्यालय का वातावरण बनाये जाने पर जोर।

✦ विशेष रणनीति ✦

जनपद जालौन में बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीतियां प्रस्तावित है।

* बाल केन्द्र *

सघ की महिलाओ ने जब अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझा तो उन्होने अपने घर के पास बच्चो की शिक्षा के लिये व्यवस्था व्यक्त की इसके बाद बाल केन्द्रो की संकल्पना एवं स्थापना की जायेगी इसके द्वारा विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जायेगी।

* ब्रिज कोर्स व ग्रीष्म कालीन शिविर *

विद्यालयो में बालिकाओं के लिये सत् प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव पर विशेष बल दिया जायेगा। ब्रिज कोर्स व ग्रीष्म कालीन शिविर चलाये जायेगे।

* सारणी 8:25 *

क्रम सं0	वर्ष	ग्रीष्म कालीन शिविरो की संख्या	ब्रिजकोर्स अनु0जाति के बालक बालिकाओ हेतु
2	2002-2003	45	-
3	2003-2004	45	7
4	2004-2005	45	7
5	2005-2006	45	7
6	2006-2007	45	7

* किशोरी केन्द्र *

ऐसी किशोरिया जिन्होने प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल जोड दिया उनकी ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण नही कर सकते। किशोरियो से विचार विमर्श के पश्चात इस आयु वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये किशोरी केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। इसके द्वारा किशोरियो को उच्च प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिये पढने का अवसर दिया जायेगा।

* प्रहर पाठशाला *

यह ऐसी रणनीति है जो 9 वर्षीय बालिकाओं के लिये है जिन्होने विद्यालय जाना आरम्भ नहीं किया है या स्कूल छोड़ चुकि है। 9 स 14 आयु वर्ग की 15 बालिकाओं के साथ एक प्रहर पाठशाला का आरम्भ किया जा सकता है।

* मकतब मदरसा *

इस कार्यकम का मुख्य उद्देश्य मदरसो के वातावरण में बालिकाओं को शिक्षा में भाग लेने हेतु प्रेरित करना। मुस्लिम बालिकायें अधिक संख्या में स्कूल से बाहर हैं। मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तक के अध्ययन पर आधारित है। इसके लिये मदरसों के सशक्तिकरण की नीति तैयार की गयी है। जनपद में एक ग्रामीण क्षेत्र तथा तीन नगर क्षेत्र में मकतब संचालित है उन्हीं का संवेदीकरण किया जायेगा जिसके लिये वर्ष 2005 और 2006 से रू0 15.35 हजार

रूपये प्रति मकतब की दर से 61.40 हजार रूपये प्रतिवर्ष योजना के अन्त तक प्राविधानित किया गया है।

✦ आदर्श न्याय पंचायत एप्रोच ✦

बालिका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास किये जाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कुछ न्याय पंचायतो को आदर्श न्याय पंचायतो के रूप में चुनकर उनमें शिक्षा के सर्वांगीण विकास किया जायेगा।

* सारणी 8:25 *

क्रम सं0	वर्ष	आदर्श न्याय पंचायतो की संख्या
1	2002-2003	20
2	2003-2004	25
3	2004-2005	25
4	2005-2006	25
5	2006-2007	25

✦ उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव कार्यक्रम ✦

भ्रमण के दौरान बच्चों के अभिभावको ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापको/ अध्यापिकाओं के साथ चर्चा करने से यह तथ्य संज्ञान में आया की बालिकाओं के उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन तथा ठहराव रखने के लिये उन्हे स्वावलम्बी बनाने हेतु कौशल विकास में दक्ष्य करने के लिये कार्यानुभव प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा।

यदि बालिकाओं को उनकी इच्छानुसार तथा परिवेश की परिस्थिती के अनुसार बुनाई, फल संरक्षण बांसो से टोकरी बनाना, पंखे बनाना, फर्नीचर की बुनाई आदि कियात्मक प्रशिक्षण कार्यानुभव द्वारा किया जाये तो उनके नामांकन तथा ठहरावा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। वर्ष 2002–2003 से प्रतिवर्ष 15 उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2009–2010 तक प्रस्तावित किया गया है।

✦ बालिका शिक्षा हेतु क्षमता सम्वर्धन के कार्यक्रम ✦

प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक शिक्षकों बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयको का बालिका शिक्षा संबंधी विशेष प्रशिक्षण मड्यूल प्राप्त होने पर करा दिया जायेगा। सर्वप्रथम ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह, डी0 आर0 जी0 के सदस्यो को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उ0 प्र0 प्रशासन अकादमी नैनीताल लखनऊ परिसर में 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बी0 आर0 जी0 में नेहरू युवा केन्द्रो के स्वंय सेवको, युवक मंगल दल के सदस्यो, महिला मंगल दल के सदस्यो प्राथमिक शिक्षको, स्वंय सेवी सदस्यो को सम्मिलित किया गया है। इसी अनुक्रम में बी0 आर0 जी0 के सदस्यो ने ग्राम शिक्षा समितियो के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किये गये है। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये है तथा इनके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार रहे :–

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो को प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः अपनाने हेतु किया शील बनाना।
2. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं विकलांग बच्चो के लिये वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय के सक्रिय योग्यदान के संदर्भ, सेन्सिटाइज करना जागरूक बनाना।
3. विकेन्द्रीकृत नियोजन के अर्न्तगत सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण के अभ्यास द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना।
4. आकर्षक विद्यालय/कक्षा निर्माण, रूचिपूर्ण माहौल, विद्यालय संचालन में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के लिए अभिप्रेरित करना।
5. अन्तः क्षेत्रीय समन्वय, सहयोग तथा प्रा0 शिक्षा के लिए वित्तीय एवं अन्य स्थानीय संसाधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करना।

ये प्रशिक्षण "प्रयास एवं संकल्प" प्रशिक्षण मंजूषा की प्रशिक्षण किया आधारित सहभागी तकनीको यथा समूह संवाद, समूह कार्य, रोल प्ले, केस स्टडी, अभ्यास कार्य खेल पद्धति पर आधारित थे।

✦ डी0पी0ई0पी0 तृतीय के अर्न्तगत सेवारत अध्यापको का प्रशिक्षण निम्नवत् है। ✦

* सारणी 8:26 *

कम सं0	प्रशिक्षण स्थल / विकास खण्ड	प्रशिक्षण में सम्मिलित प्रतिभागी			फेरो की संख्या
		पुरूष	महिला	योग	
1	बी0आर0सी0 डकोर (उरई)	295	153	448	14
2	बी0आर0सी0 कुटौंद	155	37	192	06
3	बी0आर0सी0 जालौन	219	37	256	08
4	बी0आर0सी0 टीहर (रामपुरा)	142	18	160	05
5	बी0आर0सी0 माधौगढ़	159	33	192	06
6	बी0आर0सी0 महेवा (कालपी)	157	32	189	06
7	बी0आर0सी0 कदौरा(छौक)	178	78	256	08
8	बी0आर0सी0 नदीगॉव (कनासी)	215	40	255	08
9	बी0आर0सी0 कोंच	155	37	192	06
10	डायट पिण्डारी कोंच(क्षेत्र ग्रामीण)	83	06	89	03
11	डायट पिण्डारी (नगर क्षेत्र)	134	78	212	07
	कुल योग :–	**1892**	**549**	**2441**	77

इस प्रकार जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कुल 2441 अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। जनपद में 9 बी0आर0सी0 समन्वयक,18 सह बी0आर0सी0 समन्वयक एव 81 न्याय पंचायत समन्वयक कार्यरत ६। जिनका आधार भूत प्रशिक्षण जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पिण्डारी में विभिन्न फैरों आयोजित किया गया है।

✦ प्राथमिक स्तर ✦

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ब्लाक स्तरीय प्राथमिक अध्यापकों का 8 दिवसीय पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें नवीन गतिविधियों से शिक्षको को परिचित कराया जायेगा।

✦ उच्च प्राथमिक स्तर ✦

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको पर आयोजित किया जायेगा जिसमें नवीन पाठ्यक्रमों से शिक्षको को अवगत कराया जायेगा । उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का विषय आधारित 6 दिवसीय प्रशिक्षण जैसे विज्ञान,गणित एंव अंग्रेजी विषयो से अध्यापको को प्रशिक्षण के माध्यम से परिचित कराया जायेगा।

✦ मूल्यांकन ✦

विषय आधारित प्रशिक्षणो एंव पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षणो से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और उसका प्रभाव कक्षा पर क्या पड रहा है इसके लिये समय समय पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो एंव शिक्षको के शिक्षण कार्य का अवलोकन किया जायेगा।

✦ अनुश्रवण ✦

शिक्षण कार्य में अपेक्षाकृत सुधार न होने पर विद्यालयो को फीड बैक दिया जायेगा यह कार्य जिला समन्वयको, प्रचार्य डायट द्वारा किया जायेगा।

विद्यालयो के अवलोकन हेतु चेक बिन्दु प्रपत्र तैयार किया जायेगा जिसमें ए0बी0सी0डी0 श्रेणी निर्धारित की जायेगी। अच्चे विद्यालयों में एक अध्यापको को पुरस्कृत किया जायेगा।

विद्या केन्द्र/आचार्यो के प्रशिक्षण की व्यवस्था डायट में आयोजित किया जायेगा। अनुदेशकों एंव आचार्यो का 30 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

✂ सामुदायिक सहभागिता ✂

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नामांकन ठहराव साम्प्राप्ति के लक्ष्य को पाने के उददेश्य से समुदाय का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाये तथा समुदाय क्या करे क्या न करें ? आदि को ध्यान मे रखते हुये ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियो का गठन किया जा चुका है। प्रत्येक समिति में पॉच सदस्यों

जिसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष ,प्रधानाध्यापक सविच और तीन अभिभावक सदस्य होगे जो अनुसूचित जाति एंव स्वयंसेवी संगठनो महिलाओ में आदि होगे।

विद्यालय भवन की मरम्मत अनुरक्षण विद्यालय की अन्य सुविधाओ भवन निर्माण का उत्तरदायित्व ग्रम शिक्षा समिति का होगा । ग्राम शिक्षा समितियो का प्रशिक्षण तीन दिवसीय कराया जायेगा । जनपद जालौन में कुल 564 ग्राम शिक्षा समितियो का गठन किया जा चुका है। उसमें प्रथम चक में 250 ग्राम शिक्षा समितियो का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है। तथा द्वितीय चक में 314 ग्राम शिक्षा समितियो का प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा रहा है। ग्राम शिक्षा समिति के प्रशिक्षण के लिये जिला संदर्भ समूह द्वारा ब्लाक संदर्भ समूह को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जो प्रत्येक ग्राम सभा में संदर्भ डाटा के रूप में प्रशिक्षण दे रहे है। प्रशिक्षण ग्राम सभा स्तर पर हो रहे है तथा ये निम्ननांकित विन्दुओ पर आधारित हैं

1. प्रतिभागिता परक विश्लेषण और समस्या समाधान,अभ्यास कार्य ।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासो का सफलता पूर्वक प्रस्तुतीकरणं।
4. प्रतिभागिता उपागम,रोल प्ले,केस स्टडी,क्षेत्र भम्रण , सम्प्रेषण अभ्यास ।

ग्राम शिक्षा समितियो को अधिक किया शील बनाने विद्यालय की गति विधियो में प्रतिभागिता बढाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयो में यागदान देने आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइको प्लानिंग,अ यास आदि भी कराये जा रहे है तथा इसके आधार पर ग्राम शैक्षिक योजना पंजिका भी तैयार हो रही है। विद्यायल की दीवारो पर शैक्षिक मानचित्र ,शूक्ष्म नियोजन के आकडो का अंकन भी कराया जा रहा है।

समुदाय की भागीदारी बढाने के लिये विभिन्न राष्ट्रीय पर्वो पर विद्यालय के वार्षिक कार्यकम के आयोजन के अवसर पर भी समुदाय के लोगो को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चो की प्रगति जानने

के लिये अभिभावको को आमंत्रित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के समय अभिभावको को कक्षा शिक्षण देखने के लिये आमंत्रित किया जा सकता है।

✦ माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ/महिला प्रेरक दल का गठन ✦

जनपद जालौन में चयनित माडल क्लस्टर विकास खण्ड महेवा,कदौरा में प्रत्येक विद्यायल में माता शिक्षक संघ,अभिभावक शिक्षक संघ का गठन कराया जा चुका है। जिन विद्यालयो में बालिकाओं की शालात्याग दर अधिकतम है वहॉ माता शिक्षक संघ का गठन किया गया है जिसमें 9 महिलाये एक अध्यापक कुल 10 सदस्य है। शेष विद्यालयो में अभिभावक शिक्षक संघ का गठन किया गया है। जिसमें 5 महिलाये, 4 पुरूष और 01 अध्यापक कुल 10 सदस्य है। संघ के सदस्य बच्चो के नामांकन व ठहराव हेतु प्रयास करेगे। समय समय पर विद्यालय में आकर ड्राप आउट बच्चो,विद्यालय विकास के लिये विचार विमर्श कर रणनीति तैयार करेगे।

महिला प्ररेक दल का गठन असेवित बस्तियों में किया गया है। उन असेवित वस्तियों गें जहॉ 15 से 20 पढने वाले बच्चे पाये गये है। महिला प्रेरक दल में 10–15 महिलाये है। जो समय समय पर न पढने वाले बच्चो के अभिभावको से सम्पर्क कर प्रेरित कर बच्चो को विद्यालय भेजने हेतु प्रयास करती रहती है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1125 विद्यालयों में माता शिक्षक संघ ,अभिभावक शिक्षक संघ का गठन कराया जायेगा ।

✦ कोर ग्रुप ✦

विकास खण्ड महेवा,कदौरा की समस्त न्यायपंचायतो में कोर ग्रुप का गठन किया जा चुका है। जिसमें 08 सदस्य है। कोर ग्रुप न्याय पंचायतो मे शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु योजनाऐ तैयार कर कियान्वयन का कार्य सम्पादित करेगे।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 81 न्याय पंचायतो ने कोर ग्रुप का गठन कराया जायेगा ।

✦ समुदाय प्रेरण एंव वातावरण सृजन ✦

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 0–14 वय वर्ग के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समुदाय को नुक्कड नाटको ,मीना फिल्म आदि के माध्यम से अभिप्रेरित किया जायेगा । जनपद के 9 विकास खण्डो की 564 ग्राम सभा में नुक्कड नाटकों का आयोजन चरणबद्व तरीके से किया जोयगा । बालिकाओ को विद्यालय में शत प्रतिशत नामांकन कराने हेतु समुदाय को मीना फिल्म प्रदर्शन द्वारा प्रेरित किया जायेगा । यह कार्यकम 952 ग्रामो में कराना सुनिश्चित किया गया है। कार्यकम न्यूनतम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित है।

✦ ग्रामीण सहभागिता आंकलन ✦

जनपद में न्यूनतम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड से बालक बालिकाओ की साक्षरता का आंकलन करते हुये न्यायपंचायत स्तर पर ग्रामीण सहभागी आंकलन का कार्य किया जायेगा।

✦ शैक्षिक मानचित्रण/ विश्लेषण, ग्राम शैक्षिक योजना निर्माण की तैयारी ✦

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण दौरान ग्राम सभा के बुद्व जीवी, उत्साही, युवक, युवतियां, शिक्षक/ शिक्षकाओं से अन्तिम दिन ग्राम शैक्षिक समस्याओ पर विचार विमर्श एंव समस्याओ आवश्यकताओ का चर्चा की गयी। परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से समस्त परिवारों का परिलक्षित कराया जा रहा है। प्राप्त सूचनाओं एंव स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग

से गॉव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शैक्षिक योजना बनायी जा रही है। शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्न लिखित सूचनायें एकत्र की गयी –

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या – महिला/पुरूष
2. 6–11 एंव 11–14 वय वर्ग में पढने न पढने वाले बच्चों की संख्या
3. बालश्रमिकों के विषय में जानकारी
4. प्राईवेट विद्यालयों में पढने वाले बच्चों की संख्या
5. विकंलाग बच्चों के विषय में जानकारी।
6. बालिका शिक्षा की स्थिति ।

उपरोक्त तथ्यो,समस्याओं आदि पर समुदाय के सभी सदस्यो से विचार विमर्श कर उभरे बिन्दुओ को सम्मिलित करते हुये ग्राम शैक्षिक योजना तैयार करायी जा रही है। ग्राम शैक्षिक योजना पंजिका ग्राम सभा स्तर पर रखकर इसका उपयोग प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम बनाने के लिये किया जा रहा है। माइक्रो प्लानिंग से प्राप्त आकडो का सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर सहायक बे0शि0अ0 की सहायता से 6–14 वय वर्ग विद्यालय जाने वाले बच्चो को दो भागो मे विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी योजना,वैकल्पिक योजना/नवाचार वायो का कार्यक्रमो दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले बच्चो की संख्या 6–8 तथा 9–14 वय वर्ग के समूहो में आकलित किया जा रहा है। इन बच्चो में बालक/बालिकाओ की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी इसके अतिरिक्त कामकाजी बच्चो की संख्या भी आंकलित की गई है। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आकडो पर उन बस्तियो की सूची तैयार की जा रही है। जहॉ नवीन विद्यालय खोलने जाने है। तथा उन बस्तियो की भी सूची तैयार की गई जहॉ शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया ह।

ग्राम शिक्षा समितियो द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अत्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना के प्रथम वार्षिक

योजना 2001–02 के कियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा। सूचनाओं का उपयोग वार्षिक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003 में किया जायेगा। जहॉ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकडो का सबंध है । उन क्षेत्रो में परियोजना गत विधियो के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जो प्रगति पर है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडो का सारर्णियन व संकलन किया जायेगा जिसका उपयोग अग्रिम कार्य वार्षिक योजनाओं के बजट तैयार करने में समायोजित किया जायेगा।

समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने हेतु अन्य प्रभावी रणनीतिया

जनपद जालौन में ग्राम स्तर पर समुदाय की सकिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधोलिखित कार्यकम कराये जाने की योजना है।

(1) चेतना शिविर

जनपद में समस्त विकास खण्डो में वर्ष वार न्याय पंचायत स्तरो पर तीन–तीन दिवसीय शिविरो के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। तीन दिवसीय शिविर में न्याय पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप के सदस्य तथा न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक विद्यालय के दो सकिय अभिभावक प्रतिभाग करेगे। इन तीन दिवसीय कार्यशाला में शिक्षा शिक्षण पर विचार विमर्श, रोल प्ले एवं प्रभावी शैक्षिक कार्ययोजना आदि पर समूह चर्चा की जायेगी।

सारणी 8:27

वर्ष	चेतना शिविरो की संख्या
2002-2003	9
2003-2004	10
2004-2005	11
2005-2006	12
2006-2007	13

✦ अध्यापक अभिभावक सहयोग द्वारा बाल श्रम निरोध अभियान ✦

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, स्वयं सेवी सगंठन के सकिय प्रशिक्षत सदस्य अपनी अपनी ग्राम सभाओं में धर धर जा कर बाल श्रमिक बच्चों, काम काजी बच्चों, घुमन्तू बच्चो के अभिभावको से सम्पर्क करेगे तथा सांय कालीन बैठक कर समस्याओं पर विचार विमर्श कर आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार वाले बच्चों के अभिभावकों को आर्थिक सहयोग देने हेतु ग्राम वासियों से अपील करेंगे। बाल श्रमिक बच्चों के मालिको से मिलकर उन्हें प्रेरित कर बच्चों को मुक्त कराने का प्रयास एवं पढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। जनपद में इस प्रकार के बच्चों की संख्या लगभग 2000 हैं। सांय कालीन बैठकों में विभागीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बी0 आर0 सी0 समन्वयक, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक एवं जिला समन्वयक प्रतिभाग करेगें। अभियान के द्वौरान नारे लेखन का कार्य पम्पलेट, फोलडर बाटे जायेगें।

✦ परियोजना प्रशस्ति पुरस्कार ✦

जनपद में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड की एक न्याय पंचायत की एक ग्राम सभा को जहां बच्चों का सत् प्रतिशत नामांकन हो चुका हो तथा पूरे वर्ष बच्चो का ठैहराव विद्यालय में रहा हों उस ग्राम सभा की शिक्षा समिति को परियोजना प्रशस्ति प्रदान की जायेगी। प्रत्येक वार्षिक योजना में 9 प्रशस्ति पुरस्कार वितरित किये जायेगें।

✦ विद्यालय पुरस्कार ✦

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर दो विद्यालयो का चयन किया जायेगा जहाँ सत् प्रतिशत नामांकन, ठहराव, प्रभावी अधिगम, भौतिक संसाधनो का प्रयोग, विद्यालय अभिलेखो का रख रखाव, विद्यालय सुन्दरीकरण का कार्य सुनियोजित ढ़ग

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 81 न्याय पंचायतो ने कोर ग्रुप का गठन कराया जायेगा ।

✦ समुदाय प्रेरण एंव वातावरण सृजन ✦

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 0–14 वय वर्ग के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समुदाय को नुक्कड नाटको ,मीना फिल्म आदि के माध्यम से अभिप्रेरित किया जायेगा । जनपद के 9 विकास खण्डो की 564 ग्राम सभा में नुक्कड नाटकों का आयोजन चरणबद्व तरीके से किया जोयगा । बालिकाओ को विद्यालय में शत प्रतिशत नामांकन कराने हेतु समुदाय को मीना फिल्म प्रदर्शन द्वारा प्रेरित किया जायेगा । यह कार्यकम 952 ग्रामो में कराना सुनिश्चित किया गया है। कार्यकम न्यूनतम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित है।

✦ ग्रामीण सहभागिता आंकलन ✦

जनपद में न्यूनतम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड से बालक बालिकाओ की साक्षरता का आंकलन करते हुये न्यायपंचायत स्तर पर ग्रामीण सहभागी आंकलन का कार्य किया जायेगा।

✦ शैक्षिक मानचित्रण/ विश्लेषण, ग्राम शैक्षिक योजना निर्माण की तैयारी ✦

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण दौरान ग्राम सभा के बुद्व जीवी, उत्साही, युवक, युवतियां, शिक्षक/ शिक्षकाओं से अन्तिम दिन ग्राम शैक्षिक समस्याओ पर विचार विमर्श एंव समस्याओ आवश्यकताओ का चर्चा की गयी। परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से समस्त परिवारों का परिलक्षित कराया जा रहा है। प्राप्त सूचनाओं एंव स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग

से गॉव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शैक्षिक योजना बनायी जा रही है। शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्न लिखित सूचनायें एकत्र की गयी –

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या – महिला/पुरूष
2. 6–11 एंव 11–14 वय वर्ग में पढने न पढने वाले बच्चों की संख्या
3. बालश्रमिकों के विषय में जानकारी
4. प्राईवेट विद्यालयों में पढने वाले बच्चों की संख्या
5. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी।
6. बालिका शिक्षा की स्थिति ।

उपरोक्त तथ्यो,समस्याओं आदि पर समुदाय के सभी सदस्यो से विचार विमर्श कर उभरे बिन्दुओ को सम्मिलित करते हुये ग्राम शैक्षिक योजना तैयार करायी जा रही है। ग्राम शैक्षिक योजना पंजिका ग्राम सभा स्तर पर रखकर इसका उपयोग प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम बनाने के लिये किया जा रहा है। माइक्रो प्लानिंग से प्राप्त आकडो का सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर सहायक बे0शि0अ0 की सहायता से 6–14 वय वर्ग विद्यालय जाने वाले बच्चो को दो भागो मे विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी योजना,वैकल्पिक योजना/नवाचार वायो का कार्यक्रमो दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले बच्चो की संख्या 6–8 तथा 9–14 वय वर्ग के समूहो में आकलित किया जा रहा है। इन बच्चो में बालक/बालिकाओ की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी इसके अतिरिक्त कामकाजी बच्चेा की संख्या भी आंकलित की गई है। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आकडो पर उन बस्तियो की सूची तैयार की जा रही है। जहॉ नवीन विद्यालय खोलने जाने है। तथा उन बस्तियो की भी सूची तैयार की गई जहॉ शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एंव नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया ह।

ग्राम शिक्षा समितियो द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अत्यावधिक चक सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना के प्रथम वार्षिक

योजना 2001–02 के कियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा। सूचनाओं का उपयोग वार्षिक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003 में किया जायेगा। जहॉ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकडो का सबंध है । उन क्षेत्रो में परियोजना गत विधियो के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जो प्रगति पर है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडो का सारर्णियन व संकलन किया जायेगा जिसका उपयोग अग्रिम कार्य वार्षिक योजनाओं के बजट तैयार करने में समायोजित किया जायेगा।

समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने हेतु अन्य प्रभावी रणनीतिया

जनपद जालौन में ग्राम स्तर पर समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधोलिखित कार्यक्रम कराये जाने की योजना है।

(1) चेतना शिविर

जनपद में समस्त विकास खण्डो में वर्ष वार न्याय पंचायत स्तरो पर तीन–तीन दिवसीय शिविरो के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। तीन दिवसीय शिविर में न्याय पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप के सदस्य तथा न्याय पंचायत के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक विद्यालय के दो सक्रिय अभिभावक प्रतिभाग करेगे। इन तीन दिवसीय कार्यशाला में शिक्षा शिक्षण पर विचार विमर्श, रोल प्ले एवं प्रभावी शैक्षिक कार्ययोजना आदि पर समूह चर्चा की जायेगी।

सारणी 8:27

वर्ष	चेतना शिविरो की संख्या
2002-2003	9
2003-2004	10
2004-2005	11
2005-2006	12
2006-2007	13

✦ अध्यापक अभिभावक सहयोग द्वारा बाल श्रम निरोध अभियान ✦

ग्राम शिक्षा समित के सदस्य, स्वयं सेवी सगंठन के सक्रिय प्रशिक्षत सदस्य अपनी अपनी ग्राम सभाओं में धर धर जा कर बाल श्रमिक बच्चों, काम काजी बच्चों, घुमन्तू बच्चो के अभिभावको से सम्पर्क करेगे तथा सांय कालीन बैठक कर समस्याओं पर विचार विमर्श कर आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार वाले बच्चों के अभिभावकों को आर्थिक सहयोग देने हेतु ग्राम वासियों से अपील करेंगे। बाल श्रमिक बच्चों के मालिको से मिलकर उन्हें प्रेरित कर बच्चों को मुक्त कराने का प्रयास एवं पढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। जनपद में इस प्रकार के बच्चों की संख्या लगभग 2000 हैं। सांय कालीन बैठकों में विभागीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बी0 आर0 सी0 समन्वयक, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक एवं जिला समन्वयक प्रतिभाग करेगें। अभियान के द्वौरान नारे लेखन का कार्य पम्पलेट, फोलडर बाटे जायेगें।

✦ परियोजना प्रशस्ति पुरस्कार ✦

जनपद में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विकास खण्ड की एक न्याय पंचायत की एक ग्राम सभा को जहां बच्चों का सत् प्रतिशत नामांकन हो चुका हो तथा पूरे वर्ष बच्चो का ठैहराव विद्यालय में रहा हो उस ग्राम सभा की शिक्षा समिति को परियोजना प्रशस्ति प्रदान की जायेगी। प्रत्येक वार्षिक योजना में 9 प्रशस्ति पुरस्कार वितरित किये जायेगें।

✦ विद्यालय पुरस्कार ✦

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर दो विद्यालयो का चयन किया जायेगा जहाँ सत् प्रतिशत नामांकन, ठहराव, प्रभावी अधिगम, भौतिक संसाधनो का प्रयोग, विद्यालय अभिलेखो का रख रखाव, विद्यालय सुन्दरीकरण का कार्य सुनियोजित ढ़ग

से पाया जायेगा उन विद्यालयो को वार्षिक उत्सव के समय पुरस्कार दिया प्रदान किया जायेगा।

✦ बाल मेलो का आयोजन ✦

न्याय पंचायत स्तर पर बच्चों द्वारा निमित शैक्षिक सामग्री एवं मीना फिल्मों का आयोजन बाल मेलो को लगवा कर किया जायेगा जिससे बच्चां के अन्दर आत्म निर्भरता स्व करके सीखने की दक्षता का विकास किया जायेगा।

✦ विशेष पर्वो पर आयोजन ✦

क्षेत्रीय मेलो त्योहारो राष्ट्रीय पर्वो जहाँ समुदाय के लोग एक जगह एकत्रित होते है वहां नुक्कड नाटकों प्रेरक गीतो, मीना फिल्म आदि का आयोजन कर समुदाय को शिक्षा हेतु प्रेरित किया जायेगा।

✦ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का विवरण ✦

जनपद में अनुसूचित जाति के बालको एवं सभी वर्गो की बालिकाओ हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था की गयी है। जनपद में कुल परिषदीय प्रा0 वि0 1202 उ0 प्रा0 वि0 331 सहायता प्राप्त प्रा0 वि0 8 सहायता प्राप्त उ0 प्रा0 वि0 25 शासकीय माध्यमिक वि0 10 एवं सहायता प्राप्त मा0 वि0 63 है वर्ष वार पुस्तक वितरण हेतु विवरण निम्नवत् है।

✦ मान्यता प्राप्त वित्तपोषित परिषदिय विद्यालयों सहित प्रस्तावित नामांकन विवरण ✦

✳ सारणी 8:28 ✳

छात्रांकन वर्ष वार							
2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
प्रा0वि0	उ0 प्रा0 वि0	प्रा0वि0	उ0 प्रा0 वि0	प्रा0वि0	उ0 प्रा0 वि0	प्रा0वि0	उ0 प्रा0 वि0
104106	22629	106556	23162	109006	23695	111513	24240

✦ विद्यालय विकास अनुदान ✦

जनपद के समस्त परिषदीय प्रा0 वि0, उ0 प्रा0 वि0 हेतु रू 5000 एवं रू 2000 सामग्री कय एवं विद्यालय की रंगाई पुताई हेतु प्रस्तावित है। 8 सहायता प्राप्त प्रा0 वि0, 25 सहायता प्राप्त उ0 प्रा0 वि0, 10 राजकीय मा0 वि0, 63 सहायता प्राप्त मा0 विद्यालयों को भी रू0 2000 प्रति विद्यालय साज सज्जा हेतु दिया जाना प्रस्तावित है।

✦ अध्यापक अनुदान ✦

जनपद के समस्त परिषदीय प्रा0 वि0 एवं उ0 प्रा0 वि0 में कार्यरत शिक्षको, शिक्षा मित्रो को सहायक शिक्षण सामग्री निमित करने हेतु रू 500 प्रति अध्यापक की दर से आवंटित किये जायेगे। 8 सहायता प्रा0 वि0, 25 सहायता प्राप्त उ0 प्रा0 वि0, 10 राजकीय मा0 वि0, 63 सहायता प्राप्त मा0 विद्यालयो में प्रति वि0 3 अध्यापको की दर से रू0 500 प्रति अध्यापक भी प्रस्तावित है।

✦ अध्यापक अनुदान वर्षवार विवरण ✦

* सारणी 8:29 *

वर्ष	प्रा0 वि0	उ0 प्रा0वि0		
	परिषदीय	परिषदीय	सहायता प्राप्त	योग
2002-03	2870	1184	189	1373
2003-04	3251	1760	189	1949
2004-05	4009	1760	189	1949
2005-06	4101	1760	189	1949
2006-07	4195	1760	189	1949

अध्याय–9

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य

जनपद जालौन में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन के लिये अप्रैल–2000 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ हैं। इस परियोजना का प्रमुख लक्ष्य जनपद में प्राथमिक शिक्षा में शतप्रतिशत नामांकन, नामांकित बच्चो का विद्यालयों में ठहराव तथा शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन के लिए भौतिक संसाधनो का सृजन और संवर्धन रखा गया हैं। जनपद स्तर पर जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण/अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षको को कार्य स्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजना बद्ध कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए जनपद में स्थापित बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयको तथा सहसमन्वयको को उनके कार्य तथा दायित्वों के संबंध में "समर्थन" माडयूल के अनुसार 7 दिवसीय प्रशिक्षण तीन चको में डाईट स्तर पर दिया गया। समन्वयको द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठो का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयो, एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 का उनके भौतिक अकादमिक पक्षो का राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरा मीटर/इन्डीकेटर्स के अनुसार श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठको में शिक्षको की समस्याओ का समाधान, आदि उपायो के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में यह अनुभव किया जा रहा है कि डी0पी0ई0पी0–तृतीय से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयो तथा शिक्षको की अकादमिक आवश्यकताओ की पूर्ति तो की जारही है किन्तु कतिपय क्षेत्र अभी भी अनाच्छादित हैं, जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण प्रदान नही किया जा सका जैसे :–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयो तथा शिक्षको की अकादमिक आवश्यकताओ पर ध्यान नही दिया जा रहा है।

2. हाई स्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 1–5 तथा 6–8 स्तर के बच्चो की शैक्षिक आवश्यकताओं, कठिनाईयो के निवारण, शैक्षिक स्तर में सुधार और शिक्षको की कठिनाईयो के निवारणार्थ अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नही लाया गया।

** सारिणी 9.1 **

क्रम संख्या	विद्यालय / शिक्षा केन्द्र	संख्या
1	जनपद में प्रा0वि0 की संख्या	1603
2	जनपद में उच्च प्रा0वि0 की संख्या	478
3	जनपद मे माध्यमिक वि0 की संख्या जिनमें 1–5 कक्षायें है।	03
4	जनपद में मान्यता प्राप्त वि0 की संख्या जिनमें 1–8 तक की कक्षायें लगती है।	283
5	जनपद में ई0सी0सी0 केन्द्रो की संख्या	175

स्रोत - बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन

✦ स्कूल पूर्व शिक्षा ✦

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण करण में स्कूल–पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद मे शिशु शिक्षा केन्द्रो का संचालन किया गया। महिला एवं बालक विकास विभाग उ0 प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाडी केन्द्रो में से 50 केन्द्रो का चयन करके इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रो के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रो की कार्यकत्रियो तथा सहायिकाओं को 07 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिया गया। इन केन्द्रो तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालयो की समय सारिणी में अनुरूपता लाई गई। केन्द्र का समय दो घण्टा बढाकर, बच्चे विशेषताया लड़कियों को अपने छोटे भाई बहिनों की देख भाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

डी0पी0ई0पी0 की ओर से केन्द्रो की कार्यकत्रियों तथा सहयिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनचार्य प्रशिक्षण केन्द्रो के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रू 5000•00 तथा आकस्मिक

व्यय हेतु रू 1500.00 वार्षिक का भी प्रविधान किया गया है। शिशु शिक्षा केन्द्रो के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

इस सुविधा से इसका अच्छा परिणाम देखने को मिला है।

1. बच्चो के विद्यालयो में नामांकन मे बृद्धि हुयी है।
2. बालिकाओ के भी नामांकन में बृद्धि देखने को मिली।
3. बच्चो में विद्यालय में रूकने की आदत का विकास हुआ है।
4. शिक्षा के प्रति बच्चे उत्साहित हुए है।
5. जो बच्चे विषेशतया लड़किया अपने छोटे भाई बहिनो की देख रेख के कारण विद्यालय नही आ पाते थे वे आने लगे है।

✦ ग्राम शिक्षा समिति ✦

विद्यालय प्रबंन्धन तथा कियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता तथा जागरूकता के लिये, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, डी0पी0ई0पी के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति के गठन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है इनका स्वरूप इस प्रकार है।:–

1. अध्यक्ष – ग्राम प्रधान
2. सचिव – प्रधानाध्यापक ;यदि कई विद्यालय है, तो वरिष्ठ प्रधानाध्यापक ।
3. सदस्य – तीन अभिभावक ;जिसमें एक महिला भी होगी (सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा नामित)

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लोगो, स्वंय सेवी संगठनो के सदस्यो, विकलांग बच्चो के अभिभावको तथा अन्य उत्साही कर्मठ नवयुवकों को भी ग्राम शिक्षा समिति के साथ प्रशिक्षित करने का प्रविधान किया गया है।

सर्वप्रथम ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह, डी0 आर0 जी0 के सदस्यो को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उ0प्र0 प्रशासन अकादमी नैनीताल लखनऊ परिसर में 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बी0आर0जी0 में नेहरू युवाकेन्द्रो के स्वंय सेवको, युवक मंगल दल के सदस्यो,

महिला मंगल दल के सदस्यो प्राथमिक शिक्षको, स्वंय सेवी सदस्यो को सम्मिलित किया गया है। इसी अनुक्रम में बी0आर0जी0 के सदस्यो ने ग्राम शिक्षा समितियो के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किये गये है। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गय ह तथा इनके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार रहे :–

6. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो को प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः अपनाने हेतु किया शील बनाना।
7. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं विकलांग बच्चो के लिये वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय के सकिय योग्यदान के संदर्भ ;सेन्सिटाइज करना जागरूक बनाना।
8. विकेन्द्रीकृत नियोजन के अर्न्तगत सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण के अभ्यास द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षता विकसित करना।
9. आकर्षक विद्यालय/कक्षा निर्माण, रूचिपूर्ण माहौल, विद्यालय संचालन में ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के लिए अभिप्रेरित करना।
10. अन्तः क्षेत्रीय समन्वय, सहयोग तथा प्रा0 शिक्षा के लिए वित्तीय एवं अन्य स्थानीय संसाधन जुटाने के लिए अभिप्रेरित करना।

ये प्रशिक्षण "प्रयास एवं संकल्प" प्रशिक्षण मंजूषा की प्रशिक्षण किया आधारित सहभागी तकनीको यथा समूह संवाद, समूह कार्य, रोल प्ले, केस स्टडी, अभ्यास कार्य खेल पद्धति पर आधारित थे। प्रशिक्षण के दौरान यह अनुभव किया गया कि समुदाय प्रशिक्षण से जुड़ सका तथा शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण का सृजन भी हो सका। ग्राम शिक्षा समिति का 2 दिवसीय प्रशिक्षण रू0 30 प्रति व्यक्ति की दर से व्यय करते हुये 3 सदस्यो का प्रशिक्षण प्रति ग्राम सभा में आयोजित किया जायेगा।

✦ ग्राम शिक्षा समिति हेतु प्रशिक्षण विवरण वर्षवार ✦

* सारिणी 9.2 *

क0सं0	विकास खण्ड	कुल ग्राम सभा	प्रशिक्षण हेतु सदस्य	वर्ष			
				2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	रामपुरा	43	344	3000	1512	3000	1512
2	माधौगढ़	57	456	-	-	-	-
3	जालौन	61	488	-	-	-	-
4	डकौर	76	608	-	-	-	-
5	कुठौंद	66	528	-	-	-	-
6	कदौरा	68	544	-	-	-	-
7	नदीगाँव	73	584	-	-	-	-
8	कौंच	62	496	-	-	-	-
9	महेवा	58	464	-	-	-	-

जनपद जालौन में वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 में कुल 564 ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षित किया गया। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य गॉव के बुद्धजीवी एवं शिक्षा में रूचि रखने वाले 12305 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

✦ नगर शिक्षा समिति हेतु प्रशिक्षण विवरण वर्षवार ✦

* सारिणी 9.2.1 *

क0	नगर क्षेत्र / नगर पंचायत	कुल वार्ड	प्रशिक्षण हेतु सदस्य	वर्ष			
				2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	नगर क्षेत्र कौंच	26	208	630	410	630	410
2	नगर क्षेत्र उरई	28	224	-	-	-	-
3	नगर क्षेत्र कालपी	24	192	-	-	-	-
4	नगर क्षेत्र जालौन	25	200	-	-	-	-
5	नगर पंचायत	27	216	-	-	-	-
	योग	130	1040				

विद्यालय की गतिविधियो में समुदाय का प्रतिभागिता को बढाने के लिए तथा शैक्षिक विकास हेतु आयोजित इन प्रशिक्षणो में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिग अभ्यास भी किये गये। जिसके आधार पर "ग्राम शिक्षा योजना" तैयार की जा सके। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर तैयार कराई जा रही हैं।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, विद्यालय न आने वाले बच्चो की पहचान तथा उनके विद्यालय न आने के कारणो की पहचान के लिये सूक्ष्मनियोजन तथा स्कूल मानचित्रण का कार्य किया गया। प्रशिक्षण के दौरान इस विषय को भी भली भांति बताया गया तथा अभ्यास कार्य द्वारा विधि बताई गयी। इससे नामांकन के प्रति उत्साह जाग्रत हुआ तथा स्कूल न आने वाली लड़कियो के नामांकन के प्रति भी उत्साह देखने को मिला।

समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय पर्वो पर विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम आयोजन के अवसर पर भी समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है, बच्चो की प्रगति जानने के लिये अभिभावको को आमंत्रित किया जा सकता है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चो का नामांकन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता हैं। परिवार में माता पिता भाई बहिन या अन्य किसी सदस्य के शिक्षित होने से बच्चो को गृह कार्य में मदद मिलती है। छोटी कक्षाओं के बच्चो को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावको से अधिक सहयोग मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रो में अधिकांश अभिभावक कम पढ़े लिखे या निरक्षर है और कृषि कार्य में लगे होते है ऐसी स्थिति में वे बच्चो को अपेक्षित सहयोग नहीं दे पाते और न ही उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान दे पाते हैं। शहरी क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालयो में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारो से आते है। इनके माता पिता या अभिभावक अधिकांशतया मजदूरी का कार्य करते है तथा स्वयं भी शिक्षित नहीं होते है। इसलिये इन परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा में कोई सहयोग नही मिल पाता है।

इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग है।

✦ शिक्षकों को सहयोग समर्थन की व्यवस्था ✦

गुणवत्ता संवर्धन के लिये, बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में बृद्धि के लिये, कक्षा की प्रकिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहु आयामी रणनीति अपनाई गई थी। डी0पी0ई0पी0 के पूर्व एस0ओ0पी0टी0 कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाईया अनुभव की गई थी वह इस प्रकार है :–

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधी जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों चाहे वे जिस स्तर के हो, के लिये एक समान थी तथा कक्षा वास्तविकताओं और प्रकियाओ से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका अपितु सीमित संस्था में ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।
3. प्रशिक्षण के उपरान्त "फालोअप' खासकर विकास खण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन्हीं कठिनाइयों के निराकरण के लिये डी0पी0ई0पी0 के अर्न्तगत सेवारत शिक्षको के लिये प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है।

शिक्षकों को शैक्षिक सर्पोट के लिये जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयकों, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एन0पी0आर0सी समन्वयको की व्यवस्था है। प्रतिमाह सभी के द्वारा विद्यालयो का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है तथा शिक्षको को शैक्षिक तथा विद्यालय परिवेश संबंधी समस्याओं के लिये आवश्यक समाधान सुलझाये जाते हैं। डायट मेन्टर भी समय समय पर विद्यालयो

अकादमिक पर्यवेक्षण कर सुधार हेतु आवश्यक निर्देश देते रहते है। यद्यपि अकादमिक पर्यवेक्षण की इस प्रकार की व्यवस्था है लेकिन इन सुझावों की परिणति कार्यरूप में कम ही हो पा रही है। इसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिये डायट संकाय सदस्यों, बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक की एक टीम को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। जनपद के डायट संकाय सदस्यो, बी0आर0सी0 समन्वयको, सहसमन्वयको एन0पी0आर0सी0 समन्वयको को प्रशिक्षित किया जाना है।

राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर/इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 को श्रेणी बद्ध किया जाता है। जनपद में स्कूलों की ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति निम्न तालिका में प्रदर्शित है।

✦ विद्यालय श्रेणीकरण ✦

* सारिणी 9:3 *

क्रम संख्या	ब्लाक का नाम	स्कुलो की संख्या जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी				पर्यवेक्षक डायट मेन्टर आदि के सुझाव
			ए0	बी0	सी0	डी0	
1	रामपुरा	93	10	80	03	0	
2	कुठौंद	120	10	58	45	7	
3	माधौगढ़	105	10	57	35	3	
4	जालौन	109	7	47	50	5	
5	नदीगॉव	139	5	27	85	22	
6	कौंच	107	15	39	50	3	
7	उकोर	149	10	54	73	12	
8	महेवा	102	11	36	40	15	
9	कदौरा	119	8	42	59	10	

स्रोत- डायट पिण्डारी जालौन

उपरोक्त ग्रेडिंग व्यवस्था भौतिक वातारण तथा शैक्षिक वातावरण पर आधारित है। विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षण के दौरान जो मुद्दे/सगरयायें चिन्हित की जाती है, उसका निस्तारण मासिक बैठकों कार्यशालाओं में किया जाता है। सहयोग

एवं समर्थन की पकिया को प्रभावी बनाने की दशा में कुछ अन्य नवाचार किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जारही है।

✦ डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विवरण प्राथमिक स्तर ✦

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों को पाँच चक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। जिसमें एक चक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके लिए सन्दर्भदाताओं का चयन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं अन्य माध्यमिक विद्यालयो के शिक्षको में से खुली प्रातेयोगिता द्वारा किया गया। चयनित व्यक्तियों को टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण जनपद से बाहर ;डायट चरखारी मे राज्य स्तर के प्रशिक्षको द्वारा दिया गया। इसके उपरान्त ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों की देखरेख में प्रशिक्षणो की व्यवस्था की गयी।

प्रथम चक में साधन विचार पत्रक द्वारा आठ दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गयें। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु थे।:--

1. नवीन पाठ्य पुस्तकों का परिचय।
2. गति विधियो द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाना।
3. बहुकक्षा तथा बहुस्तरीय शिक्षण।
4. टी0एल0एम0 निमार्ण एवं उपयोग
5. समय प्रबन्धन, छात्र सम्प्राप्ति मूल्याँकन।
6. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो की समेकित शिक्षा।
7. भाषा विज्ञान, गणित, पर्यावरणी अध्ययन का प्रशिक्षकों प्रतिभागियों द्वारा नवीन गतिविधियों पर आधारित कक्षा शिक्षण प्रर्दशन।

✦ प्रथम चक्र - शिक्षक प्रशिक्षण ✦

* सारिणी-9:4 *

कमांक	ब्लाक / नगर क्षेत्र का नाम	फेरा	प्रशिक्षित		
			पुरूष	महिला	योग
1	श्रामपुरा	05	142	18	160
2	कुठौंद	06	155	37	192
3	माधौगढ़	06	159	33	192
4	जलौन	08	219	37	256
5	नदीगाँव	08	215	40	225
6	कौंच	09	238	43	281
7	डकोर	14	294	154	448
8	म्हेवा	06	157	32	189
9	क्दौरा	08	178	78	256
10	नगर क्षेत्र	07	134	78	212
	योग	77	1891	550	2441

स्रोत डयट पिण्डरी जालौन

✦ उच्च प्राथमिक स्तर ✦

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षको के लिये डी0पी0ई0पी0 योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इन शिक्षकों के लियें भी प्रशिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है। जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति का विवरण :-

* सारिणी - 9:5 *

कम संख्या	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	हाई स्कूल से कम योग्यताधारी	664	
2	केवल हाई स्कुल	1125	172
3	इण्टरमीडिट	253	275
4	स्नातक	301	110
5	प्रास्नातक	206	43

स्रोत बेसिक शिक्षा कार्यालय जालौन

उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनपद में हाई स्कूल से कम 664 शिक्षको तथा हाई स्कूल तक 1297 शिक्षकों को गणित – विज्ञान विषय में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

** सारिणी – 9:6 **

कम संख्या	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	5 वर्ष से कम	210	-
2	5 से 10 वर्ष तक	328	-
3	10 से 15 वर्ष तक	537	140
4	15 से 20 वर्ष तक	573	268
5	20 से 25 वर्ष तक	218	82
6	25 से 30 वर्ष तक	441	58
7	30 से अधिक	242	52

स्रोत बेसिक शिक्षा कार्यालय जालौन

सारिणी अ को देखने से स्वष्ट प्रतीत होता है कि 1125 हाई स्कूल योग्यता वाले है इन्हें पाठ्कम से संबंधित विषयो की नवीन जानकारी देने की आवश्कता होगी। सारणी ब के अनुसार इतने शिक्षक 210 5 वर्ष या कम शिक्षण अनुभव वाले है। इन्हें भी बच्चो के बहुकक्षा शिक्षण संबधी तथा नवाचार विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता होगी। जो शिक्षक 25 वर्ष से अधिक सेवा वाले है उन्हें भी नवीन शिक्षण विधियो की जानकारी देना समीचीन होगा।

नवाचार कार्यकमों को संचालित करने के लिए योग्य उत्साही तथा कर्मठ शिक्षको को प्रोत्साहित/पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। विद्यालय का परिवेश स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लियें समुदाय अध्यापकों तथा छात्रों को मिल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण प्रभावी बनाने हेतु दीवारो पर वर्णमाला, अंक ज्ञान संबंधी चार्ट तथा कहानी चित्रण एवं फर्स पर लूडों एवं अन्य बालोपयोगी कीडा चार्ट बनवाने की आवश्यकता है।

✦ प्रशिक्षणो का कक्षा में प्रभाव ✦

शिक्षकों पर्यवेक्षकों तथा छात्रों से वार्ता करनें पर ज्ञात हुआ है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है। सहायक सामग्री का प्रयोग भी हो रहा है। गति विधियों के प्रयोग से विशेषतया छोटी कक्षाओं; 1,2,3 के बच्चों के रूचि बढी है। उनके लियें शिक्षा आनन्दायरी हुई है, जिससे बच्चें कक्षा में सकिय दिखाई देते है।

प्रा0 वि0 में एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक कक्षायें लगायी जाती है। जिससो गतिविधि आधारित शिक्षण के लिये पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। एकल अध्यापक विद्यालयों में सभी कक्षाओं के संचालन में भी कठिनाई होती है।

जनपद में अभी बी0आर0सी0 भवन पूर्ण नहीं हुए है इस लियें प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर या अन्य वैकल्पिक स्थलों पर आयोजित किये गये। पर्याप्त स्थान न मिलनें के कारण कठिनाई अनुभव हुई। प्रशिक्षण ब्लाक स्तर से आयोजित करने से प्रतिभागियो को सुविधा मिली तथा उनकी सहभागिता में बृद्धि हुई। प्रशिक्षण जिन उद्देश्यो को लेकर किये गये उनमें पर्याप्त सफलता मिली।

✦ प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण ✦

डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत जनपद जालौन में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की गयी। बी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक तथा दो सहसमन्वयक और एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया जो कार्यरत शिक्षक ही है। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

1. बी0आर0सी0 समन्वयक के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 10 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन माडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण विद्यालय, एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 का उनके भौतिक तथा अकादमिक पक्षों

के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठको में शिक्षकों की समस्यों के समाधान शिक्षण सामग्री मेलो का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

✦ समन्वयकों की भूमिका ✦

बी0आर0सी0 समन्वयको द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य किये जा रहे है।

- बी0आर0सी0 संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाई के समाधान हेतु करते है।
- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणो का नियोजन आयोजन और फालोअप।
- विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन तथा उन्हें फीडबैक प्रदान करना।
- वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसे कियान्वित करना।
- शिशु शिक्षा केन्द्रो तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करना।
- एन0पी0आर0सी0 स्तरीय क्रिय कलापो का पर्यवेक्षण करना।
- ई0एम0आई0एस0 के आकड़ो का संकलन।
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा सूक्ष्मनियोजन, मानचित्रण, वातावरण सर्जन आदि कार्यो का आयोजन।
- कार्यो तथा कार्यक्रमो की रिर्पोट तैयार कर डायट को भेजना।

✦ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका ✦

सकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्यसहगामी क्रिया कलापों के केन्द्र विन्दु एन0पी0आर0सी0 है स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना सूक्ष्मनियोजन

तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियो का प्रशिक्षण आयोजित करना शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग पदान करना आदि एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के प्रमुख कार्य है इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् है।

- शिक्षको की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयेाजन।
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो तथा शिशु शिक्षा केन्द्रो का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण।
- स्कूल चलो अभियान, बाल गणना तथा ई0एम0आई0एस0 आकडो का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
- बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना।
- कार्यो तथा कार्यक्रमों की रिर्पोट तैयार कर बी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना।

✦ प्रोत्साहन योजनाँए ✦

प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रबृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक की आयु तक के समस्त बच्चों को प्रा0 विद्यलयों से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लियें समयबद्ध कार्यक्रम के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराई गयी हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुयी है। बच्चों के लिए पोषाहर कार्यक्रम चलाया गया जिससे नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला है।

बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बनायें रखनें के लिए विद्यालयों में बच्चों के लिये छात्रवृत्ति, पोषाहार योजना तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें के वितरण की योजनायें संचालित है। इन सुविधाओं से अभिभावकों को सहायता मिलती है और बच्चो का नामांकन विद्यालय में बढा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है। छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति अनु0 जनजाति के सभी बालक बालिकाओं, पिछडा वर्ग के प्रतिकक्षा कुछ छात्रों को दिया जाता है। पोषाहार योजना का लाभ विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं को प्रति माह प्राप्त होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत की गयीं है। जिसमें कक्षा 1–5 तक के अनु0जाति के सभी बालक बालिकायें तथा अन्य वर्गो की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रतिवर्ष वितरित की जाती है। इस वर्ष इस योजना से जनपद के 516250 बालक बालिकाये लाभन्वित हुयें है।

जिला प्रा0 शि0 कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन किया गया है। इस क्रम में बेसलाइन एसेसमेंट स्टडी सन् 2000 में की गयी थी। इस वर्ष सेम्पुलिंग सर्वे भी कराया गया जिसके आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का आंकलन किया जा सकता है।

कक्षा 2 भाषा में छात्रों की उपलब्धि।

* सारिणी 9:7 *

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	9.88	9.23	9.08	10.29	9.55
सैम्पल सर्वे	10.25	11.06	10.15	12.05	10.42
उपलब्धि में वृद्धि	0.37	1.83	1.07	1.76	0.87

स्रोतः विभागीय आँकड़े

कक्षा 2 गणित में छात्रों की उपलब्धि।

* सारिणी 9:8 *

परीक्षण	बलक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	10.40	10.20	10.10	10.87	9.84
सैम्पल सर्वे	11.35	11.40	12.05	11.69	10.60
उपलब्धि में बृद्धि	0.95	1.2	1.95	0.87	0.84

स्त्रोतः विभागीय आँकड़े

कक्षा 5 भाषा में छात्रों की उपलब्धि।

* सारिणी 9:9 *

परीक्षण	बलक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	26.06	24.67	24.98	25.28	26.35
सैम्पल सर्वे	28.04	25.69	26.02	27.16	28.13
उपलब्धि में बृद्धि	1.98	1.02	1.04	1.88	1.78

स्त्रोतः विभागीय आँकड़े

कक्षा 5 गणित में छात्रों की उपलब्धि।

* सारिणी 9:10 *

परीक्षण	बलक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत	अनुसूचित जाति मध्यमान प्रतिशत	अन्य पिछड़ा वर्ग मध्यमान प्रतिशत	अन्य वर्ग मध्यमान प्रतिशत
बेस लाइन सर्वे	8.00	7.53	7.40	7.86	8.59
सैम्पल सर्वे	10.00	9.43	8.15	9.11	10.23
उपलब्धि में वृद्धि	2.00	1.89	0.75	1.25	1.64

स्त्रोतः विभागीय आँकड़े

बेसलाइन सर्वे के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर के सापेक्ष छात्रों की स्थिति निम्न तालिकाओं से स्पष्ट है।

कक्षा 2 भाषा में छात्रों की उपलब्धि।

* सारणी 9:11 *

क्रम	स्तर	बालक		बालिका		योग	
		सं0	%	सं0	%	सं0	%
1	0–40% न्यूनतम अधिगम स्तर से नीचे	173	47	195	55.8	368	91.3
2	41–60% न्यूनतम अधिगम स्तर की ओर	57	15.5	64	18.3	121	, 16.9
3	61–80% न्यूनतम अधिगम स्तर की ओर	69	18.8	31	8.9	100	13.9
4	80% से ऊपर न्यूनतम अधिगम स्तर	69	18.8	59	16.9	128	17.9
	योग	368	91.3	349	48.7	717	100

स्रोतः विभागीय आँकड़े

कक्षा 2 गणित में छात्रों की उपलब्धि।

* सारणी 9:12 *

क्रम	स्तर	बालक		बालिका		योग	
		सं0	%	सं0	%	सं0	%
1	0- 40% न्यूनतम अधिगम स्तर से नीचे	191	41	153	43	304	42.4
2	41–60% न्यूनतम अधिगम स्तर की ओर	74	20.1	63	18.1	137	19.1
3	61–80% न्यूनतम अधिगम स्तर की ओर	82	22.3	66	18.9	148	20.6
4	80% से ऊपर न्यूनतम अधिगम स्तर	61	16.6	67	19.2	128	17.9
	योग	368	91.3	349	48.7	717	100

स्रोतः विभागीय आँकड़े

कक्षा 5 भाषा में छात्रों की उपलब्धि।

* सारणी 9:13 *

क्रम	स्तर	बालक		बालिका		योग	
		सं0	%	सं0	%	सं0	%
1	0–40% न्यूनतम अधिगम स्तर से नीचे	207	66.1	186	66.7	393	66.4
2	41–60% न्यूनतम अधिगम स्तर की ओर	83	26.5	83	29.7	166	28.4
3	61–80% न्यूनतम अधिगम स्तर की ओर	18	5.8	10	3.6	28	4.7
4	80% से ऊपर न्यूनतम अधिगम स्तर	5	1.6	0	0	5	0.8
	योग	313	52.6	279	47.1	592	100

स्रोतः विभागीय आँकड़े

कक्षा 5 गणित में छात्रों की उपलब्धि।

* सारणी 9:14 *

क्रम	स्तर	बालक		बालिका		योग	
		सं0	%	सं0	%	सं0	%
1	0–40% न्यूनतम अधिगम स्तर से नीचे	297	94.9	274	98.2	571	96.5
2	41–60% न्यूनतम अधिगम स्तर की ओर	15	4.8	5	1.8	20	3.4
3	61–80% न्यूनतम अधिगम स्तर की ओर	01	0.3	00	00	01	0.2
4	80% से ऊपर न्यूनतम अधिगम स्तर	0	0	0	0	0	0
	योग	313	92.9	279	47.1	592	100

स्रोतः विभागीय आँकड़

सारिणी नं0 10–13 तक अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जनपद के प्रा0 वि0 के छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर से बहुत नीचे है। इस स्तर को कक्षा 2 भाषा में बालक 18.8% बालिका 16.9% गणित मे बालक 16.6% बालिका 19.2% ही प्राप्त कर सके है। कक्षा 5 में तो बडी ही दयनीय स्थिति है। भाषा में बालक 1.6% बालिका 0% गणित में बालक तथा बालिका दोनो 0% ही प्राप्त कर सके है।

✦ विशेष बच्चों के बारे में ✦

समाज में प्रत्येक बच्चें को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। सभी बच्चों का शत्प्रतिशत नामांकन, ठहराव और निर्धारित स्तर की विद्यालीय शिक्षा प्राप्त कर सकें यही इस योजना का उद्देश्य है।

समाज मे कुछ बच्चें ऐसे भी है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते है इन में बाल श्रमिक खेतिहर बाल श्रामिक, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चें, विकलांग बच्चें आते है जो अपनी कठिनाइयों समस्याओ के कारण विद्यालय नहीं आपते है। इनके विद्यालय से ना जुड पाने के कारण शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है।

इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिये उनके माता पिता तथा अभिभावकों से सम्पर्क कर उन्हें मानसिक रूप से तैयार करके उनकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लना होगा इन बच्चों में आत्म विश्वास जागृत करने की भी आवश्यकता है। ऐसे बच्चों की पहचान करके उनकी शिक्षा व्यवस्था के लियें शिक्षकों को डायट स्तर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

बाल श्रमिको, मलिन बस्तियों में रहने वाले तथा घुमन्तू बालकों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिये वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। क्योकि ये बच्चें प्रा0 विद्यालयों की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते है और इनके पास समय भी कम रहता है। सथा ही यह बच्चें औपचारिक स्कूल में प्रवेश लेने की उम्र ;6 वर्षद्ध को भी प्रायः पार कर जाते है अतः इनका प्रवेश कक्षा एक की बजाय इनकें स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले एवं घुमन्तू बालकों कों औपचारिक पाठ्य कम की निर्धारित अवधि आठ वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्य कम और तदानुरूप शिक्षण सामाग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चो को जीवनोपयोगी काशलो और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

✦ अनुसूचित जाति के बच्चो हेतु ब्रिज कोर्स ✦

* सारिणी 9:15 *

वर्ष	ब्रिजकोर्स की सं0	लाभांवित बच्चे
2003-04	7	280
2004-05	10	400
2005-06	10	400
2006-07	10	400

ब्रिजकोर्स के माध्यम से उपरोक्त सारणी अनुसार बच्चों को वर्षवार शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। घुमंतू बच्चों, बाल श्रमिक बच्चों,

विस्थापित परिवार के बच्चों, गलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों आदि को वै0 शिक्षा के अर्न्तगत विद्या केन्द्र, शिक्षा केन्द्र आदि में नामांकित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जायेगा।

* विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति *

* सारिणी 9:16 *

परिष्दीय विद्यालय	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय	पांच शिक्षक विद्यालय	पंच से अधिक शिक्षक विद्यालय
प्राथमिक स्तर	170	549	218	103	46	24
प्रतिशत	15.32	49.46	19.64	9.28	4.14	2.16

स्रोत : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन

विद्यालयों में शिक्षको की संख्या सारणी को देखने से ज्ञात होता हैं कि प्रा0 विद्यालयो में 15.32 प्रतिशत विद्यालय एक शिक्षक वाले 49.46 प्रतिशत वि0 दो शिक्षक वाले, 19.64: तीन अध्यापक वाले तथा 9.28: वि0 चार शिक्षक वाले है। ऐसी स्थिति में अधिकांश विद्यालयों में एक अध्यापक को एक समय में एक साथ कई कक्षायें पढ़नी पड़ती है। इसके लिए शिक्षको बहुकक्षा शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहियें अतः उन्हें बहुकक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होगा।

उच्च प्रा0 विद्यालयों में भी जनपद में बहु कक्षा शिक्षा की स्थिति बनी हुयी हैं । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषा गणित,विज्ञान के विषयों के लिये विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिये तभी वह इन विषयों का शिक्षक ठीक प्रकार से कर सकते हैं । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक भी प्रोन्नत होकर नियुक्त होते हैं इससे वॉछित स्तर के अध्यापक नही मिल पाते है । जिससे वहुत से विद्यालयो में एक सामान्य अध्याप्क को विशिष्ट विषयों का शिक्षण करना पडता हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षको को विषयों के नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये । जिससे शिक्षक इन विषयों का शिक्षण उचित प्रकार कर सकें।

प्रभावी शिक्षण में सहायक सामग्री के उपयोग का बहुत महत्व हैं। जहॉ तक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा शिक्षण की बात है , देखने में आया है कि इसका प्रयोग कम हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर तो सहायक सामग्री का प्रयोग देखने को मिलता हैं। किन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका प्रयोग बिल्कुल नही हो पाता। विषय वस्तु को मौखिक या श्याम पट पर अंकित करके ही बोध कराया जाता हैं। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रयोगशाला की आवश्यकता है। इसके लिये ब्लाक स्तर पर किसी केन्द्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा विकास खण्ड के किसी माध्यमिक विद्यालय को सकुल विद्यालय बनाकर उसमें प्रयोगशाला की सामाग्री दी जायेगी और इन्ही विद्यालयों में विकास खण्ड के विद्यालयों को प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जायेगी ।

स्कूल भ्रमण,शिक्षकों से विचार विमर्श के दौरान शिक्षक अपनी शैक्षिक कठिनाईयॉ इस प्रकार बतलाते है।

1--प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नही हैं जिससे एक समय मे एक साथ एक से अधिक कक्षाये पढानी पडती हैं।

2--अन्य विभागीय कार्यो में लगा दिये जाने के कारण शिक्षण के लिये पर्याप्त समय नही मिल पाता ।

3– अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नही हैं जिससे बच्चों में वे नियमित विद्यालय नही भेज पाते । उन्हें घरेलू कार्यो में अक्सर लगा दिया जाता है ।

4– बच्चों को गृह कार्य पूरा करने में अभिभावको का सहयोग नही मिल पाता जिससे वे गृह कार्य पूरा नही कर पाती है ।

5– विभिन्न पाठो के शिक्षण के लिये शिक्षण सहायक सामाग्री बनाने व प्रयोग करने की पर्याप्त जानकारी नही है। जानकारी दी जाने की आवश्यकता है ।

6– विज्ञान ,गणित के कुछ कठिन स्थलों के शिक्षण में भी कठिनाई है। जिसकी जानकारी दी जानी की आवश्यकता है ।

7– उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते है वे पूरी तरह तैयार नही होते, नवीन ज्ञान देने में कठिनाई होती है, उन्हें समझाने में अधिक समय लगता है ।

8– उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों के अध्यापक नही है, सामान्य विषयो के अध्यापको को गणित, विज्ञान, भाषा विषय पढाने पडते है।

प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सर्पोट की व्यवस्था के अर्न्तगत न्याय पंचायत स्तर पर,एन0पी0 आर0सी0, ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय इस व्यावस्था से अच्छादित नही हैं। उनके लिये भी इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है । यह शैक्षिक सपोर्ट उच्च प्राथमिक विद्यालयो को डायट द्वारा जनपद स्तर पर तथा सकुल विद्यालयों के द्वारा ब्लाक स्तर पर किसी माध्यमिक विद्यालय या केन्द्रीय विद्यालय को संकुल बना कर दी जा सकती है । ग्रामीण क्षेत्रो के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकांश बच्चों के अभिभावक निरक्षर है या अपने कृषि कार्य में लगे है। जिससे वे बच्चो की शिक्षा में कोई सहयोग नही दे पाते इसलिये विद्यालयों में ही ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे बच्चो को सीखने का अधिक अवसर प्राप्त हो सके ।

एस0एस0ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधरित प्रशिक्षणः-

सर्व शिक्षा अभियान गुणबत्ता परक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महात्वाकांक्षी कार्यकम है। जनपद जालौन में 6 –14 वय वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणबत्ता परक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिर्वतन करके तथा समुदाय की भागी दारी सहित प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति द्वारा किया जायेगा । कार्यकम के लक्ष्य इस प्रकार है।

1– 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल,ई0जी0एस0 केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा ।

2– सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा ।

3– सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य 2010 तक प्राप्त कर लिया जायेगा ।

4– गुणवत्ता परक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती है , प्रदान की जायेगी ।

5– प्राथमिक स्तर पर बालक,बालिकाओं , समुदायों और समूहों के मध्य अन्तर को 2007 तक समग्र प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा ।

6– लक्ष्य समूह 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा ।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । सर्व प्रथम गुणात्मक परिर्वतन के लिये जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा । जिसमें जनपद विकास खण्ड,न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी । इस हेतु चार दिवसीय विजनिंग कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों तथा डायट के संकाय सदस्यों,जिला परियोजना कार्यलयों के कर्मियों , विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तर अभिकर्मियों के लिये डायट स्तर पर विजनिंग कार्यशाला आयोजित की जायेगी । जिनमें मुख्यता सर्व शिक्षा अभियान के उददेश्यों लक्ष्यों,बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमे बदलाव के लक्ष्यों , शिक्षको,विद्यालयों तथा कक्षा कक्षो की प्रकिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाब के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियॉ की जायेगी । इन कार्यशालाओं का उददेश्य होगा कि परियोजना के अन्तर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार अवधारणाये बन सके । शिक्षकों के लिये भी विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्यायपंचायत स्तरपर किया जायेगा ।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिबृद्वि, उनके विषय ज्ञान को बढाने के लिये शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे । सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत प्रशिक्षण के रूप में संचालित किया जायेगा । शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रखलाबद्व नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी0आर0सी0 स्तर पर 6–8 दिवसीय की अवधि के लिये तथा इसके अनुकम में लघु

अवधि का प्रशिक्षण तथा कार्यशालाऐ बी0आर0सी0 और मुख्यता एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेगें। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षको के लिये नियमित आधार पर अभिमुखी करण में सहायक सिद्व होगी ।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण अनुभवों में अनुभूति आवश्यकताओं जैसे बहुकक्षा –बहुस्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढाना , प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिये विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठय वस्तुओ को बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण किये जायेगे।

✦ *प्राथमिक शिक्षको के लिये प्रशिक्षण* ✦

प्रथम वर्ष में पाठय पुस्तकों में केन्द्रित आठ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्राथमिक विद्यालयों के प्राधानध्यापकों , अध्यापकों तथा शिक्षा मित्रों को प्रदान किया जायेाग। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाये भी आयोजित की जायेगी। जिनका विवरण इस प्रकार है।

- विजनिंग कार्यशालायें – तीन दिवसीय–एन0पी0आर0सी0 स्तर तक।
- वहुकक्षा शिक्षण की दृष्ट्रि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामाग्री निर्माण हेतु एक –एक दिवसीय तीन कार्यशालायें , एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।
- मैटेरियल मेलाा – एक दिवसीय– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर।
- विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फाओअप के अन्तर्गत एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण / कार्यशालाये जो पाठ्य प्रस्तुतीकरण केन्द्रित होगी।

ये वर्ष के पॉच महीनों में आयेाजित की जायेगी । इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा । एन0पी0आर0सी0

स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणो कार्यशालाओं तथा गोष्ठियो का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी0आर0सी0 एंव डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा ।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणो पर प्रति–प्रतिभागी रूपये 70 /– की दर से अनुमानित व्यय है ।

द्वितीयः–

वर्ष में इसी प्रकार भाषा तथा गणित की विषय वस्तु आधारित तथा वहु कक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित सात दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा । इस सात दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त तथा इसी तार तम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाये आयोजित की जायेगी, जिनका विवरण इस प्रकार है ।

- वहुकक्षा शिक्षण तथा वहु स्तरीय शिक्षण हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यता शिक्षण विधियों , प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामाग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामाग्री निर्माण समय प्रबंधन तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओ पर प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे जो वर्ष के सात महीनो में आयोजित होगे इनमें बी0आर0सी0 स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप का ध्यान रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा ।
- वास्तविक शिक्षण समय को बढाने के लिये शिक्षण रणनीतियो सबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा ।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रतिभागी रूपया 70 /–प्रतिदिन की दर से प्रस्तावित है ।

तृतीय वर्ष :-

तृतीय वर्ष में विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित आठ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाय भी आयोजित की जायेगी। जिनका विवरण इस प्रकार है।

- बी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रूचिकर बनाने,सामाग्री निमार्ण तथा पाठ प्रस्तुतियो पर आधारित होगा।
- बी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियो पर आधारित होगा।
- बी0आर0सी0 स्तर पर सतत तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों / टेस्ट आइटम निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
- प्रशिक्षणों के फालोअप के लिये एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाये पॉच माह में आयोजित की जायेगी। जिनका एजेण्डा 'डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रूपये 70 /-की दर से अनुमानित है ।

चतुर्थ वर्ष :-

चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिगम प्रकिया तथा सामाग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित पॉच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे।इसी तारतम्य में बी0आर0सी0, एन0पी0 आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण , कार्यशालाये भी आयोजित की जायेगी। जिनका विवरण इस प्रकार है।

- प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाये वर्ष के सात महीनों में आयोजित की जायेगी । जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामाग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाये आयोजित की जायेगी। जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षको को आमंत्रित किया जायेगा।
- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ्य योजनाओ की प्रस्तुती तथा सामाग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
- कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों के उपयोग सबंधी दो दिवसीय कार्यशाला एन0पी0.आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी ।

चतुर्थ वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 /–की दर से अनुमानित है ।

पचंम वर्ष:-

पंचम वर्ष में प्राथमिक शिक्षको के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणो के आधार पर पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगे । जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख विन्दु रहेगा इसके उपरान्त आगामी प्रशिक्षणो की रूपरेखा तथा विषय वस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणो के अनुभवो और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा ।

पंचम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70 /–की दर से अनुमानित है ।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षको के लिये उपयुर्क्त प्रस्तावित प्रशिक्षणो के अतिरिक्त अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगे जिनका विवरण इस प्रकार है।

- प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु पॉच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामाग्री निर्माण के सबंध में होगा।
- जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा भाषी बच्चे तथा शिक्षक है ऐसे शिक्षको के लिये उर्दू विषय शिक्षण के लिये पॉच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

- जिन अध्यापको की शैक्षिक योग्यता इण्टर मीडिएट अथवा इससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित पॉच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- जिन शिक्षको का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षो से अधिक है उनके लिये नवीन शिक्षण विधियो पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
- नव नियुक्त सहायक अध्यापको के लिये 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा । इस में प्रतिवर्ष नवनियुक्त अध्यापक /अध्यापिका को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।
- जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेगे उनके लिये तथा अन्य प्रधानाध्यापक,प्राथमिक विद्यालयो के लिये भी पॉच दिवसीय प्रशिक्षण आयेाजित किया जायेगा जो मुख्यता नेतृत्व ,समय प्रबंधन , विद्यालय अभिलेखो के रख रखाव , स्कूल पर्यवेक्षण आदि विन्दुओ पर केन्द्रित होगा।

✦ उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण ✦

डी0पी0ई0पी0 के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओ के शिक्षको के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था नही थी ,अतः उच्च प्राथमिक शिक्षको के लिये भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयेाजित किया जायेगा । जिसमें सहायक अध्यापक,प्रधानाध्यापक , हाईस्कूल तथा इण्टरकालेजो में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक/ शिक्षकाये प्रतिभाग करेगें। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीति उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियो की तुलना में पाठ्य वस्तु का महात्व अधिक है तथा शिक्षको के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की बृद्वि की आवश्यकता अनुभव की गई है । इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षको के लिये प्रशिक्षण निम्नवत् आयोजित किये जायेगे।

प्रथम वर्ष :-

प्रथम वर्ष में शिक्षको को विज्ञान विषय के शिक्षण , विषय वस्तु शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामाग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो आठ दिवसीय होगा।

इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठो की प्रस्तुति,पाठ योजनाओ तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामाग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फलोंअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाये एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा । एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय मैटेरियल मेला काय आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षको द्वारा शिक्षण सामाग्री तैयार कर प्रर्दशित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय मैटेरियल मेला आयोजित किया जायेगा । प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणो पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रूपया 70 /–की प्रस्तावित है ।

द्वितीय वर्ष :-

द्वितीय वर्ष में शिक्षको को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय वस्तु , शिक्षण विधियों, सामाग्री निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धी सात दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठयक्रम तथा पाठय पुस्तकों के आधार पर पाठो की प्रस्तुति पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामाग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी ।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाये एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा । जिसमें शिक्षको द्वारा शिक्षण सामाग्री तैयार कर प्रर्दशित की जायेगी । इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर भी एक दिवसीय गणित मेल । आयोजित किया जायेगा । दितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणो पर प्रति प्रतिभागी रूपये 70/ – प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष :-

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षको को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 6 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड़ स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्य कम तथा पाठयपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति , पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामाग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण / कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी ,तथा वर्ष में 6 माह इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपयुर्क्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षको के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामाग्री का विकास करने हेतु कमशः बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय तथा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी । तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति–प्रतिभागी रूपये 70•00 की दर से अनुमानता प्रस्तादित है।

चतुर्थ वर्ष :-

चतुर्थ वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षको के लिये हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के लिये मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो आठ दिवसीय होगा । शिक्षण प्रशिक्षण के इस कम में बी0आर0सी0 स्तर पर भाषा शिक्षण

हेतु अनुपूरक अध्ययन सामाग्री विकास हेतु दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी ।

भाषा शिक्षण हेतु पाठय पुस्तको के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी । इसके साथ –साथ भाषा शिक्षण हेतु सामाग्री निर्माण हेतु दो दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी । प्रशिक्षण के फालोअप हतु डायट द्वारा तैयार ।केये गये एजेण्डा के आधार पर एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक बैठके वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेगी । चतुर्थ वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणो पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन 70•00 की दर से प्रस्तावित है।

पंचम वर्ष:-

पंचम वर्ष में उपयुर्क्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे जो 8 दिवसीय होगे । इन प्रशिक्षणो के उपरान्त आगामी प्रशिक्षण की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभव तथा फीड बैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विस्तार किया जायेगा । पंचम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70•00 की दर से प्रस्तावित है।

उपयुर्क्त सभी प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जायेगा, तथा ये प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किये जायेगे।

उपयुक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षण के लिये कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगे जिनका विवरण इस प्रकार है –

1- कम्प्यूटर उपयोग सबंधी प्रशिक्षण :-

सूचना प्रौधोगिकी के बढते हुये प्रभाव तथा भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष मे प्रत्येक विकास खण्ड में कुल 7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर

शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षको का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा । इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों का एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये एक माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सबंधी शिक्षण प्रदान करेगे। पायलट आधार पर चलाये गये इस कार्यकम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यकम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्षो में की जायेगी ।

2-जेण्डर सेंसिटाइजेशन :-

कक्षा में वालिकाओ के प्रति व्यवहार में संवेदशीलता लाने हेतु बी0आर0सी0स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालाये आयोजित की जायेगी जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेगा।

गतवर्ष ब्लाक संसाधन केन्द्रो पर परिषद के प्रा0 वि0 के अध्याक, अध्यापिकाओं को जण्डेर संवेदीकरण संबंधी 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है।

सारणी 9:17

कं0स0	ब्लाक	फेरे	प्रशिक्षण हेतु अध्यापक		
			पुरूष	महिला	योग
1	रामपुरा	4	111	17	128
2	माधौगढ़	4	106	22	128
3	जालौन	4	106	18	124
4	डकौर	4	75	52	127
5	कुठौंद	4	96	32	128
6	कदौरा	4	83	41	124
7	नदीगाँव	4	100	28	128
8	कौंच	4	112	14	126
9	महेवा	4	104	24	128

3-नेतृत्व प्रशिक्षण :-

सभी उ०प्र० वि० के प्राधानाध्यापको को नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबंधन एंव विद्यालय प्रबंधन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर किया जायेगा । यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा इसके लिये प्रशिक्षण माडूलय का विकास सीमेट इलाहाबाद के सहायोग से डायट द्वारा किया जायेगा।

4- अन्य प्रशिक्षण:-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षको के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेगे जिनका विवरण इस प्रकार है--

1- शिक्षा मित्र/ आचार्य जी प्रशिक्षण :-

जनपद के शिक्षा मित्रों तथा ई०जी०एस०केन्द्रों के आचार्य जी के लिये 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा । यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रो के लिये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणो के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र, आचार्य जी के लिये 15 दिवसीय पुनवोधात्मक प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा ।

2-वैकल्पिक शिक्षा :-

जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के अनुदेशकों के लिये आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेसर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माडयूल का विकास डायट द्वारा तथा एस०सी०ई०आर०टी० के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन०पी०आर०सी० , बी०आर०सी० के समन्यवको द्वारा किया जायेगा। पर्वेक्षण हेतु तथा क्षमता विकास हेतु समन्यवकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किया जायेगा।

3-ई0सी0सी0ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :-

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिये सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जोयगा । इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माडयूल का उपयोग किया जायेगा ।

अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर किया जोयगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य विन्दु इस प्रकार है।

- स्कूल रेडीनेस
- बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करना हेतु समुदाय का सवेदीकरण ।
- 3-6 वय वर्ग के बच्चों के सज्ञानात्मक ,शारीरिक विकास,भाषायी कौशलों का विकास, बच्चों में संवेगात्मक विकास और सृजानात्मक अभिव्यक्ति, सौदार्न्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि।

प्रशिक्षण 7 दिवसीय है इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामाग्री, शैक्षिक सामाग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त पॉच केन्द्रो का भ्रमण भी कराया जाता है। इस माडयूल का आगामी तीन चार वर्षो तक उपयोग किया जायेगा , तदनन्तर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4- बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयको का प्रशिक्षणः-

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयो को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है। एस0एस0ए0 परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल, इण्टरकालेजो में सचालित कक्षा 6–8 के शिक्षको को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी0आर0सी0,एप0पी0आर0सी0 समन्वयको की क्षमता में अभिवृद्वि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0

समन्वयको का उनके कार्य तथा दायित्व सबंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के सबंध में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माडयूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है। इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग में लाया जायेगा। बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 के समन्वयक सेवारत शिक्षको के लिये आयोजित समस्त प्रशिक्षणो को भी प्राप्त करेगें तथा इसके अतिरिक्त समय समय पर शिक्षा मित्र,वैकल्पिक शिक्षा ,शिक्षा गारण्टी योजना ,ई0सी0सी0ई0 तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माडयूल के आधार पर इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 र मन्वयक अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकेगे।

5-ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण :-

जनपद में विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नि ोजन तथा कियान्वयन में ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा । इस हेतु प्रशिक्षण माडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया गया है। ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 के लिये यह प्रशिक्षण सीमेट द्वारा डायट स्तर पर कराया जायेगा । इस प्रशिक्षण का मुख्य विन्दु इस प्रकार है।

- अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियन्त्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण ।
- विद्यालयों , बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 ,वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों ,ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों ई0जी0एस0 केन्द्रो आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण ।
- अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण ।
- ई0एम0आई0एस0, माइक्रोप्रलानिंग तथा समुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षण।

6-ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षणः-

स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढानें , स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों विशेषतया बालिकाओं का नामॉकन सत् प्रतिशत करने ,ग्राम शिक्षा योजना बनाकर उनका कियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगे। यह प्रशिक्षण प्रत्येक 2 वर्ष के अन्तराल पर किया जायेगा। प्रशिक्षण माडयूल का विकास राज्य स्तर पर डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओ के अनुरूप जनपद स्तर पर संसोधित तथा परिवर्धित किया जायेगा । ग्राम शिक्षा समितियों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे। इसमें निम्नाकित सदस्य प्रतिभाग करेगे। ग्राम शिक्षा समितियो के सभी सदस्य ,और महिला सदस्य,युवा मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रेच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रो या जिन क्षेत्रो में समुदायिक सहभागिता में प्रयास की और अधिक बढाबा देने की आवश्यकता है , ऐसे क्षेत्रो में डबलू0एम0जी0, एम0टी0, ए0पी0टी0ए0, युवक मंगल दल के सदस्यो की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढाने का प्रयास किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियो के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइको प्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यारा से प्राप्त आकडों और स्कूल विकास योजनाओ प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओ के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामॉकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कू। जाने के प्रयास किये जाते है। स्कूलों के कार्यो में समुदाय की भागीदारी बढती है। स्कूलों की गतिविधियो में समुदाय द्वारा पयवेक्षण शिक्षको के उत्तदायित्वो का पालन सुनिश्चित हुआ है। जिससे बच्चो की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढता है।

7-एस0एस0ए0 परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियं तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण

प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशानिर्देशो तथा कार्ययोजना की रणनीति के सबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षो में आवश्यकतानुसार रिफेसर प्रशिक्षण भी ायोजित किये जायेगे। सभी प्रकार के प्रशिक्षणो के अनुभव की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जायगी तथा इनका अभिलेखीकरण भी किया जायेगा ।

8-शिक्षण समय को बढाना :-

जनपद के प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कार्य दिवसो का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि वर्ष में कुल 220 दिन कार्य दिवस के लिये विद्यालय खुले जिनमें लगभग 165 दिवस ही शिक्षण कार्य हो सका शेष समय परीक्षा, अन्य कार्य , समुदाय से सम्पर्क आदि में नष्ट हो गये। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा कार्यदिवस की संख्या कम से कम 220 सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यो में नष्ट होने वाले दिनो को कमश समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा । इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय के अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षको को समय प्रबंधन , सामाग्री प्रबंधन, स्कूल की गतिविधियो के आयोजन में बच्चो की भागीदारी बढाने , समुदाय से उपलब्ध होने वाले मानव संसाधनो का विद्यालय गतिविधियो में उपयोग आदि उपायो को बढावा दिया जायेगा।

* सारिणी 9:18 *

स्कूल समय सारणी(साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय साप्ताहिक

विषय	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
	वादन /समय	वादन /समय
भाषा–1हिन्दी	प्रति घन्टा 40 मिनट ×9	40 मिनट×9
भाषा –2 अंग्रेजी	प्रति घन्टा 40 मिनट×3	40 मिनट×6
भाषा –3 संस्कृत	प्रति घन्टा 40 मिनट ×3	40 मिनट×5

विज्ञान	प्रति घन्टा 40 मिनट×4	40 मिनट×6
गणित	प्रति घन्टा 40 मिनट ×8	40 मिनट×10
सामाजिक विषय	प्रति घन्टा 40 मिनट ×4	40 मिनट×6
सामाजोपयोगी कार्य	प्रति घन्टा 40 मिनट ×5	40 मिनट×4
कला शिक्षण	प्रति घन्टा 40 मिनट ×4	40 मिनट×3
अन्य (शरीरिक शिक्षा कृषि, पर्यावरणीय अध्ययन)	प्रति घन्टा 40 मिनट×8	40 मिनट×3

9- पाठ्य सामग्री :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठय पुस्तकों को जुलाई 2000 के सत्र में लागू किया गया । इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा । तदोपरान्त एस0सी0आर0टी0, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का "था आवश्यक संसोधन किये जाने पर तदनुरूप पाठ्य पुस्तके वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी । निशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण से लगभग 176050 बालक बालिकाये लाभान्वित होगे । इस पर लगभग 26407.5 हजार रू0 व्यय होगा। नवीन पाठय पुस्तक के आधार पर विकसित शिक्षक सन्दर्शिकाये जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थी उन्हे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षको के लिये उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया गया है।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) संसोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं , 6–8 हेतु संसोधित पाठय क्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित करा कर सभी प्राथमिक ,उच्च प्राथमिक विद्यालयो को वितरित किया गया है। यह पाठय क्रम आगामी पाठय क्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा । शिक्षको को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा कि

इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें । इस हेतु बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा ।

कक्षा 6–8 के लिये संशोधित पाठय कम के आधार पर नवीन पाठय पुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी के तत्वाधान में किया जा रहा है। ये पाठय पुस्तके एस0सी0आर0.टी0के विशिष्ट संस्थानों राज्य सन्दर्भ समूह के सदस्यों के शिक्षको, वाहय विशेषज्ञो के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रकिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही है। इन पाठय पुस्तको की फील्ड ट्राईलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हे लागू किया जायेगा । इन पाठय पुस्तको के आधार पर शिक्षक सन्दर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक सन्दर्शिकाऐ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निशुल्क शिक्षको के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा । उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन रत सभी वालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालको को निशुल्क पाठय पुस्तके उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें ——हजार बच्चे लाभान्वित होगे तथा इस पर अनुमानता ————————लाख व्यय होगे ।

10–किशोरी बालिकाओं के लिये पाठ्य सामग्री :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यकमों में उच्च प्राथमिक स्तर में विशेष बल दिया जायेगा । उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययन रत वालिकाओ को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी कि किशोरी बालिकाओ की जीवन आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयारी कर सकें । यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाऐ जीवनोपयोगी कौशलो का यथेष्ठ एंव सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षणअधिगत सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयो को उपलब्ध करायी जायेगी।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिकाः-

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना ----

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा । गुणवत्ता विकास के लिये जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेगी । जनपद, विकास खण्ड,न्यायपचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिये प्रशिक्षण का नियोजन तथा कियान्वयनण अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा कियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता
क विकास एंव शोध एंव मूल्याकन,नवाचार कार्यकमो का संचालन तथा अनुश्रवण,सामाग्री विकास,ई0एम0आई0एस0 आकडो का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा । इन कार्यकमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्य स्थल पर सहयोग समर्थन करने की उपयुक्त रणनीति का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संर्वधन करना इसके लिये डायट में निम्नवंत कार्यकम किये जायेगे ।

क्षमता विकास करना :-

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षको के विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने , बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0, समन्वयकों के पर्यवेक्षण के लिये प्रशिक्षित करने ,वैकल्पिक शिक्षा ,बी0ई0सी प्रशिक्षण,ई0सी0सी0 प्रशिक्षण समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वाहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिये "संस्थागत क्षमता विकास कार्यकम" को लागू किया जायेगा । इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रो के विशेषज्ञों ,स्वंयसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध मूल्याकनों का उपयोग कार्यकमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा । डायट द्वारा ए0बी0एस0ए0 /एस0डी0आई0 प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक तथा प्रधान अध्यापक और बी0आर0सी0 के समन्वयक ,एन0पी0आर0सी0 के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास

विभिन्न प्रशिक्षणो के मध्यम से करायी जायेगी । राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में बृद्वि की जायेगी। बाहय संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यो हेतु वार्ता /व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापको में क्षमता विकास किया जायेगा । उनमें नेतृत्व की क्षमता प्रंबधन एंव नियोजन की क्षमता ,शैक्षिक सर्पोट की क्षमता का विकास किया जायेगा ।

✦ अकादमिक सन्दर्भ समूह का सुदृढीकरण ✦

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिये कार्यक्रमो का नियोजन , कियान्वयन तथा अनुश्रवण करने गुणवत्ता विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रमो तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीड बैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया गया है। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाहय विशेषज्ञ शिक्षाविद् ,योग्य शिक्षक आदि सदस्य है। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षको को जोडा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाये मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण ,विषय शिक्षण तथा स्कूल का प्रबंध , शिक्षको की समस्याओं का निवारण आदि विन्दुओ पर केन्द्रित होगी तथा प्रत्येक वर्ष पॉच दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी ।

✦गुणवत्ता सुधार में स्वंयसेवी संगठनों की सहभागिता✦

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वेच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध है, उनका सहयोग जिला एंव प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने

जिला तथा विकास खण्ड संसाधन केन्द्र सम न्वयकों तथा मास्टर टेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एंव समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सबंध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वेच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रकिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति के स्वेच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

✦ कम्प्यूटर प्रशिक्षण ✦

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम की उपयोग की जानकारी आवश्यक रखनी है। अतः इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी । संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। जैसा कि उपर वार्णित है, इस हेतु कम्प्यूटर शिक्षण शिक्षको को प्रशिक्षित किया जायेगा।

जनपद में उ0 प्रा0 वि0 में अध्यनरत बालक बालिकाओं को कम्प्यूटर शिक्षा की जानकारी ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षित अध्यापको द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है।

✦ कम्प्यूटर शिक्षा हेतु उ0 प्रा0 वि0 का निर्धारण ✦

वर्षवार

* सारणी 9:17 *

वर्ष	उ0 प्रा0 वि0 की सं0	आच्छादित विकास खण्ड / नगर क्षेत्र	प्रशिक्षण हेतु अध्यापक / बी0आर0सी0
2003-04	80	3	80
2004-05	95	3	95
2005-06	95	3	95
2006-07	61	4	61

✦ शिक्षण सामग्री का विकास करना ✦

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन0पी0आर0सी0 पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार क्रमशः विकास खण्ड एंव जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा । इस कार्य में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में की गई सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा ।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षको को रू0 500•00 अनुदान के रूप में दिया जा रहा है इसका उददेश्य यह है कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकता अनुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेगे। शिक्षक इससे चार्ट पोस्टर,अन्य पठन सामग्री , सहायक सामग्रेयो विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि कय कर सकते है। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठय पुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना जारी रखी जायेगी तथा सभी शिक्षको को प्रतिवर्ष रू0 500•00 शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भॉति विभिन्न स्तरों पर मैटेरियल मेले आयोजित किये जायेगे। न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तद्पश्चात् इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापको के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास होगा।

✦ कार्यशाला गोष्ठियों का आयोजन ✦

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालाये एंव गोष्टियॉ डायट पर की जायेगी । वर्तमान में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत न्यायपंचायत स्तर पर शिक्षको की मासिक गोष्ठियो का आयोजन किया जाता है। जो शिक्षण

अधिगम प्रकिया पर मुख्यता केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षको की अकादमिक समस्याओ का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण सामग्री निर्माण आदि का कार्य कियाजाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 की सहायता की जायेगी। तैयार की गई वार्षिक योजना कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियो और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यकम मुख्यता उपयुर्क्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण , शिक्षको की कक्षा में अनुभूत कठिनाईयों का निवारण , आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओ पर आधारित होगा। निम्नलिखित विषयों पर कार्यशालाये तथा गोष्टिया आयोजित की जायेगी।

- बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आकडो की समीक्षा।
- अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
- विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षको के लिये अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
- छात्र छात्राओ की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आईटम का निर्माण।
- स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिये कथा –कविता का संकलन ।

✦ शोध एंव मूल्याकन ✦

जनपदीय परिस्थितियों एंव आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एंव शैक्षिक कार्यकमों को प्रभावी बनाने के लिये शोधकार्य का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यकमो के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयो जैसे पाठयकम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबंध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रो में वास्तविक स्थिति का आकलन कर व्यवहारिक कठिनाईयों के परिपेक्ष्य में उनके निवारणार्थ कियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कषो को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओ शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचा कर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन करेगे । शिक्षको ,समन्वयको एक्शन रिसर्च सबंधी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा । एक्शन रिसर्च के लिये

शिक्षको को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे कियान्वित करेगें। डायट की भूमिका मुख्यता एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षको की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओ का सुचारू रूप से कियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षको की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्याकंन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूप ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

✦ *कियात्मक शोध(एक्शन रिसर्च)* ✦

जनपद में विभिन्न स्तरो पर शिक्षको द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पॉच दिवसीय कार्यशालाये आयोजित की जायेगी तथा इन कार्यशालाओ के आयोजन में मुख्यतः सीमेट इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा । बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिये स्वंय अपनी कार्य योजना बनाये और समाधान ढूढने में कामयाब हो सके। इस प्रकार कियात्मक शोध की प्रकिया को संकुल स्तर तक तथा बाद में विद्यालय स्तर तक ले जायेगें। कियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है–

- शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार सम्भव है।
- बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो।
- बच्चों के सतत् व्यापक मूल्याकंन में कक्षा के बच्चों का सहयोग ।
- कक्षा की प्रकिया में जनभागीदारी बढाने के तरीके।
- शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतो का विकास।

- कार्य निष्पादन के आधार पर विभिन्न विद्यालयों में प्रबंधन के मुद्दे।
- विद्यालय विकास योजना के प्रभावी कियान्वयन के उपाय ।
- महिला शिक्षकाओ का रोल –परसेप्शन परिवर्तित करने के लिये रणनीतियॉ ।
- कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चो के लिये कारगर शिक्षण तकनीक ।
- जहॉ बच्चो की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर कम है उसके कारणो की पहचान।
- विद्यालयो के संदर्भ में समुदाय के सहयोग के आभाव के कारण का अध्ययन।
- बच्चो की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणो का अध्ययन।
- मध्यान्तर के पश्चात् विद्यालय से छात्रो के पलायन के कारणो का विश्लेषणात्मक निरूपण।
- अध्यापको के पठन पाठन के स्तर में वृद्वि हेतु प्रत्येक 6माह बाद मूल्याकंन ।

✦ *आकड़े का विश्लेषण नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग* ✦

ई0एम0आई0एस0 के द्वारा प्राप्त आकडो के द्वारा विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक ,प्रत्येक गॉव,प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/ आवश्यकताओं की जानकारो मिलती है। इसके द्वारा ब्लाक वार ,ग्रामवार, विद्यालयवार , लिंग तथा श्रेणीवार छात्रो की जानकारी कर सकते है। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है । इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते है। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओ के विषय में अध्ययन कर उन्हे विद्यालय में नामॉकित किया जा सकेगा।

ई0एम0आई0एस0 आकडे के विश्लेष्ण से क्वालिटी इंडीकेटर्स के संदर्भ में बच्चो की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिये रेपिटेशन रेट,कम्पलीशन रेट, बच्चो द्वारा शिक्षण चक को पूरा करने में लगा समय आदि।

डायट द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आकडो का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे इनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

✦ मूल्याकंन प्रणाली ✦

छात्रों के मासिक,वार्षिक मूल्याकंन की प्रणाली जो व्यवस्था वर्तमान मे है, उचित है,किन्तु सुधार के लिये आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर की जायेगी तथा मूल्याकन की व्यवस्था डायट पर हो। साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापको के सहयोग से बनाये जायेगे । छात्रो की उपलब्धि के मूल्याकंन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिये सतत् व्यापक मूल्याकंन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस0सी0आर0टी0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के अन्तर्गत बच्चो में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्याकंन हेतु सतत् एंव व्यापक मूल्यांकन सबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस सतत् एंव व्यापक मूल्याकंन प्रणाली को अन्तिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखी करण जुलाई 2001 से प्रारम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्याकंन सबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षको को प्रशिक्षण माडयूल का विकास नही किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक प्रशिक्षण माडयूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट ,बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तरीय अभिकर्मियो को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का कियान्वयन विद्यायल स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

✦ डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं तथा प्रतिभागी ✦

* सारणी 9:18 *

क्रमसं0	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य स्टाफ डी0पी0ओ स्टाफ,ए0बी0एस0ए0, एस0डी0 आई0,बी0आर0सी0 समन्वयक	4 दिन
2	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण	चुने हुये प्रशिक्षक	10 दिन
3	शिक्षा मित्र / आचार्य जी का प्रशिक्षण 1–आधारभूत प्रशिक्षण 2–रिफरेसर प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र आचार्य जी	30 दिन 15 दिन 15 दिन
4	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशको का प्रशिक्षण (आधारभूत एंव रिफरेसर)	अनुदेशक	15 दिन 10 दिन
5	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0बी0आर0सी0 समन्वयक	3 दिन
6	ई0सी0सी0 ई0 केन्द्रो के अनुदेशको का प्रशिक्षण	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रो की कार्यकत्रियो एवं सहायकाएं	7 दिन
7	बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयको का प्रशिक्षण	बे0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	7 दिन
8	ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण	ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0	5दिन
9–	ग्राम शिक्षा समितियो के प्रशिक्षण हेतु बी0आर0जी0 का प्रशिक्षण	बी0आर0जी0 के सदस्य	3 दिन
10–	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ ,उ0प्र0वि0 के चयनित शिक्षक	1 माह
11	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयो के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुये शिक्षक प्रशिक्षक	5 दिन
12	उर्दू शिक्षको का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	5 दिन
13	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवानेयुक्ति प्रा0वि0के सहायक अध्यापक	10 दिन
14	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर प्रौन्नति प्राप्त शिक्षक	5 दिन
15	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ,बी0आर0सी0,	5 दिन

16	मैटेरियल मेला	एन0पी0आर0सी0 के चुने हुये समन्वयक तथा चयनित शिक्षक चुने हुये शिक्षक	3 दिन
17	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक,डायट स्टाफ तथा चुने हुये शिक्षक	3 दिन
18	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण प्रशिक्षण	डायट स्टाफ,बी0आर0सी0, एन0पी0 आर0सी0 समन्वयक	3 दिन
19	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी0आर0सी0 ,एन0पी0आर0सी0 के चुने हुये समन्वयक तथा चयनित उ0प्र0 शिक्षक	5 दिन
20	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास की कार्यशाला(हिन्दी / स्थानीय बोली)	चिन्हित शिक्षक–शिक्षकायें	3 दिन
21	प्राथमिक /उच्चप्राथमिक कक्षाओं विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक /उ0प्र0वि0/ हाईस्कूल /इण्टर कालेज के चुने हुये शिक्षक	3 दिन
22	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक /उ0प्र0वि0/ हाईस्कूल /इण्टर कालेज के चुने हुये शिक्षक	3 दिन
23	अकादमिक सन्दर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक सन्दर्भ समूह के सदस्य	5 दिन
24	कक्षा शिक्षा में दृश्यश्रव्य माध्यम से उपयोग सबंधी कार्यशाला	बी0आर0सी0 समन्वयक, चयनित शिक्षक	2 दिन
25	बहु श्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मैटेरियल का विकास सबंधी कार्यशाला	चुने हुये शिक्षक	5 दिन
26	वास्तविक शिक्षण समय को बढाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी0आर0सी0,एन0बी0आर0सी0 समन्वयक	2 दिन
27	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट संकाय सदस्य	3 दिन
28	बल श्रमिको हेतु संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य तथा शिक्षक	5 दिन
29	समेकित शिक्षा के अन्तर्गत मास्टर टेनर्स प्रशिक्षण	बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	10 दिन

✦ अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 की समेकित भूमिका ✦

अकादमिक सुपरविजन में डायट,बी0आर0सी0,एन0पी0आर0सी0 की समेकित भूमिका रहेगी। एन0पी0आर0सी0 अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी0आर0सी0 को देगा तथा समीक्षा करके बी0आर0सी0 प्रतिवेदन डायट को प्रस्तुत करेगा। डायट में ए0आर0जी0 के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेण्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 कार्य करेगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठको का आयोजन,भ्रमण कार्यो का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा । अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उ0प्र0वि0,हाई स्कूल इण्टर कालेजो में 6–8 कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो , ई0सी0सी0ई0,ई0जी0एस0 केन्द्रो को भी लाया जायेगा ।

बी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखी करण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदढ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों एन0पी0आर0सी0 , बी0आर0.सी0 का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणी करण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले संसाधन केन्द्रा को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा ।

✦ बी0आर0सी0 की भूमिका ✦

ब्लाक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्य योजना विकसित करेगें।

- सेवारत शिक्षको का प्रशिक्षण आयोजन करेगे।

- विद्यालयो में प्रशिक्षणो के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई0जी0एस0,शिशु शिक्षा केन्द्रो का पर्यवेक्षण करेगें।
- समुदाय के सदस्यो का बी0आर0सी0 के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढाने के लिये पंचायत राज्य संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेगे।
- ई0एम0आई0एस0 आकडो का संकलन तथा विशलेषण करेगें।
- अकादमिक समस्याओ के निवारण हेतु एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के मध्य सकिय कडी का कार्य करेगे।
- बी0आर0सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु संदर्भ समूह विकसित करेगे।
- शोध एंव मूल्याकंन के लिये शिक्षको के लिये सहयोग प्रदान करेगे।
- स्कूल डेबलपमेंट प्लान का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेगे।
- बी0आर0सी0 स्तर पर सामग्री निमार्ण कार्यशाला का आयोजन करेगे।

  डायट द्वारा प्रस्तावित अन्य कार्यो का संचालन करेगें
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय एंव अभिभावको तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेगे।

✦ एन0पी0आर0सी0 की भूमिका ✦

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना इस प्रकार विकसित करेगे।

- शिक्षको के लिये मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करेगे।
- विद्यालयो ,वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो ,ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0एस0 केन्द्रो का अकादमिक पर्यवेक्षण करेगे।

- बी0ई0सी0 के सदस्यों , डबलू0एम0जी0 / पी0टी0ए0 / एम0टी0ए0 सदस्यो का प्रशिक्षण आयोजित करेगे।
- ई0एम0आई0एस0 आकडो का संकलन तथा विश्लेषण करेगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठो का प्रस्तुतीकरण करेगें।
- शोध एंव मूल्यावन अध्ययन के लिये शिक्षको को सहयोग प्रदान करेगे।
- स्कूल डेबलपमेंट प्लान का विकास करा कर इसका अनुश्रवण करेगे।
- एन0पी0आर0सी0 , अभिभावको शिक्षको तथा बच्चो के लिये एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आप को विकसित करेगे।

✦ नवाचार कार्यक्रम ✦

1. डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों के जनसमुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति,स्कूल न जाने वाले बच्चो के अभिभावक,व्यवसाय करने वाले बच्चो के अभिभावक,ग्राम प्रधान सम्मिलित थे तथा न्याय पंचायत संकुल प्रभारी, उ0प्र0वि0 के प्रधानध्यापक के साथ एफ0जी0डी0 के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न रहने के कारण विद्यालय में नही जा पाते या जिन्होने प्राथमिक स्तर की पढाई पूर्ण कर विद्यालय जाना बंद कर दिया है। उन्हे पुनः विद्यालय में लाने के लिये ठहराव बनाये रखने के लिये तथा उन्हे स्वावलम्वी बनाने के लिये कौशल विकास में दक्ष करने के लिये कार्यानुभव प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा । इसी प्रकार यदि लडकियो को उनकी इच्छानुसार फैशन डिजानिंग ,स्क्रीन प्रिन्टिग,फल संरक्षण आदि का प्रशिक्षण देने से उनका उ0प्रा0 स्तर पर विद्यालय में ठहराव बनाये रखने के लिये सहायता मिलेगी।

बालिकाओं के लिये कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार [Evaluation of the polot Project of work experience for girls of upper primary schools in U.P.1998 C.K.Mishra]जिन स्थानों पर यह योजना

संचालित की गई वहॉ कोई भी छात्रा विद्यालय से ड्राप आउट नही हुई । यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओ के धारण में मदद करते है।

इस आधार पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा । इस हेतु सर्व प्रथम जनपद के सभी विकास खण्डो में 3–3 उच्च प्राथमिक विद्यालयो/कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा । इस कार्य में यह योजना है कि उ0प्रा0वि0 के स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वहॉ बच्चो को ऐसे कौशलो में प्रशिक्षित किया जाये।

कार्यानुभव प्रशिक्षण इस प्रकार नियोजित किया जायेगा कि एक वार विद्यालय में कच्चा माल उपलब्ध करा दिया जायेगा । इस कच्चे माल से जो सामान तैयार होगा उस का विकय करके प्राप्त बचत धनराशि में से कुछ अंश बालक बालिकाओं को पारिश्रिमक रूप में प्रदान किया जायेगा तथा मूल धनराशि में से पुनः कच्चा माल कय किया जायेगा । इस प्रकार यह प्रकिया निरन्तर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के चलती रहेगी। उक्त कार्यानुभव प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र की आवश्यकता के आधार पर सभी उ0प्रा0वि0 में लागू किया जायेगा।

2. बच्चों के लिये सामग्री विकासः– पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरक शिक्षण सामगी विकसित की जायेगी जिसमें स्थानीय उपलब्ध विशेषज्ञों जनपद स्तर की विभूतियों ,भोगोलिक ऐतिहासिक स्थालो की जानकारी हो सकती है। इनको प्रचलित पाठ्यकम के साथ रखा जायेगा । जिससे बच्चे अपने स्थानीय महत्व के स्थलों महान व्यक्तियों के वारे में जान सकें एंव उनसे प्रेरणा ले सकें। इस मैटेरियल के विकास के लिये स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जायेगे। विषय वस्तु के विकास के लिये विभिन्न स्तरों प्राथमिक /उ0प्रा0/माध्यमिक के शिक्षकों स्थानीय शिक्षा विदों , समाज सेवी व्यक्तियों की कार्यशालाये आयोजित की जायेगी ।उपलब्ध स्थानीय साहित्य से भी योगदान लिया जायेगा। ।

3. कक्षा की प्रकिया में समुदाय की भागीदारी बढानाः– ग्राम शिक्षा समितियों के गठन के माध्यम से समुदाय को विद्यालय से जोडने का प्रयास किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियो की बैठके प्रति माह आयोजित किये जाने की व्यवस्था है लेकिन व्यवहारिक रूप में यह देखने में आता है कि बैठके नियमित रूप से नही होती और जब होती है तो इन का मुख्य केन्द्र विद्यालय परिसर की समस्याओं तक ही सीमित रहता है। बच्चों की उपलब्धि पर कोई चर्चा नही होती है। समुदाय की भागीदारी को इस ओर भी बढाया जायेगा । इसके लिये समुदाय के लोग अभिभावको को कक्षा शिक्षण की प्रकिया देखने के लिये आमांत्रित करेगे। जिससे उनमें बच्चो शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो सके। और बच्चों की शिक्षा पर विद्यालय के साथ साथ घर पर भी ध्यान दिया जाये समय समय पर अभिभावको को उनके बच्चो की उपलब्धि से भी अवगत कराया जायेगा । विद्यालय की वार्षिक समारोह में अच्छी उपलब्धि बच्चों को सम्मानित किया जायेगा। ऐसा करके स्थानीय अच्छे कार्यकर्ताओं का विद्यालय शिक्षण में सहयोग मिल सकेगा । विद्यालय से जुडकर समुदाय इसे अपना ही अभिन्न अंग स्वीकार कर सकेगा । यह सोच विद्यालय की प्रगति/विकास में महत्वपूर्ण होगी।

✦ जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण ✦

वर्तमान डायट पिडारी(जालौन) की स्थापना तृतीय चरण में सितम्बर 1995 में की गई । डायट का अपना भवन है। जो जनपद मुख्यालय से दक्षिण की ओर 34 किलो मीटर की दूरी पर तथा मुख्य राज मार्ग से 4किमी0 सदूर ग्रामीण अंचल में स्थित है। वर्तमान में डायट में भौतिक तथा मानवीय संसाधन इस प्रकार है।

भौतिक संसाधन :-

क्रमसं0	वर्तमान स्थिति	आवश्यकता
1–	प्रशासकीय भवन(दो मंजिल)	1–सबसे उपर मंजिल तक पहुंचने के लिये सीढी नही है अतःसीढ़ी की आवश्यकता है। 2–सबसे उपर की छत में सिलेब नही है जिससे बरसात में छते बुरी तरह टपकती है,छतो की मरम्मत व ढाल

		आवश्यक है। 3-सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य द्वारा पर लोहे का चैनल आवश्यक है ।
2–	छात्रावास 8डारमेंटरी(दो मंजिल) 80 प्रशिक्षणार्थियों के लिये।	1– गॉव के बाहर खेतों में स्थित होने के कारण पूर्णतया असुरक्षित है।लोहे का चैनल आवश्यक है।
3–	प्रचार्य आवास(एक)	1–मरम्मत की आवश्यकता ।
4–	छात्रावास अधीक्षक	1–मरम्मत की आवश्यकता।
5–	आवास(दो) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1– मरम्मत की आवश्यकता।
6–	आवास(दो)	1–चारों ओर कटीले तारों की बाड़।
7–	चार एकड़ खुला मैदान फर्नीचर	1– वर्तमान में उपलब्ध फर्नीचर अपर्याप्त है। *(क) कुर्सी 200 मेंज 200* (ख) 100 तखत छात्रावास के लिये (ग)100 गददे,100 कम्बल,100 बैठसीट,100 तकिया
8–	अन्य शैक्षिक उपकरण (उपलब्ध शून्य)	1– कम्प्यूटर (दो) 2–कम्प्यूटर लैब का अधुनीकीकरण 3–ई0टी0 विभाग में शैक्षिक तकनीकि उपकरण(रंगीन टी0वी0,प्रोजेक्टर,ओवर हैड़ प्रोजेक्ट,डिश ऐन्टीना आदि) 4–कार्यानुभव विभाग के लिये उपकरण 5–फोटो कापी मशीन 6–इलेक्ट्रानिक टाइप राईटर
9–	पुस्तकालय	1–नवीन शिक्षण तथा प्रशिक्षण सबंधी पुस्तकें ।
10–	नवीन भवन (शून्य)	2–अलमारियॉ 20 1–मीटिंग हाल (बडा) 2–प्रशिक्षण कक्ष (एक) 3–प्रबक्ता / अधापकों के लिये आवास (10) 4–जनपद स्तर पर एक मिनी डायट (एक मीटिंग हाल, आफिस,बरामदा अदि)

मानवीय संसाधन :-

जब से डायट की स्थापना हुई तबसे आज तक किसी प्रचार्य ने कार्यभार ग्रहण नही किया। उप प्राचार्य तथा वरिष्ट प्रबक्ता भी एक वर्ष या 6 माह रूकने के बाद अन्यत्र सीनान्तरित हो गये।प्रमुख रूप से क्लास–1 तथा क्लास–2 के पद प्रायः रिक्त रहते हैं। जिससे संस्थान की कार्य क्षमताओं एंव गुणबत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

✦ संस्थान की वर्तमान स्थिति ✦

क्रमस 0	पदनाम	वेतनकम	स्वीकृत पदो की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1–	प्राचार्य	रू010000–15200	01	0	01(प्रारम्भ से आज तक)
2–	उप प्राचार्य	रू010000–15200	01		0
3–	वरिष्ठ प्रवक्ता	रू08000–13500	06	01	05
4–	प्रवक्ता	रू0 5500–8650	17	01	10
5–	कार्यानुभव शिक्षक	रू04500–7000	01	07	0
6–	तकनीकी सहायक	रू0 4500–7000	01	01	0
7–	संख्यिकीकार	रू0 4500–7000	01	01	0
8–	कार्यालय अधीक्षक	रू0 5000–8000	01	01	01
9–	पुस्तकालयाध्यक्ष	रू0 5000–8000	01	0	01
10–	लेखाकार	रू0 4500–7000	01	0	01
11–	आशुलिपिक	रू0 4000–6000	01	0	0
12–	कनिष्ठ लिपिक	रू0 3050–4590	09	01	02
13–	प्रयोगशाला	रू0 3050–4590	02	07	02
14–	सहायक	रू0 2550–3200	05	0	0
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		48	05 24	24
	योग :–				

संकाय के सदस्यों के कौशल विकास सबंधी विवरण:–

संकाय के कुछ सदस्यों को कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिससे प्रशिक्षणो आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यो के सम्पादन में सुविधा हो सके।

1– समेकित शिक्षा हेतु संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

2– शैक्षिक सपोर्ट तथा अनुश्रवण का प्रशिक्षण ।

3– कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

4– शैक्षिक तकनीकि उपकरणों के संचालित किये जाने का प्रशिक्षण।

5– मनौवैज्ञानिक प्रयोगशाला उपकरणों / टेस्टों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण।

✦ उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था ✦

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यकमों का कियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जाना है । कार्यकम के सफलता पूर्वक कियान्वयन में विकास खण्ड,न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एंव शिक्षको की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के कियान्वयन विशेष कर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यकम का सुचारू संचालन एंव प्रत्येक स्तर पर उपयुर्क्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकमियों एंव शिक्षको में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा पुरस्कृत किया जायेगा ।

जनपद में प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाली दो बी0आर0सी0 को रूपये 10000 /–की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में एक एन0पी0आर0सी0 को रू0 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा । इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियो को कमशः रू0 15,000 तथा रू0 10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा । इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णया अनुसार विद्यालय को संमृद्व बनाने में कर सकेगी । शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने हेतु,पठन पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एंव योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू0 5,000 प्रदान किये जायेगे । पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी0आर0सी0 , एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों व शिक्षकों की ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय विजिट पर दिया जायेगा ।

✦ डाईट द्वारा संचालित किये गये प्रशिक्षणों का विवरण ✦

क्र0	प्रशिक्षण का नाम	सम्मिलित प्रतिभागी	फेरे	प्रशिक्षण की तिथि	विवरण
1	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	46	1	08-8-2000 to 11-8-2000	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
2	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	48	1	21-8-2000 to 24-8-2000	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
3	डी0आर0जी0 प्रशिक्षण	36	1	28-9-2000 to 29-09-2000	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
4	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	42	1	9-10-2000 to 12-10-2000	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
5	एस0ओ0पी0टी0 गणित	26	1	15-2-2001 to 24-2-2001	एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा
6	स्कूल विजनिंग कार्यशाला	49	1	16-10-2000 to 19-10-2000	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
7	बी0आर0जी0 प्रशिक्षण	178	9	18-9-2000 to 20-3-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
8	आचार्य जी प्रशि0	26	1	15-2-2001 to 6-3-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
9	आंगनबाडी प्रशि0	56	2	12-2-2001 to 5-3-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
10	एक दिवसीय कार्यशाला	60	1	24-3-2001	एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा
11	एक दिवसीय शैक्षिक संगोष्ठी	62	1	25-3-2001	एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा
12	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 प्रशि0	35	1	23-4-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
13	शिक्षा मित्र अभि0 प्रशि0	40	1	16-4-2001 to 15-5-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
14	टी0जी0टी0 सेवारत प्रशि0	22	1	14-5-2001 to 23-5-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
15	शिक्षा मित्र एवं आचार्य प्रशि0	20	1	10-6-2001 to 9-7-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
16	आंगनबाडी प्रशि0	45	1	20-6-2001 to 26-6-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
17	सेवा0शि0प्रशि0 बी0आ0सी0 कोंच	89	3	25-5-2001 to 9-6-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
18	सेवारत शिक्षक प्रशि0 नगरक्षेत्र	60	2	24-6-2001 to 1-7-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
19	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 आ0 भूत प्रशि0	66	2	6-8-2001 to 12-8-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
20	सेवारत प्रशि0 नगर क्षेत्र	32	1	16-8-2001 to 23-8-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
21	सेवारत प्रशि0 नगर क्षेत्र	60	1	24-8-2001 to 31-8-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
22	सेवारत प्रशि0 नगर क्षेत्र	59	1	24-8-2001 to 31-8-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
23	वी0टी0 पत्राचार	68	1	19-9-2001 to 28-9-2001	एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा
24	उच्च प्रा0 शिक्षक गणित	29	1	3-11-2001 to 12-11-2001	एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा
25	आंगनबाडी प्रशि	34	1	10-12-2001 to 19-12-2001	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
26	एन0पी0आर0सी0स0का फालोअप	50	1	2-1-2002 to 20-1-2002	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
27	शैक्षिक रार्पोट कार्यशाला	40	1	4-2-2002 to 6-2-2002	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
28	कियात्मक शोध प्रशि0	10	1	20-2-2002 to 22-10-2002	डी0पी0ई0पी0 द्वारा

29	शिक्षा मित्र प्रशि0	56	1	26-2-2002 to 27-3-2002	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
30	आगनबाडी प्रशि0	44	1	6-3-2002 to 13-3-2002	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
31	एस0ओ0पी0टी0 प्रशि	44	1	11-3-2002 to 18-3-2002	एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा
32	बी0टी0सी0 पत्राचार द्वितीय वर्ष	53	1	5-4-2002 to 13-4-2002	एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा
33	टी0ओ0टी0 जण्डर सवेदीकरण	36	1	22-6-2002 to 29-6-2002	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
34	शिक्षा मित्र प्रशि0	51	1	18-7-2002 to 16-8-2002	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
35	शि ा मित्र आचार्य प्रशि0	63	1	3-10-2002 to 3-11-2002	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
36	शि ा मित्र पुन0यो0 प्रशि0	55	1	20-10-2002 to 3-11-2002	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
37	आ नबाडी प्रशि0	60	2	8-10-02 to 31-10-02	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
38	टेलीकन्फेन्सिंग कार्यशाला	115	2	17-7-02 to 1-11-02	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
39	शिक्षा मित्र आचार्य प्रशि0	72	1	11-11-02 to 10-12-02	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
40	शिक्ष मित्र आचार्य प्रशि0	39	1	14-3-03 to 13-3-03	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
41	पुर्नबो0 शिक्षा मित्र	100	1	16-6-03 to 30-6-03	डी0पी0ई0पी0 द्वारा
42	पुर्नबो0 शिक्षा मित्र	89	1	1-7-03 to 15-7-03	डी0पी0ई0पी0 द्वारा

✦ गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता ✦

शैक्षिक सत्र में दो वार छिमाही परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एंव वार्षिक परीक्षा के बाद (मई) विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेगें जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एंव अभिभावक प्रति भाग करेगें । इस अवसर पर छात्र छात्राओं के रिर्पोट कार्ड वितरित किये जायेगें तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी ।

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण :-

1- भवन का विस्तार

क्रम सं0	मद	अनुमानित लागत (रू0लाख मे)
1-	प्रशासकीय भवन तथा आवासीय कक्षों की मरम्मत	15•00
2-	एक सभा कक्ष का निर्माण	08•00
3-	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण हाल का निर्माण	05•00
4-	बॉउड्री वाल के उपर कटीले तार	00•80
5-	मिनी डायट का निर्माण	10•00
6-	प्रवक्ता / अध्यापक आवास का निर्माण	40•00
	योग :-	78•80

2-उपकरण/ साजसज्जा

क्रम	मद	अनुमानित लागत (रू0लाख में)
1–	कम्प्यूटर (2) , प्रिन्टर्स ,यू0पी0एस0 ,अन्य तकनीकि उपकरण	6•00
2–	फोटो कापी मशीन	1•50
3–	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें , अलमारी , रैक आदि	2•00
4–	जैनरेटर , बाटरकूलर , डुप्लीकेटिंग मशीन , फैक्स मशीन	1•50
5–	संसथान का सुन्दरीकरण	1•00
	योग :–	12•00

3- आवर्तक (प्रतिवर्ष)

क्रम सं0	मद	अनुमानित लागत (रू0लाख में)
1–	कियात्मक शोध अध्ययन	2•00
2–	कार्यशालाये / सेमीनार	2•00
3–	प्रकाशन एंव मुद्रण	4•00
4–	आकस्मिक निधि	1•00
5–	वाहन रखरखाव / पी0ओ0एल0	1•00
	योग :–	10•00

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों के लिये कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामाग्री विकास में उपयोगी सिद्व होगें। सूचना एंव प्रबन्धन के लिये इनकी उपयोगिता स्वंय सिंद्ध है।

✦ डायट क्षमता संवर्धन ✦

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था की क्षमता संवर्धन के लिए सर्व शिक्षा अभियान में निम्न प्रविधान प्रस्तावित कियें गये है।

1. डायट में फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष 50 हजार रू0 का प्राविधान प्रस्तावित है।
2. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों (श्रव्य दृश्य सामग्री) जैसे ओवर हैड प्रोजेक्टर, विवधि प्रकार के श्यामपट तथा अन्य प्रकार के आधुनिक उपकरण जिनका उपयोग दूरस्थ शिक्षा के लिये हो सके। इन समस्त के लियें रू0 2 लाख का प्राविधान है।

3. कम्प्यूटर कक्ष के लियें रू0 6 लाख का प्रस्ताव है।
4. यदि वाहन आवश्यक हुआ तो उसे कय करने के लिये 3.50 लाख रूपये का प्रस्ताव है।
5. उपकरणों तथा अन्य सामग्री कों किरायें पर लेने के लियें 10 हजान रू0 प्रतिवर्ष व्यय करने का प्रस्ताव है।
6. पी0 ओ0 एल0 के लिये प्रतिवर्ष 50 हजार का प्रावधान है। जिसे क्षेत्र के सुदूर अंचल तक दौरा करके शैक्षिक गुणवत्त बढ़ाई जा सके।
7. शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिये, शैक्षिक वातावदण सृजन करने के लिये समय समय सेमिनार आयोजित किये जायेंगें, इसके लिये 2 लाख रू0 का प्रावधन किया गया है।
8. शिक्षण कार्य को प्रभवित करने वाली छोटी मोटी समस्याओं को खेजने तथा उनके निराकरण के लिये कियात्मक शोध कराये जायेंगे। इसके लिये 2 लाख रू0 काप्रावधन किया गया है।
9. संकाय के विकास के लिये डायट का क्षैत्र व्यापक है, शिक्षा के प्रचार प्रसार, गुणवक्ता संवर्धन, ठहराव आदि के लिये, तथा अन्य कार्यो के लिये संकायों का विकास आवश्यक है।
10. डायट के संकाय सदस्यो। के एक्सपोजर विजिट के लिये 50 हजार रू0 का प्रतिवर्ष प्रवधान है।
11. डायट में प्रस्तकालय का बडा महत्व है। पुस्तकालय के लिये प्रतिवर्ष 25 हजार रू0 का प्रस्ताव है।
12. कम्प्यूटर आपरेटर के वेतन के लिये 7 हजार रू0 प्रति माह का प्रविधान है।
13. वाहन चालक के वेतन के लिये 4 हजार रू0 प्रतिमाह का प्राविधान है।
14. कम्प्यूटर के लिये कन्ज्यूमेबल स्टेशनरी कक लियें प्रतिवर्ष 20 हजार रू0 का प्रविधान है।
15. आकस्मिक निधि के लिये प्रतिवर्ष एक लाख रू0 का प्रस्ताव किया है।

अध्याय–10

परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से 2010 तक होगी । इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा **सभी** कार्यकम एंव उनका प्रबंधन उ0प्रा. सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा । इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगा और व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगे। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों की परिवर्तन के लिये इसे तत्पर्य रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगे। इससे सवसे निचले स्तर पर जबावदेही दिन प्रतिदिन कार्यकमो का अनुश्रण किया जायेगा । अध्यापको व छात्रो की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबन्धतंत्रः संवेदनशील और लचीली प्रणालीः–

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रकियाओं में समुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये बिकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक कर प्राथमिक शिक्षा के सर्वजनिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापके कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन के लिये उच्च कोटि का लचीलापन लाने,जबावदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने,वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारआत्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा करने के

साथ उ0प्रा0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तंत्र तैयार किया है जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है।

निर्णयकर्ता समितियॉ	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति यू0पी0ई0एफ0 ए0पी0वी0	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0टी0 एस0आई0ई0एम0ई0टी0(सीमेट) एस0आई0ई0बी0 एन0जी0ओ0 आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट,एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक / अध्यापक	एन0पी0आर0सी0

✦ संगठनात्मक ढंचा - नीति निर्धारण ✦

ग्राम शिक्षा समिति :-

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा संबधी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 तथा संसोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न लिखित सदस्य है।

1. ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थिति बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि वहॉ एक से अधिक स्कूल हो तो उनमें प्रधानाध्यापकों में से ज्येष्ठ सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा ।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक,जिसमें एक संरक्षक महिला होगी। जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगे।

अधिकार एंव दायित्व :-

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी।

क– पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलो के निष्पादन हेतु प्रशासन,नियत्रंण और प्रबंधन करना।

ख– ऐसे बेसिक स्कूलो के विकास,प्रसार और सुधार के लिये योजनाये तेयार करना।

ग– पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिबद्वि और विकास करना ।

घ– बेसिक स्कूलों उनके भवनों और उपकरणें के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

ड़– ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायें।

च– पंचायत क्षेत्र की संस्थाओं की सभाओं की सीमाओं के भीतर स्थिति किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड की सिपारिश करना ।

छ– बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना,जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाये ।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है। जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण,परिसर में सुधार,शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सबंधी सभी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन संबधी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा । इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय समुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समय बद्व कियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रो प्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपयुर्क्त के अतिरिक्त शिक्षा गारण्टी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मॉग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा

मित्रों,अनुदेशकों,आचार्यो,ऑगनवाडी केन्द्रो के स्टाफ के बेतन,मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,पोषाहार वितरण का नियंत्रण,निशुल्क पाठ्यपुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समितियो के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रः-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0प्रा0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हे प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सकिय एंव कियाशील बनाया जायेगा ।

कार्य एंव दायित्वः-

- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यलयों का अकादमिक निरीक्षण कराना ।
- अध्यापको की साप्ताहिक बैठक करना,उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयो' पर विचार विमर्श करके उनका निराकरण करना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना ।
- ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयो में गुणवत्ता के रुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना ।
- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिव सूचनाओं का संकलन एंव सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समितिः-

जिले की भॉति प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एंक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यकम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है।

1. ब्लाक प्रमुख अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक सदस्य सचिव
3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य
4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एंव दायित्व :-

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के कार्यो में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन एंव अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम समितियों एंव जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे0जी0एस0बाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने पर विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

✦ प्रशासनिक संगठन ✦

ब्लाक स्तर :-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उपविद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को कियान्वित करायेगें तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना कियान्वयन एंव प्रगति के लिये उत्तरदायी होगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों,ब्लाक संसाधन केन्द्र,न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हे आवश्यक अधिकार एंव सुविधाये प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकीय के समय से एकत्र करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एंव

साख्यिकीय की सुद्वता को बनाये रखने में विशेष भूमिका निभायेगी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होगे । सार रूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख दायित्व इस प्रकार होगे।

- सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यकमो का कियान्वयन।
- विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण कराना ।
- ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना ।
- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एंव उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आकड़े एकत्र कर संकलित करना
- सभी प्रकार की छात्रवृत्तियो का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना ।
- खाद्यान वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
- विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओ एंव अनु0जा0/जन जाति के सभी बालक बालिकाओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
- विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना ।
- विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकता अनुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियॉ सुनिश्चित करना ।
- ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना ।।
- अध्यापको के वेतन विल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना। ।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगे तथा ई0जी0एस0 एंव

ए0आई0ई0 केन्द्रो पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यकम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यकम अधिकारी को उपलब्ध करायेगे ।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु डी0पी0ई0पी0.के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वाहन करेगे। इस हेतु उनकी क्षमता में बृद्वि तथा गतिशीलता बढाने के उददेश्य से एक मोटर साईकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रखरखाव हेतु नियत धनराशि (18000•00 प्रतिवर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 गोजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु दो बी0आर0सी0 सहसमन्वय प्रत्येक विकास खण्ड में नियुक्ति किया जायेगा।

ब्लाक संस्थान केन्द्र :-

इस जनपद में डी0पी0ई0पी0 योजना संचालित हो चुकी है और लगभग सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रो के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एंव सुसज्जित किये जाने है। यहॉ समन्वय भी नियुक्ति किये जा चुके है तथा उन्हे प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यकम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तार को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सहसमन्वयको का पद सृजित किया गया है जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो का पर्यवेक्षण,सूचना को एकत्र करना,संकलन,विद्यालय साख्यिकीय के संकलन एंव सभी प्रकार की बैठको के आयोजन तथा कार्यकमों के अनुश्रवण में सहायता करेगे।

शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्वन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्र करने एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेट के साथ

सुद्वढीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 पर एक लाख रूपये का प्रवधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्वः-

- अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- विद्यालयों का अकादमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य कराया जा रहा है अथवा नही ।
- विकास खण्डो की अकादमिक आवश्यकताओ का आंकलन एंव संकलन करना तथा शैक्षणिक आवश्यकताओ का सूक्ष्म नियोजन करना ।
- ब्लाक स्तर पर अकादमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना ।
- ब्लाक स्तर के अधिकारियों एंव अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एंव शिक्षा के हित मे उसका नियोजन करना ।
- विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सबंध में बस्ती बार बच्चो का नामवार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना ।
- ब्लाक में विद्यालय संख्यिकी को समय-समय पर एकत्र कर व सम्पल चैकिंग कर अनुश्रवण करना ।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में ही गठित की जा चुकी है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी,

उपाध्यक्ष मुख्यविकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है। समिति का गठन निम्नवत् है –

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
प्राचार्य डायट	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशाषी अभियन्ता (आर0ई0एस0)	सदस्य
अधिशाषी अभियन्ता (पी0डब्लू0डी0)	सदस्य
जिला विद्यालय निर्रीक्षक	सदस्य
दो शिक्षा विद् (विश्व विद्यालय एंव महाविद्यालय से)	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित	
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम से (1 वर्ष के लिये)	
दो शिक्षक राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त स्वेच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि	

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्व :-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर डी0पी0ई0पी0 के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर,निर्माण कार्य , गुणवत्ता में सुधार एंव जनसहभागिता सुनिश्चित करने , नीति निर्धारण के सबंध में इसके निर्णय प्रभावी होगे। प्रवेश,धारण,गुणवत्ता सम्वर्धन,निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण,संस्थाओ का निर्धारण एंव प्रचार प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगे । यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के सरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम का संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :-

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है। जिसके सदस्य एंव पदाधिकारी इस प्रकार है।

• जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य / सचिव
• अपर जिला मजिस्ट्रेट(नियोजन)	पदेन सदस्य
• जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
• जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
• अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला यदि कोई हो) उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
तीन व्यक्ति जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निष्दिट किये जायेगे।	सदस्य
विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्न लिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

- जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बेसिक स्कूलो का प्रशासन करना ।
- नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ।
- ऐसे बेसिक स्कूलो के विकास,प्रसार सुधार के लिये योजनाये तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रो में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तंत्र (जिला परियोजना कार्यालय):-

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एंव कार्यक्रमों का प्रभावी कियान्वयन उसका दायित्व होगा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का कियान्वयन करेगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें स्टाफ के पद उ0प्रा0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमो के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी। जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एंव कर्मचारी होगे।

कम सं0	पदनाम	मानदेय
1	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	एक प्रतिनियुक्ति पर
3	समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4	सलाहकार	2 रू0 10000•00 नियत वेतन प्रति पद
5	ई0एम0आई0एस0 अधिकारी	1 रू0 10000•00 नियत वेतन प्रति पद
6	कम्प्यूटर आपरेटर/साख्यिकी सहायक	3 रू0 7000•00 नियत वेतन प्रति पद
7	सहायक लेखाधिकारी	1 प्रतिनियुक्ति पर
8	लिपिक	1 नियत मानदेय के आधार
9	परिचारक	नियत मानदेय के आधार पर

उपयुर्क्त सभी अधिकारी एंव कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियंत्रण एंव पर्यवेक्षण में कार्य करेगे। तथा परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगे तथा अपने क्षेत्र से सबंधित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त,अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिखा अधिकारी

के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेगे। परियोजना के कियान्वयन हेतु पूर्ण लिपकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददेश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भॉति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण अभियंत्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं द्वारा काया जायेगा, जिसके निये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध है। मानदेय का जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है। प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0 1000•00, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500•00 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200•00 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा । यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संसोधन का प्रावधान रखा जायेगा । अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

एजूकेशनल मैनेंजमेंट इन्फोंमेशन सिस्टम (ई0 एम0 आई0 एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यकमो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यलय में एक सुद्वढ एंव कियाशील एम0आई0एस0 स्थापित

किया जायेगा। डी0पी.0ई0पी0 योजना से आच्छादित जनपदों में पूर्व में ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध है। वर्ष 1997–98 से वर्ष 2000–01 तक के शैक्षिक आकड़े उपलब्ध है।. उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटा बेसतथा आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर हार्ड बेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना संबधी गतिविधियो का अनुश्रवण,आकडो का संकलन एंव विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनो कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अद्यतन एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 प्रोजेक्ट मानटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना की प्रति वर्ष शैक्षिक साख्यिकी के व्यापक कार्य को सम्पादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराईज्ड ई0एम0आई0एस0के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स / साख्यिकीय सहायक रखे जायेगे। जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिर्पाट व विश्लेषण तत्पर्ता से उपलब्ध हो सके और जिला परियाजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महात्वपूर्ण इंडीकेट्रर्स पर रिर्पोट तैयार कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आकडो के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा। जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा ।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एंव दायित्वः-

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटईज्ड सूचना प्रंबध प्रणाली में तैनाद ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्न लिखित कार्य एंव दायित्व होगे।

- विद्यालयों हेतु साख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना ।

- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0सी0,एन0पी0आर0सी0सी0,प्रधानाध्यापको का प्रशिक्षण आयोजित करना ।)
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुये प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुये प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग सम्पादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो,अभिलिखित करना ।
- समय वद्ध रूप में दिसम्बर के अन्त तक डाटा इंट्री पूर्ण कराना तथा रिर्पोट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकास खण्डवार जनपद के ई0एम0आई0एस0 रिर्पोट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राचार्य डायट,जिला समन्वयको तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक साख्यिकीय के लिये नूडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना ।
- माइक्रो प्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण,विश्लेषण तथा रिर्पोट तैयार कर सभी सबंधित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 के अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही साख्यिकी विश्लेषण,प्रक्षेपण तकनीकि आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभवन रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण :-

विद्यालय सांख्यिकी सबंधी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर,प्रधानाध्यापक,संकुल प्रभारी,बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सबंधी प्रपत्र तथा उन्हे भरने,संकलन,विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी । इसके अतिरिक्त

विद्यालय सबंधी आकड़ों के दो प्रतिशत सैम्पल चैकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकड़ो की शुद्वता की जॉच हो सके।

1– ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवस का होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी सभी समन्वयक स्टाफ,कम्प्यूटर आपरेटर,लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगे।

2–ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा इसके सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगे।

3– ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (न्यायपंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा जिसमें एन0पी0आर0सी0सी0/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगे।

4– ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आकड़े का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जॉच :–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनो के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया था विद्यलाय साख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो रहे है। जिसपर प्रति वर्ष विद्यालय स्तर पर 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आकडो को एकत्र किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा इंट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिर्पाट तैयार की जायेगी। प्रति वर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिंटआउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा। जिससे प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी

गयी थी वह सही है । अप्रत्यक्ष रूप से सूचना की पुष्टि स्वरूप यह कार्य होगा और यदि कोई त्रुटि हो गई तो उसे शुद्व करने का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा।

आकडे का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 के आकडो के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इंडीकेट्रर्स जैसे जी0ई0आर0, एन0ई0आर0 डाप आउट दर,रिपीटीशन दर छात्र अध्यापक अनुपात,कक्षा कक्ष अनुपात,एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगे। इन इन्डीकेट्रर्स का उपयोग डिसिजन सर्पोट सिस्टम में किया जायेगा जिससे बार बार सूचनाओ के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना के अनुसार कार्यक्रमो का समावेश/संशोधन किया जा सके। "डायस" के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आकडो से स्कूल के बाहर के बच्चो की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चो की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत्र से प्राप्त आकडो के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रो प्लानिग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आकडो तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आकडो का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदनुसार कार्ययोजना में वॉछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माइक्रो प्लानिंग के आकडो का उपयोग भी निम्न कार्यो हेतु किया जायेगा।

- नवीन विद्यालयों हेतु असेवित वस्तियों की पहचान ।
- शिक्षा गारण्टी केन्द्र हेतु वस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर वस्तियो की प्राथमिका का निर्धारण ।
- छात्र संख्या में वृद्वि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षो की आवश्यकता की पहचान ।
- एकल अध्यापकीय विद्यालयों का विस्तीकरण।

- छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयो की पहचान ।
- बालिकाओं के कम नामांकन वाल विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
- निशुल्क पाठय पुस्तको के वितरण हेतु लाभार्थी समूहो की संख्या का आंकलन।
- आवस्थापना सबंधी मॉग का आंकलन व निर्धारण।
- शिक्षको का विवरण ।
- विभिन्न स्तरो पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
- विकलांगता वार आकडो के अनुसार उपकरणो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कषों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओ के निर्धारण में किया जायेगा । जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी :-

छात्र छात्राओं के ठहराव में बृद्वि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में डाप आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोर्हट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी ऐजेन्सी द्वारा करायी जायेगी । जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा । यह स्टडी प्राथमिक ब उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक पृथक की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू0 2 लाख रखी जायेगी।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम :-

ई0एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमो के कियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिर्पोट प्रतिमाह तैयार कर राज्य

परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के संबंधित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकृषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ऐ0सी0आई0 के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एन0आई0 एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान :-

गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुद्वढ कियागया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये अधिक सुद्वढ किया जायेगा परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होगे।

1– विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/संदर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों,शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा समस्याओं के निदान एंव उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कषों की जानकारी सर्व सबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना,उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापको को मार्गदर्शन देना।

6 ब्लाक संसाधन केन्द्रो के समस्त शैक्षिक किया कलापों का निर्देशन एंव नियंत्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एंव अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोज़न करना।

8. जिले स्तर पर एकादमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगत स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेस लाइन सर्वे कराना।

10.शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11.शैक्षिक आकडो(ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलत) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियो को प्रशिक्षण देना।

12.शिक्षको,समन्वय को.ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के अनुदेशको,ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यो निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

निधि का हस्तांरण (फलो ऑफ फण्ड) :-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण,अकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण,वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सबंधित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम

शिक्षा समिति,स्वंयसेवी संगठनो,अध्यापको आदि के सीधे खाते के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजान परिषद की वित्तीय संदर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधनित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलो पर जिलाधिकारी की अनुमकत आवश्यक है । इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित हेागा ।ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है । वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये है जो परियोजना में भी अपनाये जायेगे तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा ने यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा संबधित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगे परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियो को भेजी जाती है। जिनके बैक में खाते पूर्व से ही संचालित है। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा । सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रिमासिक आधार पर धनराशि जिलो को अवमुक्त की जायेगी।

सम्प्रेक्षण व्यवस्था :-

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदो में लेखे जोखे का स्वंतत्र सम्प्रेक्षण(इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समिति के तुरन्तु बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफैरन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा । राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार,उ0 प्र0 इलाहाबादा द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा भी समय समय पर आंतरिक सम्प्रेरक्ष (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :-

परियोजना का कियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उददेश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयकों सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों,प्रति उप विद्यालय निरीक्षको,बी0आर0सी0 समन्वयक की उपाक्षिक समीक्षा बैठके आयोजित की जायेगी,जिसमें योजना कार्यो का सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एंव उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयासा किया जायेगा। इसी प्रकार डायट द्वारा संकाय सदस्यो व बी0आर0सी0 समन्वयको की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी जो कार्यकमो के कियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा।राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओ को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्गदर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेगे साथ ही

समय समय पर पर्यवेक्षण एंव अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियो के निराकरण हेतु सुधार किया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद में कम्प्यूटराईज्ड पी0एम0आई0 एस0 रिर्पोट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एंव निष्कषों के आधार पर कार्य योजना के कियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के कियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव अनुभूत कठिनाईयों प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुये आगे केवर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेगे।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों, में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005–06 में ....05.... प्राथमिक एवं ....05.... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2002-03 में 14 की प्राप्ति हो चुकी है। कुल लक्ष्य 911 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004–05	400	
2005–06	400	
2006–07	097	
योग	897	

समय समय पर पर्यवेक्षण एंव अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियो के निराकरण हेतु सुधार किया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद में कम्प्यूटराईज्ड पी0एम0आई0 एस0 रिर्पोट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एंव निष्कषों के आधार पर कार्य योजना के कियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यकमों के कियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव अनुभूत कठिनाईयों प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुये आगे केवर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेगे।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों, में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में .....05..... प्राथमिक एवं .....05..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2002-03 में 15 की प्राप्ति हो चुकी है। कुल लक्ष्य 911 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	400	
2005-06	400	
2006-07	097	
योग	897	

Jalaun

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	50	12950	0	0	5	1280	0	0	55	14230
A2	New Upper Primary Schools	451	21	9471	115	32200	0	0	5	1400	0	0	141	43071
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	63	7380	63	7560	63	7560	63	7560	63	7560	315	37620
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	50	675	50	1237.5	55	1361.25	55	1361.25	210	4635
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	50	2700	50	5400	55	5940	55	5940	210	19980
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	345	20700	345	41400	360	43200	360	43200	1410	148500
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	50	500	0	0	5	50	0	0	55	550
A8.2	UPS	50	41	2700	115	5750	0	0	5	250	0	0	161	8700
A9	TLE UPS not covered OBB	50	54	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	54	2050
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**21601**	0	**83035**	0	**56797.5**	0	**61241.25**	0	**58261.25**		**279936**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	16	338	86	1816.75	86	1816.75	188	3971.5
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0
A12	AIE Primary [illegible] models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	).85	0	0	0	0	6	126.75	6	126.75	6	126.75	18	380.25
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	18	648	18	648	18	648	18	648	72	2592
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	3	540	3	540	3	540	10	1800
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	81	2737.8	81	2737.8	81	2737.8	81	2737.8	324	10951.2
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**21601.00**	0	**86600.80**	0	**60438.05**	0	**67360.55**	0	**64380.55**	**0**	**300380.95**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	44	8404	30	5730	0	0	74	14134
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	10	3830	10	3830	8	3064	0	0	28	10724
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	402	28140	350	24500	100	7000	852	59640
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910	14	980	300	21000	300	21000	35	2450	662	46340
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	19	190	49	490	40	400	0	0	108	1080
R4.2	Toilets Primary	10	14	140	0	0	400	4000	400	4000	97	970	911	9110
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	50	900	0	0	0	0	50	900
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	42	756	0	0	0	0	42	756
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1125	5625	1202	6010	1202	6010	1207	6035	4736	23680
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	195	975	195	975	331	1655	331	1655	336	1660	1388	6940
	[illegible] (02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2 25 pm	2.25	0	0	0	0	0	0	379	9380.25	425	10518.75	804	19899
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	379	36384	425	40800	472	45312	1276	122496
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	0	0	379	9380.25	46	1138.5	47	1163.25	472	11682
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	21	42	1210	2420	1215	2430	1215	2430	3661	7322
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	195	390	296	592	429	858	434	868	434	868	1788	3576
R12	**Promoting Girls Education**		0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901
R12.1	Summer Camps	45	0	0	0	0	45	202.5	45	202.5	45	202.5	135	607.5
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	5	375	5	375	5	375	15	1125
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	81	324	81	324	81	324	243	972
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	15	375	15	375	15	375	45	1125
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	175	875	175	875	175	875	525	2625
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	0	0	175	656.25	175	656.25	350	1312.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	175	262.5	175	262.5	175	262.5	525	787.5
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	564	1579.2	564	1579.2	564	1579.2	1692	4737.6
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 ps per NPRC)	5	0	0	0	0	81	405	81	405	81	405	243	1215
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	300	144	264	126.72	0	0	564	270.72
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2211	0	0	7	466.9	7	466.9	7	466.9	21	3611.7
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	10	5000	5	300	5	300	5	300	25	5900
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	186	465	1533	3832.5	1533	3832.5	3252	8130
	RETENTION Sub Total		0	5527	0	17234	0	130052.8	0	130807.72	0	88132.25	0	371753.72
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	0	0	379	795.9	51	107.1	47	98.7	477	1001.7
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	123	258.3	0	0	379	795.9	66	138.6	47	98.7	615	1291.5
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	99	138.6	3985	5579	4082	5714.8	4176	5846.4	12342	17278.8
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	678	949.2	864	907.2	1655	1737.75	1670	1753.5	1670	1753.5	6537	7101.15
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	488	683.2	633	886.2	782	1094.8	1903	2664.2
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	40	84	0	0	0	0	40	84
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	27	18.9	27	18.9	27	18.9	81	56.7
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	81	56.7	81	56.7	81	56.7	243	170.1
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	30	42	30	42	90	126
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	18	6.3	18	6.3	18	6.3	54	18.9
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	1525	1830	9	54	9	54	9	54	1552	1992
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	760	304	0	0	9	20.7	9	20.7	9	20.7	787	366.1
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	9	81	9	81	9	81	27	243
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	1	300	1	300	1	300	3	900
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	36	47.16	0	0	0	0	36	47.16
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	360	6192	360	6192	360	6192	1080	18576
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	9	135	9	135	9	135	27	405

													27	270
		[illegible]	0	0	0	0	9	47.7	9	47.7	9	47.7	27	143.1
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	9	180	9	180	9	180	27	540
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	4	35.2	0	0	0	[illegible]	4	35.2
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	165	82.5	4009	2004.5	4111	2055.5	4205	2102.5	12490	6245
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	801	400.5	1584	792	1949	974.5	1964	982	1964	982	8262	4131
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	6389	319.46	102617	5130.85	109006	5450.3	111513	5575.65	329525	16476.25
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	15617	2342.55	59859	8978.85	23162	3474.3	23695	3554.25	24240	3636	146573	21985.95
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1533	229.95	1533	229.95	1533	229.95	4599	689.85
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg Modules	0.05	0	0	0	0	95	4.8	96	4.8	96	4.8	288	14.4
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1202	18030	1202	18030	1202	18030	3606	54090
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	331	2482.5	331	2482.5	331	2482.5	993	7447.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**4264.55**	0	**18048.6**	0	**49476.31**	0	**48776.3**	0	**49322.3**		**164878.06**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	0	0	0	0	1	60
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	12	576	12	576	12	576	36	1728
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2 2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	9	1296	9	1296	18	2592
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	18	1188	18	1188	36	2376
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	9	324	9	324	18	648
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	9	90	9	90	18	180
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	9	54	9	54	9	54	9	54	36	216
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	9	18	9	18	9	18	27	54
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	0	0	9	90	9	90	18	180
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	9	45	9	45	9	45	9	45	36	180
C2 10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	9	112.5	9	112.5	9	112.5	9	112.5	36	450
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	9	32.4	9	32.4	9	32.4	27	97.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	9	45	9	45	9	45	27	135
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Salary co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	81	11664	81	11664	0	162	23328
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	81	81	0	0	81	81	81	81	243	243	
C3.4	Contingency	2.5	0	0	81	202.5	81	202.5	81	202.5	81	202.5	324	810	
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	81	194.4	81	194.4	81	194.4	81	194.4	324	777.6	
C4	District Project Office/Management		1	510	0	1720	0	0	0	0	0	0	1	2230	
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	7	1260	7	1260	14	2520	
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540	
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90	
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90	
C4.6	Books/Madazine/News papers	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30	
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	18	324	18	324	18	324	54	972	
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	11	110	11	110	11	110	33	330	
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120	
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90	
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300	
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	1	120	1	120	1	120	3	360	
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30	
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.5	0	0	0	0	1202	1803	1202	1803	1202	1803	3606	5409	
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	236	330.4	216	302.4	331	463.4	331	463.4	331	463.4	1445	2023	
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300	
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30	
	Total		0	**840.4**	0	**2711.8**	0	**5575.2**	0	**21508.2**	0	**21508.2**		**52143.8**	
C5	MIS		0	0	0		0		0		0				
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	1	200	
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	0	0	1	144	1	144	2	288	
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270	
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300	
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60	
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60	
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90	
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120	
C5.9	Maint. of Equip & Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60	
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75	
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	2	20	2	20	2	20	6	60	
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75	
	CAPACITY Sub Total		0	**840.4**	0	**2911.8**	0	**5965.2**	0	**22042.2**	0	**22042.2**	**0**	**53801.8**	
	GRAND TOTAL		0	**32223.0**	0	**119795.20**	0	**245932.31**	0	**268986.77**	0	**223877.30**	**0**	**890814.53**	

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention — **Jalaun**

	2002-03	2003-04	20004-05	2005-06	2006-07	Total
Civil	10521.0	50150.0	67520.0	61374.0	10420.0	199985.0
Management	330.4	302.4	3750.4	5154.4	5154.4	14892.0
Programme	21371.6	69342.8	174661.9	202458.4	208302.9	675937.5
Total	**32223.0**	**119795.2**	**245932.3**	**268986.8**	**223877.3**	**890814.5**
Percentage - Civil	**32.7**	**41.9**	**27.5**	**22.8**	**4.7**	**22.4**
Percentage - Management	**1.0**	**0.3**	**1.5**	**1.9**	**2.3**	**1.7**
Percentage - Programme	**66.3**	**57.9**	**71.0**	**75.3**	**93.0**	**75.9**
				100	100	100